पंचम माला, खंड 9 अंक 12 मंगलवार, 30 नवम्बर, 1971/9 अग्रहायण, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. IX, No. 12 Tuesday, November, 30 1971/Agrahayana 9, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

सत्यमेव जयते

[खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया *Price : One Rupee*

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

30 नवम्बर, 1971 । 9 अग्रहायण, 1893 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
143	पंक्ति 1, `ध्यान दिलाने वाली ` के स्थान पर `ध्यानाकर्षण `पढ़िये ।
	पंक्ति 3, ` MOTIONS ` के स्थान पर NOTICES ' पढ़िये ।
146	पंक्ति 8 से 10 के स्थान पर केवल `वक्तव्य `पढ़िये ।
153	पंक्ति 19, `अध्यक्ष महोदय ` के स्थान पर `उपाध्यक्ष महोदय ` पढ़िये ।

विषय सूची/CONTENTS

अंक 12, मंगलवार, 30 नवम्बर, 1971/9 अग्रहायण, 1893 (शक)

No. 12, Tuesday, November 30, 1971/ Agrahayana 9, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
333. रेल व्यवस्था में सुधार करना और रेल लाइनों का बिछाया जाना	Improvement in Railway System and Laying of Railway Lines ...	1—4
334. महेन्द्रगढ़ संसदीय चुनाव क्षेत्र में मतदान पार्टियों का बलपूर्वक हटा लिया जाना	Forcible removal of Ballot Boxes in Mahendragarh Parliamentary Constituency ...	4—6
336. प्रत्येक राज्य की राजधानी से दिल्ली के लिए सीधी रेलगाड़ियों का चलाया जाना	Direct Train Services from every State Capital to Delhi ...	6—8
337. प्रादेश जारी करने के संबंध में न्यायालयों के अधिकार कम करने का प्रस्ताव	Proposal for reducing Powers of Courts to issue writs ...	8—9
339. देश में अन्तर्राज्यीय विद्युत ग्रिड प्रणाली	Inter-State Electric Grid System in the Country ...	9—12
340. आसाम मेल और टाटा एक्सप्रेस का पटना सिटी स्टेशन पर रुकना	Stoppage of Assam Mail and Tata Express at Patna City Railway Station ...	12—14
342. विदेशों में भारतीय चाय की लोकप्रियता में कमी	Decline in Popularity of Indian Tea in Foreign Countries ...	14—16
343. हाडा टेक्सटाइल, हुगली (पश्चिम बंगाल) द्वारा ताला बन्दी	Lock out by Hada Textiles, Hooghly (West Bengal) ...	16—17
344. गंगा नदी का नर्मदा और कावेरी नदियों से मिलाया जाना	Linking of Ganga with Narmada and Cauvery Rivers	17—19
345. डीजल इंजनों का आयात	Import of Diesel Locomotives ...	19—20
346. समुद्रपार व्यापार के गलत आँकड़े	Faulty Overseas Trade Statistics	21

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

331. कृष्णा और गोदावरी में माप और निस्सारण प्रेक्षण केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Gauge and Discharge Observation Points in Krishna and Godavari Basins ...	22
332. रतलाम तथा मेघनगर और रतलाम तथा उज्जैन रेल स्टेशनों के बीच मालगाड़ियों को रोक कर कोयले की चोरी कीघटनायें	Incidents of Coal Thefts by Stopping Goods Trains between Ratlam and Meghnagar and between Ratlam and Ujjain Railway Stations ...	22
335. कावेरी जल विवाद का न्यायाधिकरण को सौंपा जाना	Reference of Cauvery Waters Dispute to a Tribunal	23
338. पश्चिम बंगाल में बाढ़	Floods in West Bengal	23—24
341. एस० एस० लाईट रेलवे को नियन्त्रण में लेना	Take over of S. S. Light Railway ...	24
347. पाकिस्तान द्वारा गंगा नदी पर बाँध का निर्माण	Construction of barrage by Pakistan over river Ganga	24—25
348. चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा 'स्टे इन' हड़ताल	Stay-in-strike by Casual workers of Chittaranjan Locomotive Works ...	25
349. प्रमुख अधिकारियों के लिए विशेष सैलूनों की व्यवस्था करने हेतु व्यय की गई धनराशि	Amount spent for providing special saloons to top officials ...	25—26
350. रेलवे बोर्ड का मंत्रालय से पृथक किया जाना	Separation of Railway Board from the Ministry	26
351. चीन के साथ व्यापार संबंध	Trade relations with China	26
352. राज्यों के सिचाई तथा विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में की गयी सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations of conference of State Ministers of Irrigation and Power ...	26—27
353. असम के चाय बागानों को आर्थिक सहायता	Assistance to Tea Estates of Assam ...	27
354. ब्रिमनगर स्थित 'कोसी परियोजना जल विद्युत संयंत्र से नेपाल को बिजली दिया जाना	Availability of Power to Nepal from Kosi Project Hydel Power Plant at Brimnagar ...	27—28
355. कुरेशी समिति के प्रतिवेदन के कारण फालतू हुए पद	Surplus Posts due to Qureshi Committee Report ...	28
356. मार्ग में होने वाले नुकसान के लिए रेल कर्मचारियों द्वारा भुगतान	Railway Employees to pay for losses during Transit ...	29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
357. कोचीन में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्यातकर्त्ताओं को तंग किया जाना	Harassment by Customs Authorities to Exporters at Cochin ...	29
358. रेलवे कर्मचारियों को बोनस	Grant of Bonus to Railway Employees ...	29—30
359. भारत और यूगोस्लाविया में आर्थिक सहयोग	Economic Cooperation between India and Yugoslavia ...	30
360. बाढ़ के कारण फरक्का टाउनशिप का जलमग्न होना	Submersion of Farakka Township due to floods	30—31
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q .Nos.		
2130. पश्चिमी राजस्थान की रेत वाली धरती में फसल उगाना	Raising of Crops in Sandy Soils of West Rajasthan ...	31
2131. कोयला खानों के मुहाने पर जमा कोयला उठाने के लिए विशेष प्रयत्न	Special Drive to clear Accumulation of Coal at Pit-Heads ...	31—32
2132. धनबाद डिवीजन में कोयला वैगनों को भेजने में भ्रष्टाचार	Corruption in Despatch of Coal Wagons in Dhanbad Division ...	32
2133. राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of S. T. C.	32—33
2134. केरल सरकार द्वारा भेजी गई सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes submitted by Kerala Government	33
2135. रबड़ बोर्ड कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन	Representation from Rubber Board Staff Association ...	33—34
2136. मालाबार क्षेत्र (केरल) से मछलियाँ ले जाने के लिए वैगन	Wagon for Transportation of Fish from Malabar Area (Kerala) ...	34
2137. पायानूर और पायानगुडी रेलवे स्टेशनों पर उच्च श्रेणी के प्रतीक्षा गृहों की व्यवस्था	Provision of Upper Class Waiting Room at Payyanur and Payangadi Railway Stations ...	34
2138. मंगलौर में तृतीय श्रेणी के यात्रियों को आरक्षण सुविधाएँ	Reservation Facilities for Lower Class Passengers at Mangalore ...	35
2139. मीटर गेज और छोटी रेलवे लाइनें	Metre and Narrow Gauge Railway Lines ...	35
2140. अहमदाबाद-बम्बई रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Ahmedabad Bombay Railway Line ...	36

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2141.	महात्मा गांधी प्रदर्शनी गाड़ियों पर किया गया व्यय	Expenditure on Running of Mahatma Gandhi Exhibition Trains ...	36
2142.	केले के निर्यात से प्राप्त धनराशि	Amount realised by Export of Banana	36
2143.	विदेशों में मार्किटों के सर्वेक्षण हेतु उद्योगपतियों को विदेश यात्रा की सुविधाएं	Facilities for Foreign Travel to Industrialists to Markets Abroad	37
2144.	मालदा से बालूघाट तक रेल लाइन	Railway Line from Malda to Balurghat ...	37
2145.	मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में खड़े पानी की निकासी की योजना	Project for clearance of Stagnant flood water in Murshidabad, West Bengal	37—38
2146.	असम मेल का दिल्ली-बरौनी स्टेशनों पर ठीक समय पर पहुँचना	Timely arrival of Assam Mail at New Delhi and Barauni Stations ...	38
2147.	बाढ़ नियंत्रण को राष्ट्रीय विषय बनाना	Flood Control as a National Subject ...	38—39
2148.	ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की प्रगति	Progress of Brahmaputra Flood Control Board ...	39
2149.	राज्यों में आरम्भ की गई बाढ़ नियंत्रण योजनायें	Flood Control Schemes taken up in States	39—40
2150.	बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना	Scheme for Flood Control	40
2151.	पश्चिम बंगाल में बाढ़	Floods in West Bengal	40—41
2152.	पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Relief for Flood affected People of West Bengal ...	41—42
2153.	बाढ़ों के बारे में विशेष जाँच की समिति नियुक्ति	Appointment of Special Inquiry Committee on Floods	42
2154.	हावड़ा और हुगली जिलों में बाढ़	Floods in Howrah and Hooghly Districts ...	42—43
2155.	उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की सेवा शर्तें	Service Conditions of Supreme Court Judges	43
2156.	पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व रेलवे के रेल परीक्षकों की उच्च वेतनमानों में पदोन्नति	Promotion of Train Examiners in Higher Scale of Pay in Eastern, North Eastern and South Eastern Railway ...	44—45
2157.	समुद्री कटाव को रोकने और बाढ़ नियंत्रण करने के उपाय	Anti-sea Erosion and Flood Controlling Measures	45
2158.	अमरीकी मोशन पिक्चर्ज एसोसिएशन की रोकी गई धनराशि	Blocked Funds of American Motion Picture Association ...	45—46
2159.	केरल के तट पर समुद्री कटाव को रोकने के लिए उपाय	Anti-Sea Erosion Measures for Kerala Coast ...	46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2160. हीरे जवाहरात की जाँच के लिए प्रयोगशाला की स्थापना	Setting up of Gem Testing Laboratory ...	46
2161. अफ्रीकी देशों में संयुक्त उद्यम	Joint Ventures in African Countries ...	46—47
2162. पश्चिम बंगाल के बराचांका में बाढ़ तथा जल इक्ट्ठा हो जाने की समस्या	Flood or Water-Logging Problem in Barachanka, West Bengal ...	47
2163. पश्चिम बंगाल के कन्टाई सब-डिवीजन में पानी का जमा हो जाना	Water-Logging in Contai Sub-Division of West Bengal ...	48
2164. बिड़लाओं द्वारा विदेशों में उद्योगों का स्थापना	Setting up of Industries in Foreign Countries by Birlas ...	48
2165. निर्यात के लिए कपड़ा बनाने वाली मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Export Oriented Textile Mills	48—49
2166. लौह-अयस्क के निर्यात में संभावित कमी	Expected Fall in Export of Iron Ore ...	49
2167. मध्य प्रदेश में वैगन न मिलने के कारण कोयला उद्योग में संकट	Crisis in Coal Industry in Madhya Pradesh due to non-availability of Wagons ...	49—50
2168. विधि व्यवसाय में अध्ययन और अनुसन्धान को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं को अनुदान	Grants to Institutions for Promoting Studies and Research in Legal Profession ...	50—51
2169. दुर्गापुर और आसनसोल में तूफान और वर्षा से हुई क्षति	Damage caused by Cyclone and Rains in Durgapur and Asansol ...	51
2170. पंजाब में कपास का बिक्री मूल्य	Sale Price of Cotton in Punjab ...	51—52
2171. मछली तथा मछली उत्पादकों का निर्यात	Export of Fish and Fish Products	52
2172. यमुना नदी से मानसून के पानी को पम्पों द्वारा बाहर निकालना	Scheme to Pump Out Monsoon Waters from Yamuna River	52
2173. गंगा बेसिन बाढ़ नियंत्रण आयोग	Ganga Basin Flood Control Commission ...	52—53
2174. वाटर एण्ड पावर डिवेलपमेंट कन्सल्टैन्सी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड द्वारा आरम्भ किये गये कार्य	Works Undertaken by Water and Power Development Consultancy Services (India) Limited ...	53
2175. वाटर एण्ड पावर डिवेलपमेंट कंसलटैन्सी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड का पंजीयन	Registration of Water and Power Development Consultancy Services (India) Limited	53
2176. बम्बई के लिए भूमिगत रेलवे	Underground Railway for Bombay	54

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2177.	पयानगड़ी और एलीमाला के बीच वेनगारा पर हाल्ट स्टेशन	Train Halt at Vengara Between Payangadi and Elimala (Southern Railway) ...	54
2178.	रबड़ का निर्यात	Export of Rubber ...	54—55
2179.	एरणाकुलम-शोरानूर रेलवे लाइन को दोहरा करना	Doubling of Ernakulam-Shorannur Railway Lilne	55
2180.	बंगलौर-गुंतकल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Bangalore-Guntakal Line into Broad Gauge ...	55
2181.	इंजीनियरी उद्योग के लिए कच्चे माल का आयात	Import of Raw Material for Engineering Industry	56
2182.	भारत में सुरंग बनाने पर अत्यधिक लागत	High Cost of Tunnelling in India ...	56
2183.	रेलवे के न्यूनतम और अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतनों में अन्तर दूर करना	Removal of Disparity Between Lowest and Highest Paid Employees of Railways ...	57
2184.	बेकार हो गए चाय बागानों में रबड़, काफी आदि की खेती करना	Diversion of Obsolete Tea Estates ...	57
2185.	चाय के उत्पादन में कमी	Decline in Production of Tea ...	58
2186.	बिहार में सहरसा, बिहारीगंज में पड़े जूट तथा अन्य माल के लिए माल-डिब्बों की सप्लाई	Supply of Wagons for Jute and other Goods Lying at Sahara Behariganj in Bihar ...	58—59
2187.	पटना सिटी स्टेशन के पुलिया नं० 102 से फैलने वाली दुर्गन्ध	Obnoxious Smell Spreading from Culvert No. 102 of Patna City Station ...	59
2188.	पटना सिटी रेलवे स्टेशन के समीपवर्ती पुलिया नं० 102 को नया रूप देना	Remodelling of Culvert No. 102 near Patna City Railway Station ...	59—60
2189.	पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर माल-डिब्बों से चोरी की घटनायें	Thefts from Railway Wagons at Patna City Railway Station ...	60—61
2190.	एक-सदस्यीय रेलवे श्रम न्यायाधीकरण का प्रतिवेदन	Report of the Single Member Railway Labour Tribunal	61
2191.	कलकत्ता के लिए भूमिगत रेलवे	Underground Railway for Calcutta ...	61
2192.	लुम्डिंग रेलवे टाउनशिप में पेय जल की कमी	Scarcity of drinking water at Lumding Railway Township ...	62
2193.	दिल्ली स्थित अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय (पश्चिम रेलवे) के कर्मचारियों की माँगें	Demands of employees of Foreign Traffic Accounts Office, Delhi (Western Railway) ...	62—63

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2194. 'पर्शियन' गलीचों का निर्यात	Export of Persian Carpets ...	63
2195. पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों को मकान	Government accommodation for Western Railway Employees ...	63—64
2196. कोटा के उच्च श्रेणी रेलवे कन्डक्टर, श्री दुबे, पर घातक हमले के षडयन्त्र की शिकायत	Complaint of plot about fatal attack on Shri Dube, Upper Grade Railway Conductor, Kotah ...	64
2197. जोधपुर स्टेशन पर बेकार पड़े आयल टैंक	Oil Tanks lying idle at Jodhpur Station ...	64
2198. मैंगनीज अयस्क के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earned by exporting Manganese Ore ...	65
2199. सूती कपड़े और अभ्रक का निर्यात व्यापार	Export Trade of Textile and Mica ...	65—66
2200. रेलवे के सामान की चोरी रोकने हेतु "आपरेशन मुगलसराय" प्रायोगिक परियोजना	"Operation Mughalsarai" Pilot Project to curb thefts and Pilferage of Railway goods...	66—67
2201. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में करीमगंज रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे लाइन का उड़ाया जाना	Blowing up of Railway track near Karimganj Railway Station (Northeast Frontier Railway) ...	67—68
2202. पूर्वी रेलवे के सब-स्टेशन के दो ट्रान्स-फार्मरों का जल जाना	Burning of Two Transformers belonging to Sub-station in Eastern Railway ...	68
2203. आसनसोल डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के कालूबथान स्टेशन पर मालगाड़ियों के बीच टक्कर	Accident between Goods Trains at Kalubathan Station in Assnsol Division (Eastern Railway) ...	69
2204. दीर्घकालीन करार के अन्तर्गत भारत सोवियत के बीच व्यापार	Trade between India and USSR under long term agreement ...	69—70
2205. भारत-सोवियत व्यापार सहयोग	Indo-Sovit Trade Co-operation	70
2207. असिस्टेंट इंजिनियरों को स्थायी करना तथा पदोन्नति के अवसर	Confirmation and Prospects of Promotion of Assistant Engineers ...	70—71
2208. राजस्थान नहर को काण्डला पत्तन के साथ जोड़ना	Linking of Rajasthan Canal with Kandla Port ...	71
2209. राज्यों में विद्युत की आवश्यकता	Requirement of Power in States ...	71
2210. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई में अव्यवस्था कम करना और 'लो वोल्टेज' में सुधार करने विषयक समिति	Committee on minimising break downs and improving low voltage conditions in Power Supply in Rural Areas ...	72

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2211.	रेलवे विभाग की नियम पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद	Hindi Translation of Railway Manuals ...	72—73
2212.	दिल्ली और हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस की लाइन पर तोड़-फोड़ की गतिविधियाँ	Sabotage activities on Rajdhani Track between Delhi and Howrah ...	73—74
2213.	पासंकुरा-हल्दिया रेल लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Panskura-Haldia Railway Line ...	74
2214.	इन्दौर रेलवे स्टेशन कैन्टीन के ठेकेदार के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the Canteen contractor of a Canteen at Indore Railway Station ...	74—75
2215.	भारतीय खाद्य निगम को रेलवे द्वारा अदा किया गया मुआवज़ा	Compensation paid by Railway to Food Corporation of India ...	75
2216.	"निर्माण कार्यक्रम" की पूर्ति	Completion of "Works Programme" ...	75—76
2217.	आराह स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर छात्रों की भीड़ द्वारा डाक रेलगाड़ी का रोका जाना	Holding up of a train by a mob of Students at Arrah Station (Eastern Railway) ...	76
2218.	फिरोजपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के स्पेशल एग्ज़ामिनरों को विश्राम सुविधायें	Resting Facilities to Special Train Examiners, Ferozepur Division (Northern Railway) ...	76—77
2219.	पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कनाकूल में बाढ़ों द्वारा हुई क्षति का कारण	Cause of damage by floods in Kanakul, Hooghly District, West Bengal ...	77—78
2220.	केरल से निर्यात बढ़ाने के लिये कार्यवाही	Steps to promote exports from Kerala ...	78
2221.	बेरोजगार इंजीनियरों को निर्माण कार्यों के ठेके देना	Contract of construction works to Unemployed Engineers ...	78
2222.	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बिजली की कमी	Scarcity of power in Eastern Districts of Uttar Pradesh	78—79
2223.	सियालदाह डिवीजन में रविवारों के दिन यात्रियों को लूटा जाना	Looting of passengers in Sealdah Division on Sundays ...	79—80
2224.	हावड़ा, पश्चिम बंगाल के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई जल की कमी	Scarcity of irrigation water in flood affected areas of Howrah, West Bengal ...	80
2225.	रेलवे सामग्री के नीलामी संबंधी विवादों को निपटाने के लिये जोनल रेलों को शक्तियों का प्रत्यायोजन	Delegation of powers to Zonal Railways to deal with disputes over auction on Railway Materials	80—81

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2226.	रेलवे सामग्री के नीलामी नोटिसों में विशेष व्यवस्था	Special Provisions in Auction Notices on Railway Materials ...	81
2227.	छोटी लाइनों को बदलने में प्राथमिकता देना	Priority for Conversion of Narrow Gauges Lines ...	81—82
2228.	तोड़-फोड़ और गाड़ियाँ उलटने के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss to Railways due to Sabotage and derailment ...	82—83
2229.	स्वेज नहर के बन्द होने के परिणाम-स्वरूप आयात और निर्यात पर अतिरिक्त व्यय	Additional expenditure on Imports and Exports due to closure of Suez Canal ...	83
2230.	सिंधु नदी परियोजना में प्रगति	Progress of Sindhu River Project ...	83—84
2231.	उत्तर रेलवे में खपाये गये असिस्टेंट परमानेंट वे-इंसपेक्टर्स की शिकायतें	Grievances of Assistant Permanent Way Inspectors absorbed on Northern Railway ...	84—85
2232.	राणाघाट जंक्शन (पूर्व रेलवे) पर पीने के पानी की कमी	Scarcity of drinking water at Ranaghat Junction (Eastern Railway) ...	85
2233.	केरल में समुद्री कटाव के संबंध में प्रतिवेदन	Report on Sea Erosion in Kerala ...	85
2234.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का विलयन	Merger on National Projects Construction Corporation ...	86
2235.	निचली दामोदर विकास योजना के अधीन डांकुनी नहर की खुदाई	Excavation of Dankuni Canal under Lower Damobar Development Scheme ...	86—87
2236.	चित्तरंजन लोकोमोटिव टाउनशिप के चारों ओर पक्की दीवार का बनाया जाना	Construction of "Pucca" walls around Chittaranjan Locomotive Township ...	87
2237.	केसोराम रेयन्स, हुगली (पश्चिम बंगाल) में तालाबन्दी	Lock out of Kesoram Rayons, Hooghly (West Bengal) ...	87—88
2238.	इस्पात संयंत्रों में पड़े हुए इस्पात की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की कमी	Paucity of Wagons for steel lying with Steel Plants ...	88
2239.	इलायची पुनर्रोपण वित्तीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता	Financial Assistance Sanctioned under Cardamom Replanting Finance Scheme ...	88—89
2240.	इलायची उगाने वालों को प्रोत्साहन देने हेतु राज सहायता	Incentive subsidy to Cardamom Planters ...	89
2241.	रुई के मूल्यों में गिरावट	Slump in price of Cotton ...	89—90
2242.	राजस्थान नहर के लिए निधि	Funds For Rajasthan Canal ...	90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2243.	व्यापारी संघ बम्बई के समक्ष मंत्री का भाषण	Minister's Address to the Merchant Chamber, Bombay	90—91
2244.	मध्य प्रदेश में बन सागर बाँध का निर्माण	Construction of Ban Sagar Dam in Madhya Pradesh ...	91—92
2245.	राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों में कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें	Complaints regarding mismanagement at nationalised textile mills ...	92
2247.	समुद्री तूफानों के कारण लोगों को कष्ट तथा सम्पत्ति को क्षति	Human suffering and loss of property due to Cyclones	92—93
2248.	पश्चिम कोसी नहर परियोजना के बारे में नेपाल के साथ समझौता	Agreement with Nepal *Re*: Western Kosi Canal Project ...	93—94
2249.	राधिकापुर तथा डालिम गाँव स्टेशनों के बीच बारूदी सुरंगों के विस्फोट के कारण एक मालगाड़ी को हुई क्षति	Damage to a goods train due to explosion of mines between Radhikapur and Dalimgaon Stations ...	94—95
2250.	गंगा के कटाव से सहारनपुर में भोगपुर गाँव को खतरा	Danger to Bhogpur Village in Saharanpur by Erosion by Ganga ...	95
2251.	फरक्का टाउनशिप में इलैक्ट्रिक पैकेज प्लान जेनरेटिंग सैट का न चलना	Non-Functioning of Electric Package Plan Generating Set at Farakka Township ...	96
2252.	रेयन फिलामेंट यार्न के मूल्यों का पुनरीक्षण	Revision of prices of Rayon Filament Yarn ...	96
2253.	महानगर परिषद् के निर्वाचनों हेतु मतदाता सूचियों का पुनर्विलोकन	Revision of Electoral Rolls for Metropolitan Council Elections	96—97
2254.	दिल्ली में रेलवे स्टेशनों का निर्माण और विस्तार	Construction/Expansion of Railway Stations in Delhi	98
2255.	स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् केरल में बिछाई गई रेलवे लाइन	Railway Lines Laid in Kerala after Independence ...	98
2256.	कोचीन पत्तन से नारियल जटा से बने सामान के निर्यात में कमी	Slump in Export of Coir Goods from Cochin Port	98—99
2257.	ओलवक्कोट (केरल) स्थित क्राइओं सारटिंग प्लान्ट को बन्द करने के कारण कर्मचारियों की छँटनी	Retrenchment of Workers due to Abolition of Crio Sorting Plant. Olavakkot (Kerala) ...	99
2258.	रूस में भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं तथा रेशमी माल की लोकप्रियता	Popularity of Indian Handicrafts and Silk Materials in U.S.S.R. ...	99
2259.	पश्चिम बंगाल राज्य के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण संबंधी समझौता	Agreement *Re*. Wage Revision of West Bengal State Electricity Board Employees ...	100—101

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2260.	बिजली के उत्पादन के लिए दस-वर्षीय योजना	Ten-Year Plan for Power Production	101
2261.	एपेंडिक्स II-ए परीक्षा (पूर्वी रेलवे) के पश्चात् क्लर्क्स ग्रेड-II की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति	Promotion of Clerks Grade II on Seniority Basis after Appendix IIA Examination (Eastern Railway) ...	101—102
2262.	कैरीज एण्ड वैगंज आफिस, दानापुर डिवीजन (पूर्वी रेलवे) में काम करने वाले अनुसूचिवीय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	Increase in strength on Ministerial Staff of Carriage and Wagons Offices, Danapur Division (Eastern Railway)	102
2263.	नांगल बाँध का पोंग बाँध (तलवाड़ा) रेल द्वारा मिलाया जाना	Linking of Nangal Dam with Pong Dam (Talwara) by Rail ...	103
2264.	दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में व्यापार शिष्टमंडल	Trade Delegation to South East Asian Countries ...	103
2265.	भारत के विदेश व्यापार संबंधी आँकड़े	India's Foreign Trade Statistics ...	103
2266.	पश्चिम बंगाल में ट्रांसमिशन टावर्ज के भागों की चोरी	Theft of parts of Transmission Towers in West Bengal ...	104
2267.	पेरू सरकार के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with Peru Government ...	104
2269.	चाय, काफी, इलायची और रबर का निर्यात	Export of Tea, Coffee Cardamom and Rubber ...	104—105
2270.	खली के निर्यात में कमी होना	Decline in Export of Oil Cakes ...	105
2271.	पोर्टरों के संबंधियों को नौकरी देना	Employment to Relatives of Porters ...	105—106
2272.	रेलवे के पोर्टरों के नियमों में समानता	Uniformity in Rules for Railways Proters ...	106
2273.	रेलवे स्टेशन पर अनुपस्थित रहने वाले पोर्टरों की प्रतिशतता	Percentage of Porters who can absent themselves from a Railway Station ...	106
2274.	कुलियों की यूनियनों को मान्यता देना	Recognition of Unions of Porters ...	106
2275.	उप-रेल मंत्री की अध्यक्षता में समिति	Committee under the Chairmanship of Deputy Railway Minister ...	107
2276.	मालाबार क्षेत्र में रेलवे उपरि पुल	Railway Over Bridges in Malabar Area ...	107
2277.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय को सामान्य प्राथमिकता पद्धति के अन्तर्गत जूट उत्पादों को शामिल करने की पेशकश	E. E. C's Offer to include Jute Products under G. S. P. ...	107—108
2278.	कम कीमत वाले मोटे कपड़े की कमी	Shortage of Low Priced Coarse Cloth ...	108

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2279.	बाढ़ नियंत्रण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई योजना	Plan submitted by West Bengal for Flood Control ...	108—109
2280.	अमेरिका की मदद से सूती कपड़ों के निर्माण के बारे में समिति की स्थापना	Setting up of Committee regarding manufacture of Cotton Fabrics with U. S. help ...	109
2281.	जी० आई० एस० काटन मिल्ज, हुगली (पश्चिम बंगाल) द्वारा कर्मचारियों की जबरन छुट्टी	Lay-off by G. I. S. Cotton Mills, Hooghly (West Bengal) ...	109
2282.	ब्रिटेन द्वारा भारतीय वस्त्रों पर 15 प्रतिशत प्रशुल्क लगाने के निर्णय के बारे में पुन: विचार	Reconsideration of decision *Re*: imposition of 15 per cent tariff on Indian textiles by Britain ...	109—110
2283.	उड़ीसा में समुद्रों तूफान के बारे में चेतावनो देने में विलम्ब	Delay in giving warning about Cyclone in Orissa ...	110—111
2284.	लिमा (पेरू) में "ग्रुप आफ 77" की मीटिंग्ज	Meeting of "Group of 77" at Lima (Peru)	111
2285.	बाढ़ संबंधी मंत्रियों की समिति की सिफारिशें	Recommendations of Ministers Committee of floods ...	111—112
2286.	बुरहानपुर की नावथा-ताप्ती योजना को पूरा करना	Completion of Navatha Tapi Schemes, Burhanpur ...	112
2287.	खंडवा से अजमेर तक बड़ी लाइन	Broad gauge line from Khandwa to Ajmer ...	112
2288.	मध्य प्रदेश में बिजली लगाने में प्रगति	Progress of Electrification in Madhya Pradesh ...	112—113
2289.	मध्य प्रदेश में पन बिजली परियोजना द्वारा सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करना	Irrigation Facility by Hydel Project in Madhya Pradesh	113
2290.	रेलवे डिब्बों का निर्माण	Export of Railway Coaches	113
2291.	विदेशों को रेल वैगनों की सप्लाई	Supply of Railway Wagons to Foreign Countries ...	113—114
2292.	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Shipment of Iron Ore to Japan ...	114
2293.	योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपकरणों का आयात	Import of Equipment to meet Requirements of Power Schemes	115—116
2294.	आयात में वृद्धि होना	Increase in Imports ...	116—117
2295.	अमेरिका से रुई का आयात	Shipment of Cotton from U. S. A. ...	117
2296.	दिल्ली उच्च न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पदों पर भर्ती	Recruitment to posts of Judicial Officers in Delhi High Court ...	117—118
2297.	सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास आयातित कारें	Imported Cars with Government and Public Sector Undertakings ...	118

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2298.	इंडिया यूनाइटिड मिल्स लिमिटेड, बम्बई की चालू हालत में सुधार करने के लिए कार्यवाही	Steps to improve working Condition of India United Mills Ltd., Bombay ...	118—119
2299.	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के जनरल मैनेजर का स्थानान्तरण	Transfer of General Managers of Northeast Frontier Railway ...	119
2300.	पटसन उत्पादकों को संरक्षण	Protection to Jute Growers ...	119—120
2301.	बहुमूल्य कारों का आयात	Import of Luxury cars ...	120—121
2302.	विश्व मंडी में भारतीय वस्त्रों के प्रतियोगी मूल्य निर्धारित करने के लिए कार्यवाही	Steps to make Indian garment prices competitive in World Market ...	121
2303.	रेलवे की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादक एककों की स्थापना	Setting up of manufacturing units to meet Railway Requirements ...	121—122
2304.	जापान से पुरानी कारों का आयात करने का प्रस्ताव	Move to import second-hand automobiles from Japan ...	122
2305.	राज्य विधान सभाओं के चुनाव स्थगित करने के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by Minister of State for Home Affairs regarding postponement of elections to State Assemblies ...	122
2306.	कछार जिले को खाद्यान्न भेजने के लिए रेल डिब्बों का आबंटन	Allotment of Wagons for movement of Foodstuff to Cachar District ...	123
2307.	रेलवे प्रयोक्ता एसोसिएशन, केरल से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation from Railway Users Association, Kerala ...	123
2308.	इडिक्की जल-विद्युत परियोजना को पूरा करना	Completion of Idikki Hydro Electric Project ...	124
2309.	नई रेलवे लाइनों के संबंध में केरल सरकार के प्रस्ताव	Kerala Government Proposals for new Railway Lines	124—125
2310.	केरल में सिचाई परियोजनाएँ	Irrigation Projects of Kerala ...	125—126
2311.	हथकरघों एवं विद्युत चालित करघों का बन्द होना	Closure of Handloom and Powerloom Units ...	126
2312.	ग़ैर सरकारी फर्मों द्वारा लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore by Private Parties ...	126—127
2313.	प्रशासनिक सुधार आयोग की रेलवे के वाणिज्यिक विभाग के कार्यकरण के संबंध में टिप्पणियाँ	Observations on the functioning of Commercial Department of Railways by A. R. C. ...	127

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2314.	विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक और यातायात विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का स्थायीकरण	Meeting of Departmental Promotion Committee and Confirmation of Class I Officers of Traffic Department ...	127—128
2315.	अहमदाबाद स्टेशन पर चाँदी के पार्सल का गायब हो जाना	Parcel containing Silver found missing at Ahmedabad Station ...	128
2316.	रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में टाइपिस्टों की नियुक्ति	Appointment of Typists in Railway Boards' Office	129
2317.	डिवीजनल कार्यालय अजमेर (पश्चिम रेलवे) में कार्य विश्लेषण के आधार पर अतिरिक्त टाइपिस्टों की नियुक्ति	Posting of Additional Typists on basis of Job Analysis in Divisional Office, Ajmer (Western Railway) ...	129—130
2318.	ऋषिकेश, देहरादून में गंगा नदी द्वारा भूमि का कटाव	Erosion by Ganga River in Rishikesh, Dehradun ...	130
2319.	बिहार के गया जिले में भूमि की सिंचाई	Irrigation of land in Gaya District, Bihar	130
2320.	संसद् के मध्यावधि चुनावों में पंजाब राज्य में चुनाव संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या	Number of Employees who performed Election Duties during Mid-term Lok Sabha Poll in Punjab ...	131
2321.	व्यास परियोजना के श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच समझौता	Agreement between the workers of Beas Project and its Management ...	131
2322.	पंचिंग/वैरीफायर मशीनों का आयात	Imports of Punch/Verifier ...	132
2323.	दिल्ली तथा मुरादाबाद (उत्तर रेलवे) के बीच नई रेलगाड़ी चलाना	Introduction of a new train between Delhi and Moradabad (Northern Railway) ...	132
2324.	भारत एवं नेपाल के बीच बाढ़ नियंत्रण संधि	Flood Control Treaty between India and Nepal ...	
2325.	सिगनल वर्कशाप, गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के कर्मचारियों की सेवा समाप्त करना	Termination of services of employees of Signal Workshop, Gorakhpur (North Eastern Railway) ...	133
2326.	यूरोपीय बाजार के संबंध में अखिल भारतीय निर्माता संघ के प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट	Report of delegation of All India Manufacturers Association regarding European Market ...	133
2328.	रेलवे अधिकारियों (पूर्वोत्तर रेलवे) द्वारा धन का अनियमित ढंग से उपयोग	Utilization of money in an irregular manner by Railway Officials (North Eastern Railway) ...	134
2329.	लखनऊ में रेलवे अधिकारियों के बंगलों की सजावट	Decoration of Bungalows of Railway Officials at Lucknow ...	134

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
अलीपुर सैन्ट्रल जेल में राजनीतिक बन्दियों के मारे जाने का समाचार	Reported Killing of political prisoners in Alipore Central Jail ...	134—142
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N Mukerjee	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	
ध्यानाकर्षण सूचनाएँ	Call Attention Notices—	
(प्रक्रिया)	(Procedure)	143
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table ...	143—145
राज्य-सभा से सन्देश	Message From Rajya Sabha ...	145
न्यायालय अधिमान विधेयक	Contempt of Courts Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya-Sabha	145
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings ...	
प्रतिवेदन सारांश	Report and Minutes ...	145
गाड़ी संख्या 7 डाउन पुरी-हावड़ा एक्सप्रैस के पटरी से उत्तर जाने के संबंध में वक्तव्य	Statement *Re.* Derailment of Train No. 7 Down Puri-Howrah Express	146
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	
सीमाओं पर स्थिति के बारे में	Re. Situation on borders ...	146—147
संविधान (पच्चीसवाँ संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill ...	148—166
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	148
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale ...	148—150
श्री समर मुकर्जी	Shri Samar Mukherjee ...	151—152
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve ...	152—153
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Inderjeet Gupta ...	153—155
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat ...	155
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony ...	155—157
श्री विक्रम महाजन	Shri Vikram Mahajan ...	157—158
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody ...	158—159
श्री शंकरराव सावन्त	Shri Shankerrao Savant ...	159
श्री एन० शिवप्पा	Shri N. Shivappa ...	159—161
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri ...	161—162
श्री टी० बालकृष्णैया	Shri T. Balakrishnaiah	162—163
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik ...	163—164
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam ...	164—166
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee—	
सातवाँ प्रतिवेदन	Seventh Report	166

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 30 नवम्बर, 1971/9 अग्रहायण, 1893 (शक)
Tuesday, November 30, 1971/Agrahayana 9, 1893 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

The Lok Sabha met at One minute past Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Improvement in Railway System and Laying of Railway Lines

*333. SHRI JAGANNATHRAO JOSHI :
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether, in the light of the experience during the Indo-Pak conflict in 1965, certain proposals to streamline the Railway services including the laying of new lines to enable to discharge their essential duties more efficiently had come to the notice of Government; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the action taken in the matter ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). 1965 में भारत-पाक संघर्ष के बाद सामरिक दृष्टि से रेल सुविधाओं (जिनमें नयी रेलवे लाइनें शामिल हैं) की व्यवस्था के लिए रक्षा मंत्रालय से प्राप्ति अनुरोधों पर समुचित विचार किया गया है और इन सुविधाओं की तुरन्त और तत्परता से व्यवस्था की गई है। वास्तविक आपातकाल के दौरान भी देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए सवारी और मालगाड़ी सेवाओं का उपयुक्त रूप से नियमन किया जाता है।

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : Mr. Speaker, Sir it was our experience during

the conflict of 1965 that transport bottleneck causes great difficulties. I have, therefore, been emphasising for a long time that Railway lines of the metre gauge whether in North eastern or western sector, should be converted into broad gauge and from Barauni, to Assams and beyond Gauhati......

MR. SPEAKER : You have started a speech.

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : I would like to know the number of new railway lines laid from Barauni to Gauhati in Northeastern region and towards Jaisalmer. Barmer in western region.

श्री के० हनुमन्तैया : इसमें दो बातें आती हैं। एक ओर रक्षा उद्देश्य के लिए और दूसरी ओर यात्रियों तथा असैनिक सामान के लिए रेल लाइनों का बिछाया जाना। माननीय सदस्य ने रक्षा उद्देश्य के विषय को लेकर प्रश्न किया है, इस विषय की ओर हम ध्यान देते रहे हैं। दूसरे विषय के संबंध में एक सुनिश्चित योजना बनी हुई है और उसके अंतर्गत बहुत सी रेल लाइनें आती हैं। यदि माननीय सदस्य जानना चाहें तो उनके नाम अलग-अलग बताये जा सकते हैं।

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : There have been four Rail Ministers since 1966 to date and despite the fact that more rail lines were required to be laid for defence purposes even today it is said that we are attentive. I would, at least, like to be assured about the time by which these lines for defence purposes will be laid ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि रक्षा उद्देश्यों के मामलों पर पूरा ध्यान दिया जायेगा और रक्षा के लिए प्रत्येक सुविधा चाहे लाइन बिछाने के संबंध में हो अथवा स्टेशन खोलने के संबंध में प्रदान, की जायेगी।

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : Mr. Speaker, Sir, my question has not been replied to. I have asked, whether some new rail lines have been laid and if so, their name and if not, the reason therefor ? I would like to have an assurance in this regard.

अध्यक्ष महोदय : क्या गत भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात रक्षा उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए कोई नई रेल लाइन बिछाई गयी है ?

श्री के० हनुमन्तैया : पोकरण-जैसलमेर की नैरो गेज लाइन बनाई गई है। जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उनमें से पहला सुझाव जैसलमेर तक अथवा पोकरण तक बड़ी लाइन बनाने का है। अनेकों विकल्पों पर विचार करने के बाद भटिंडा से जैसलमेर तक बड़ी लाइन बिछाना सबसे मितव्ययी पाया गया है। 620 किलोमीटर लम्बी लाइन बनाये जाने का प्रस्ताव है और इस पर 33 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। दूसरी, कोलायत से फलावदी तक एक मीटर गेज लाइन बनायी जायेगी। यह 110·28 किलोमीटर लम्बी लाइन है और इस पर 3·68 करोड़ रुपये व्यय आयेगा। इनके पश्चात् दूसरी लाइनों के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : My question has again not been answered. I had deliberately asked about Assam because our border there is very much sensitive. There we are doing survey work, but I want an assurance regarding the time when this work will be completed.

श्री के० हनुमन्तैया : योजना प्रारूप में बोंगाईगाँव से गोहाटी तक की लाइन को बदलना सम्मिलित कर लिया गया है । उसके लिए धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए । जैसाकि माननीय सदस्य को जानकारी है रेलवे बहुत सी नई लाइनें बिछाना चाहती है तथा बहुत सी लाइनों को बदलना चाहती है । ये सभी प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन हैं ।

श्री डी० एन० तिवारी : पूर्वोत्तर रेलवे में, सोनपुर की बजाय समस्तीपुर में डिवीज़न कार्यालय होने के कारण लखनऊ से असम तक की लाइन पर गड़बड़ी रहती है और रेलों का आना-जाना बहुत अनियमित रहता है । इस लाइन पर रेलों के नियमित रूप से आने-जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, जिससे आवश्यक सप्लाई तुरन्त भेजी जा सके ।

श्री के० हनुमन्तैया : यह एक अलग प्रश्न है ।

श्री डी० एन० तिवारी : प्रश्न गत युद्ध की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे में सुधार करने का है । मेरा प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है कि पूर्वोत्तर रेलवे में असम के लिये रेल सेवा बहुत अनियमित है । इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का तात्पर्य यह है कि यह भी उसी लाइन के एक भाग से संबंधित है । आपने इस क्षेत्र में रेल सेवा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री के० हनुमन्तैया : मेरे माननीय मित्र को पता है कि इस लाइन पर गड़बड़ी बिहार और बंगाल में फैली आपराधिक स्थिति के कारण है । इसी कारण से रेलें देर से आती-जाती हैं । अन्य क्षेत्रों में रेलें समय पर आती-जाती हैं । पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में नियमित रूप से निरन्तर अपराध हो रहे हैं अतः इस स्थिति के लिए इस वातावरण को दोषी ठहराना चाहिये न कि रेलवे को ।

श्री डी० एन० तिवारी : मेरा प्रश्न पूर्वोत्तर रेलवे में सुविधा प्रदान करने के संबंध में है······

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न यह था कि गत युद्ध के अनुभव के आधार पर कौन सी नई रेल लाइनें बिछाई गयी हैं अथवा वर्तमान रेल लाइनों में क्या सुधार किये गये हैं ।

श्री डी० एन० तिवारी : मैंने इसी संबंध में पूर्वी सीमा पर असम तक जाने वाली रेल लाइन के विषय में प्रश्न किया है ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जब हाल ही में वह हैदराबाद गये थे तब क्या उन्हें तेलंगाना निवासियों से उस क्षेत्र में नई लाइनें बिछाने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वहाँ कोई नई लाइन नहीं बिछायी गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है जो इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है ।

मूल प्रश्न, विशिष्ट रूप से गत भारत-पाक युद्ध के अनुभव के आधार पर नई लाइनों के विषय में है ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मंत्री महोदय को इस संबंध में कुछ कहने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : जब यह प्रश्न से संबद्ध नहीं है तब मंत्री महोदय को क्यों कुछ कहना चाहिये ।

श्री विश्व नारायणशास्त्री : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये नई लाइनें बिछाने तथा वर्तमान लाइनों में सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता है, क्या गोहाटी की मीटरगेज लाइन को जो वर्तमान समय में फरक्का से बोंगाईगाँव तक है, बदलने तथा भारत के सुदूर पूर्व भाग, उत्तर रंगपाड़ा से पुरुकांगेहेलक तक लाइन को सुदृढ़ बनाने का कोई प्रस्ताव है ।

श्री के० हनुमन्तैया : रेलवे की योजना के अन्तर्गत बोंगाईगाँव से गोहाटी तक की लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना सम्मिलित कर लिया गया है ।

SHRI JHARKHANDE RAI : I would like to know, whether in view of the experience o last Indo-Pak conflict, the Government have decided to convert all the narrow gauge lines, particularly linked with border areas into broad gauge lines ? If so, whether the Minister is considering the assurance given by his predecessor, Dr. Ram Subhag Singh that Lucknow-Gorakhpur line and the line from Gorakhpur to Varanasi, particulary the Gorakhpur line linked with Nepal border, would be converted into broad gauge lines ? If so, by what time these lines would be converted ?

श्री के० हनुमन्तैया : जहाँ तक रक्षा उद्देश्यों का प्रश्न है जब रक्षा विभाग द्वारा कोई अनुरोध किया जाता है तो उसे पूरा किया जाता है । जहाँ तक अन्य लाइनों का प्रश्न है, मैं कोई समय सीमा नहीं बता सकता । सदस्यों को पता है कि योगना आयोग को निर्माण आरम्भ होने से पहले राशि उपलब्ध करानी पड़ती है और यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।

महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मत पेटियों का बलपूर्वक हटा लिया जाना

*334. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत लोक-सभा निर्वाचन के समय महेन्द्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के दुधवा मतदान केन्द्र पर मतदान वाले दिन मतपेटियों को बलपूर्वक हटा लिया गया था, और मतदान अधिकारियों पर हमला किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्वाचन कानून के अन्तर्गत संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हाँ, एक मत पेटी पीठासीन आफिसर की अभिरक्षा से बलपूर्वक ले ली गई थी किन्तु किसी भी मतदान कर्मचारी पर हमला नहीं किया गया था ।

(ख) रिटर्निंग आफिसर ने इस मामले की रिपोर्ट थाना आफिसर चरखी दादरी के यहाँ की थी । चूँकि जाँच करने वाला आफिसर अपराधियों का पता नहीं लगा सका और उन्हें पकड़ नहीं सका, इसलिए मामले को, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट, दादरी के आदेश के अनुसार ऐसे मामले के रूप में फाइल कर दिया गया, जिसका पता नहीं लग सका ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या निर्वाचन आयोग ने इस शिकायत के बारे में कोई जाँच कराई है कि रिटर्निंग आफिसर, जो स्वयं डिप्टी कमिश्नर था, इस मामले को फाइल करने के लिये उत्तरदायी था, और बलपूर्वक मत पेटियों के हटाने की घटना के पश्चात उसी रिटर्निंग आफिसर ने इस ग्राम का दौरा किया था तथा ग्रामवासियों को आश्वासन दिलाया था कि यदि उन्होंने समाज के दुर्बल वर्ग को कांग्रेस के विरुद्ध मतदान करने से रोका तो ऐसा करने से अपराधियों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं होगा ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : जहाँ तक हमें जानकारी है, निर्वाचन आयुक्त से ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या यह सच है कि मैंने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री को व्यक्तिगत रूप में ऐसी शिकायत दी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा सच है जिसके विषय में आप ही सबसे अधिक जानते हैं । मंत्री महोदय को इस बात का पता नहीं है केवल आप ही को जानकारी है । यह विवादास्पद मामला है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : सदन में गलत वक्तव्य दिया गया है ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैंने बताया है कि निर्वाचन आयुक्त से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : गृह मंत्री से ऐसी शिकायत की गई थी ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : It has been stated just now by the hon. Minister that the people, who had forcibly removed the ballot boxes, could not be apprehended. I would like to know whether any of the culprit who had taken away ballot boxes was arrested and who were these culprits and to which party they belonged ?

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : Statements of all the officers posted on the polling station have been recorded. Neither could they tell nor identify anybody positively. How can anybody be apprehended in this situation ?

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Was there no police personnel ?

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : Statements of the police personnel had also been recorded.

प्रत्येक राज्य की राजधानी से दिल्ली के लिए सीधी रेलगाड़ियों का चलाया जाना

*336. **श्री निहार लास्कर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य की राजधानी से दिल्ली के लिये सीधी रेलगाड़ियाँ चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार देश में सवारी गाड़ी व्यवस्था को कब तक युक्तिसंगत बनायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) महोदय, केन्द्र की राजधानी को सीधी तेज रेल सेवा द्वारा राज्यों की राजधानियों से जोड़ना स्वीकृत नीति है। बंगलौर को छोड़कर राज्य सरकारों की अन्य सभी राजधानियाँ, जहाँ बड़े आमान की रेलवे लाइनें हैं, दिल्ली से सीधी रेल सेवा द्वारा संबद्ध हैं। बंगलौर के लिए दो सीधे आने-जाने वाले डिब्बे लगते हैं। श्रीनगर और शिलांग के लिए रेलवे के साथ-साथ रेल शीर्ष तक सीधी बस सेवाओं की व्यवस्था है। शिमला जो कि छोटी लाइन पर स्थित है, बड़ी लाइन और छोटी लाइन, दोनों प्रकार की सीधी रेल सेवाओं से संबद्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री निहार लास्कर : यह प्रश्न प्रत्येक राज्य की राजधानी से दिल्ली के लिये सीधी रेल-गाड़ियाँ चलाये जाने के संबंध में है। मंत्री महोदय के उत्तर से मैं समझ पाया हूँ कि मीटर और छोटी लाइनें भी वहाँ पर हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सारे राज्यों की राजधानियाँ दिल्ली से कब तक सीधी जोड़ी जायेंगी और क्या सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाये हैं।

श्री के० हनुमन्तैया : मैं कह चुका हूँ कि यह हमारी स्वीकृत नीति है कि सभी राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ दिया जाये।

श्री निहार लास्कर : उस स्वीकृत नीति को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या उस नीति को कार्यरूप देने के लिये कोई ठोस कदम उठाये गये हैं ?

श्री के० हनुमन्तैया : उत्तर से स्पष्ट है कि उनका दिल्ली से सीधा सम्पर्क है। प्रश्न केवल यह है कि राज्यों की राजधानियों में बड़ी लाइनें होनी चाहियें। बड़ी लाइन के बदलने के लिये धन चाहिये।

श्री निहार लास्कर : फरक्का पुल खोल दिया गया है और असम का दिल्ली से अब सीधा सम्पर्क हो जायेगा। रेलवे प्रशासन फरक्का पुल से होकर असम मेल चलाने में विलम्ब क्यों कर रहा है ? इस संबंध में क्या कठिनाई है ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ । मैं पता करूँगा कि क्या कठिनाई है। हमारी भी यही इच्छा है।

श्री ज्योतिर्मय बासु : क्या मंत्री महोदय के पास राजधानी एक्सप्रैस के तीसरे दर्जे में 3-टायर स्लीपर कोच लगाने की कोई योजना है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ने के संबंध में है। आप स्लीपर के बारे में कभी और पूछें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह प्रश्न राजधानी एक्सप्रैस, जो कलकत्ता को दिल्ली से जोड़ती है, के बारे में है। मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं इसकी स्वीकृति नहीं देना चाहता हूँ ।

श्री विश्व नाथ राय : दिल्ली से लखनऊ तथा लखनऊ से दिल्ली के बीच भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूँ कि दिल्ली से लखनऊ तक कोई नई ट्रेन चलाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न राज्य राजधानियों को दिल्ली से जोड़ने के संबंध में है, नई ट्रेनें चलाने के बारे में नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : इस घोषणा तथा सरकार की राज्य-राजधानियों को दिल्ली से जोड़ने संबंधी नीति के फलस्वरूप क्या फरक्का पुल के खोले जाने के बारे में सरकार असम मेल द्वारा असम को भागलपुर होकर दिल्ली से जोड़ने का विचार कर रही है और, यदि हाँ, तो कब से ?

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य ने मुझे अपने विचार भी भेजे हैं, जिन पर मैं विचार कर रहा हूँ। मैं एक या दो दिन में उन्हें उत्तर दे दूँगा।

श्री डी० बसुमतारी : क्या यह सच नहीं है कि रेल मंत्री महोदय ने राज्य मंत्री के साथ पिछले महीने की 11 तारीख को फरक्का पुल खोला था और स्पष्ट कहा था कि आसाम मेल फरक्का होकर शीघ्र ही चलनी शुरू हो जायेगी ? यदि हाँ, तो राज्य की राजधानी को फरक्का पुल होकर दिल्ली से जोड़ने में क्या कठिनाई है ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ ।

SHRI BHAGIRATH BHANWAR : The hon. Minister has stated that the trains will be run to connect all the state capitals with Delhi. An assurance was given a few days earlier to run Rajdhani Express between Bombay and Delhi.

MR. SPEAKER : The question does not relate to Rajdhani Express. It relates to the direct trains.

श्री ज्योतिर्मय बसु : राजधानी एक्सप्रैस गाड़ियाँ राज्यों की राजधानियों का केन्द्रीय राजधानी से सम्पर्क बना रही हैं···(**व्यवधान**)

SHRI BHAGIRATH BHANWAR : I want to know about the proposal to connect the state capitals with Rajdhani Express trains. What is the basis on which priorities have been fixed in this regard ?

MR. SPEAKER : It has already been stated in the reply.

श्री एन० शिवप्पा : सीधी ट्रेनों द्वारा राज्यों की राजधानियों को केन्द्रीय राजधानी से जोड़ने संबंधी स्वीकृत नीति को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि बंगलौर से दिल्ली के बीच बृंदावन एक्सप्रैस चलाने में क्या कठिनाई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बिलकुल ठीक है ।

श्री के० हनुमन्तैया : मद्रास और दिल्ली के बीच की लाइन क्षमता एक कठिनाई है । यह प्रश्न हल होने से पहले हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न ने बहुत समय ले लिया है । अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं ।

रिट जारी करने के संबंध में न्यायालयों की शक्तियाँ सीमित करने का प्रस्ताव

*337. **श्री एन० ई० होरो** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसा कोई कानून बनाने का विचार कर रही है जिससे कि लोगों द्वारा किए गये विभिन्न आर्थिक अपराधों की जाँच के मामलों में रिट जारी करने की न्यायालयों की शक्तियाँ सीमित की जा सकें; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री नीतिराज सिंह चौधरी**) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एन० ई० होरो : सरकार ने इस सभा में तथा बाहर कई बार कहा है कि न्यायालयों के कार्यों के बारे में वह संतुष्ट नहीं है और इसी कारण धन संबंधी अपराधों के बारे में वह अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाते हैं । अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार केवल कथनी में ही विश्वास करती है अथवा उसका विचार न्यायालयों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिये कोई विधान बनाने का है ? क्या सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी ?

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : सामाजिक और धन संबंधी अपराधों के लिए कड़ा दंड देने की व्यवस्था करने का प्रश्न विधि आयोग को भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है ।

श्री एन० ई० होरो : ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न पर पुन: विचार करेंगे क्योंकि हम सुनते रहते हैं कि न्यायालय का कार्य ठीक नहीं होता है तथा सरकार शिकायत करती रहती है कि न्यायालय अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं बता चुका हूँ कि प्रश्न विधि-आयोग को भेजा जा चुका है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : कुछ संसद सदस्य हमेशा न्यायालयों की स्वतन्त्रता पर रोक लगाने की माँग करते आये हैं । क्या मंत्री महोदय ऐसी गतिविधियों पर रोक लगा रहे हैं या नहीं ? मैं यही जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या प्रश्न है ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हर समय, हर सदस्य सरकार को कुछ न कुछ सुझाव देता रहता है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछने के लिए कह सकता हूँ ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मुझे कुछ कहने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह संगत प्रश्न नहीं है । आप राय पूछ रहे हैं । राय जानना प्रश्न का उद्देश्य नहीं होता है ।

SHRI RAM CHANDRA VIKAL : How much time will the Law Commission take ?

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : We are trying to get the report as early as possible.

अध्यक्ष महोदय : श्री सरोज मुखर्जी — अनुपस्थित

देश में अन्तर्राज्यीय विद्युत ग्रिड प्रणाली

*339. **श्री के० लकप्पा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्तर्राज्यीय विद्युत-ग्रिड प्रणाली के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस प्रणाली से उद्योग, कृषि तथा खानों के लिये विद्युत सप्लाई किये जाने की कोई संभावना है;

(ग) यदि हाँ तो प्रत्येक संबंधित राज्य को कितनी बिजली देने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस विद्युत प्रणाली से किसानों को सस्ते दामों पर बिजली सप्लाई करने का है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्तमान स्थिति उपबंध में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1178/71.]

(ख) और (ग). आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में बिजली प्रणालियां आपस में जुड़ी हुई हैं और सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को राज्य के ग्रिड से विद्युत की सप्लाई की जाती है। असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के शेष राज्यों में पृथक्-पृथक् प्रणालियों से विद्युत की सप्लाई की जाती है।

उड़ीसा को छोड़कर, प्रत्येक राज्य में समरूप कृषि टैरिफ लागू किए गए हैं। उड़ीसा में डीज़ल सेटों द्वारा सेवित क्षेत्र उत्तरोत्तर ग्रिड प्रणाली के अंतर्गत लाए जा रहे हैं ताकि समरूप कृषि टैरिफ लागू किए जा सकें। कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्तमान कृषि टैरिफ सामान्यतः सप्लाई की लागत से कम है।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यह अनुपूरक प्रश्न ही होना चाहिये, भाषण नहीं।

श्री के० लकप्पा : प्रश्न के (घ) भाग में मैंने पूछा था कि "क्या सरकार का विचार इस विद्युत प्रणाली से किसानों को सस्ते दामों पर बिजली सप्लाई करने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?" मंत्री महोदय द्वारा दिये गये विवरण में इस संबंध में कोई कारण नहीं बताये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि कारण क्या हैं ? ऐसा उपाय क्यों नहीं किया जाता जिससे किसानों तथा देश के गरीब वर्गों को सस्ते दामों पर बिजली मिल सके ? इसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : विवरण में कहा गया है कि अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं की अपेक्षा कृषि कार्यों के लिये बिजली सस्ते दामों पर दी जाती है। देश भर में समान दर लागू करना संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न ग्रिड तथा प्रणालियाँ आपस में मिली हुई नहीं हैं और विद्युत जनन भी कई प्रकार से होता है। अतः दरें 10 से लेकर 19 पैसों तक हैं।

श्री के० लकप्पा : विभिन्न राज्यों में बिजली की वर्तमान व्यवस्था, जिसका जिक्र विवरण में भी हुआ है, के कारण देश भर में एक प्रकार का पक्षपात किया गया है क्योंकि बड़े व्यापार-गृहों को बिजली सस्ती दरों पर दी जाती है। उदाहरण के लिये मैसूर राज्य को लीजिये। वहाँ कम दरों पर बिजली बिड़ला प्रतिष्ठानों को दी जाती है जबकि किसानों को अधिक दरों पर दी जाती है। क्या सरकार इसकी सुव्यवस्था करेगी ? क्या मंत्री महोदय इसकी जाँच करेंगे और सारी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि गरीब किसानों की अपेक्षा

व्यापार गृहों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सस्ते दामों पर बिजली दी जा रही है ? क्या मंत्री महोदय,इस पर विचार करेंगे कि गरीबों तथा किसानों को सस्ती दरों पर बिजली मिल सके ? सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ? इन बातों की जाँच करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ? हमें अब तक बिजली से कोई लाभ नहीं हुआ है। कई परियोजनाएं चल रही हैं, शारावति, कावेरी, आदि-आदि। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वे इन बातों की जाँच करेंगे। देश के गरीब लोगों के साथ भेदभाव करना बन्द होना चाहिये। मंत्री महोदय को यह भी आश्वासन देना चाहिये कि क्या वे इसकी शीघ्र ही सुव्यवस्था करेंगे और गरीब लोगों को सस्ती दरों पर बिजली देने की व्यवस्था करेंगे। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० के० एल० राव : सरकार शीघ्र से शीघ्र ग्राम्य विद्युतीकरण के लिये बहुत इच्छुक है। वास्तव में इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गये हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि सारे किसान गरीब हैं। अमीर किसान पम्पसैटों आदि का उपयोग कर रहे हैं । दिल्ली में ग्राम्य विद्युतीकरण पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूँगा कि वहाँ जायें और देखें कि हमने कितनी प्रगति की है।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न यह था। बड़े-बड़े औद्योगिक वर्ग बिजली का सस्ती दरों पर उपयोग कर रहे हैं। क्या वे इसकी जाँच करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिये। आप इतना लम्बा अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं कि आप स्वयं ही उसमें खो जाते हैं।

श्री के० लकप्पा : मेरा प्रश्न तो बड़ा ही साधारण और स्पष्ट है।

डा० के० एल० राव : जैसा कि मैं अनेक बार यहाँ सभा में कह चुका हूँ, ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए उसी दर पर विद्युत देना संभव नहीं है अर्थात् पम्पिंग सैटों के लिये, जिस दर पर कि औद्योगिक एककों को दी जाती है। इसके कारण इस प्रकार हैं: ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की खपत बहुत कम होती है। वे क्षेत्र एक-दूसरे से बहुत दूर-दूर स्थित हैं और विद्युत सारे वर्ष तक उपयोग में नहीं लाई जाती जबकि कुछ बड़े उद्योग तो सारे वर्ष विद्युत की खपत करते रहते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं; और इसीलिए परिषण लाइनों आदि पर बहुत कम खर्च होता है। इसलिये, हमारा प्रयास तो रहता है कि ग्रामीय विद्युतीकरण की दरें यथासंभव कम रहें, परन्तु हम ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि कृषि कार्यों पर विद्युत का खर्च इतना नहीं रहता है कि हम उन्हें बड़े उद्योगों से सस्ती दरों पर विद्युत दे सकें।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मेरा अनुपूरक प्रश्न विवरण के (घ) भाग से संबंधित है। उड़ीसा में ग्रामीय विद्युतीकरण की बहुत कम प्रगति की दृष्टि से, क्या मैं जान सकता हूँ कि कुछ क्षेत्रों में डीजल सैटों का प्रयोग होता है जिससे कि देश में टेरिफ दरें अत्यधिक रहती हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीय विद्युतीकरण के लिये राज्य सरकारों को बड़ी मात्रा में सहायता देने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो अन्तर्राज्य ग्रिड प्रणाली से संबंधित है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मेरा अनुपूरक प्रश्न विवरण के (घ) भाग के बारे में है। यह बात मैंने आरम्भ में ही काफी स्पष्ट कर दी है। उक्त भाग में उड़ीसा राज्य का विशेष रूप से उल्लेख है। यह प्रश्न पूछने का मुझे पूरा-पूरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केवल अन्तर्राज्य ग्रिड प्रणाली के बारे में है। यदि मंत्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं, तो दे दें।

डा० के० एल० राव : यह सच है कि उड़ीसा राज्य में ग्रामीय विद्युतीकरण की देश भर में सबसे कम प्रगति हुई है। इस तथ्य से हम पूरी तरह अवगत हैं। हम इसे यथासंभव प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं और उड़ीसा से जितनी भी योजनायें प्राप्त हुई हैं उन्हें ग्रामीय विद्युतीकरण निगम ने स्वीकृति दे दी है, और इस बारे में हमने अलग से भी, यहाँ तक कि पारेषण लाइनों पर लागत को ग्रामीय विद्युतीकरण निगम की निधि में से वहन करने का प्रयास किया है और मुझे आशा है; कि अगले कुछ वर्षों में हम उड़ीसा को देश के अन्य राज्यों के समानान्तर ला सकेंगे।

SHRI B. P. MAURYA : All are aware that the Birlas are dominant every where. This is so even in Uttar Pradesh. Will the Government, therefore, lay down the same rates for power to the tube-wells in U. P. at which they are providing it to the Birlas ? U. P. is quite backward among other states as regards electrification *vis-a-vis* its population. What efforts are being made to provide electricity to U. P. to meet its requirements ?

डा० के० एल० राव : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कृषि कार्यों के लिए औद्योगिक एककों से सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करना संभव नहीं है।

श्री बी० पी० मौर्य : यदि सस्ती नहीं तो उनके बराबर ही सही।

डा० के० एल० राव : बराबर होना भी संभव नहीं है। इस समय तो कृषि कार्यों के लिए बिजली बड़े औद्योगिक एककों की दरों के बराबर दरों पर देना संभव नहीं है। उदाहरणार्थ, अल्यूमीनियम उद्योग को अनिवार्य रूप से सस्ती दरों पर बिजली देनी पड़ेगी क्योंकि इस उद्योग में भारी मात्रा में तथा बड़े ही नियमित ढंग से बिजली की खपत होती है जबकि दूर-दूर स्थित गाँवों में सारे वर्ष कुल 1000 या 2000 घण्टे ही बिजली का उपयोग होता है, और इसीलिए आर्थिक दृष्टि से इतनी सस्ती दरों पर वहाँ बिजली दे सकना संभव नहीं है। हालांकि हमारा उद्देश्य है कि हम कृषि कार्यों के लिए यथासंभव सस्ती बिजली दें परन्तु वस्तुत: हम ऐसा नहीं कर पाते। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कृषि पम्पिग सेटों के लिये बिजली की दरें बहुत अधिक हैं। मैंने इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से कई बार बात-चीत की है और एक बार फिर भी उनसे कहने का विचार है कि वे वर्तमान दरों को कुछ कम करें।

आसाम मेल और टाटा एक्सप्रेस का पटना सिटी स्टेशन पर रुकना

*340. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम मेल और टाटा एक्सप्रेस आदि गाड़ियाँ पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती हैं; और

(ख) क्या पटना सिटी स्टेशन से जाने और आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार का विचार इन गाड़ियों को उस स्टेशन पर रोकने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). महोदय, पटना सिटी स्टेशन पर इस समय हर दिशा से 16 सवारी गाड़ियाँ जिनमें 7 जोड़ी मेल/एक्सप्रैस गाड़ियाँ भी शामिल हैं, आती-जाती हैं। इस स्टेशन पर इस समय जितना यात्री-यातायात हो रहा है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये गाड़ियाँ पर्याप्त पायी गयी हैं। अत: अन्य 2 मेल/एक्सप्रैस गाड़ियाँ अर्थात् असम मेल और टाटा एक्सप्रैस को इस स्टेशन पर ठहराने का अभी कोई औचित्य नहीं है।

SHRI R. P. YADAV : Patna is the birth-place of Guru Govind Singh and it is a very important place for Sikhs. So, may I know whether the Government are contemplating to arrange for the stoppage of these trains there ?

Also, is it a fact that the Gurudwara authorities there have recommended to change the name of Patna City Railway Station to Patna Sahib, and have also written to him in this regard ? If so, what action has been taken in this behalf; and if no action has been taken, the reasons therefor ?

श्री के० हनुमन्तैया : जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, पटना में सिक्ख गुरु के प्रति मेरे मन में भी उतनी ही श्रद्धा है जितनी कि माननीय सदस्य के मन में है। वस्तु-स्थिति यह है कि यदि ये गाड़ियाँ पटना सिटी स्टेशन के स्थान पर पटना जंकशन पर भी रुकें, तो भी दोनों के मध्य केवल 10 किलोमीटर का फासला होने से कोई विशेष असुविधा नहीं होती।

जहाँ तक नाम बदलने का संबंध है, यह कार्य राज्य सरकार का है कि वह कानून के अनुसार उसका नाम बदले।

SHRI R. P. YADAV : My question has not been replied to. I wanted to know whether the authorities have had any correspondence with him regarding the change of name to Patna Sahib ?

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न है कि क्या उन्होंने पटना साहेब नाम रखने के लिये रेलवे बोर्ड को लिखा है।

श्री के० हनुमन्तैया : मुझे ऐसी ख़तो-किताबत का कोई पता नहीं है। मैं पता लगाऊँगा।

SHRI PANNA LAL BARUPAL : I had given certain basic suggestions to the hon. Minister. One of them was that the Assam Mail should start from old Delhi instead of New Delhi. In case no platform is available at Old Delhi, let it run *via* New Delhi and Ghaziabad. Most of the soldiers from Rajasthan, Haryana and Punjab reach Old Delhi and then they are compelled to go to New Delhi. There is a good arrangement for rest house in Old Delhi whereas it is not so in New Delhi. They have to travel by taxis or tongas with the luggage upto New Delhi and have to spend a lot for that, besides facing other inconvenience. Also, sometimes their luggage is stolen away. So, I want to know whether instead of starting

this train from New Delhi Railway Station they would arrange for its departure from Old Delhi Junction *via* Ghaziabad ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री के० हनुमन्तैया : मेरे पास उपलब्ध जानकारी यह है कि वस्तुत: वहाँ से बहुत कम यात्रियों की बुकिंग होती है जो कि 6 और 1 के अनुपात में है। इसलिये वहाँ स्टॉप बनाना संभव नहीं है।

SHRI SHANKER DAYAL SINGH : There are two important stations, Danapur and Patna City on either side of Patna Junction. Only a few trains stop at Patna City and we have demanded for the stoppage of Tata Express and other trains there. Because of Hari Mandir there, that place is of national and international importance. Will, therefore, arrangements be made for the stoppage of other trains also at the time of preparing next railway time-table ? How can there be bookings at a place where the trains do not stop ? All the people from Patna City come to Patna Junction to catch the trains.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका उत्तर दे रहे हैं। यदि गाड़ी वहाँ रुकती नहीं है तो फिर बुकिंग किसलिये होगी ?

श्री के० हनुमन्तैया : जिस दिशा में 85/86 असम मेल 87/88, दक्षिण बिहार एक्सप्रैस गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें पटना सिटी से दिल्ली तथा टाटानगर के लिये यात्रियों की बुकिंग की जाती है। 85/86 असम मेल का उद्देश्य 7/8 तूफान एक्सप्रैस भी पूरा कर देती है क्योंकि दिल्ली को तथा दिल्ली से यात्रा के इसके समय भी वही हैं। दूसरी यात्रीगाड़ियों के यात्रियों के आधार पर गणना की जाती है।

SHRI RAM SAHAY PANDEY : This question refers to one train named Tata Express. May I know what is the importance of this name. Why has it been named as Tata Express. This name should be changed.

विदेशों में भारतीय चाय की लोकप्रियता में कमी

\+
*342. **श्री सत पाल कपूर** :
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय चाय की लोकप्रियता कम हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें किस सीमा तक कमी हुई है; और

(ग) इसे फिर लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय ने बड़े ही विशिष्ट ढंग का उत्तर दिया है। फिर भी आपकी अनुमति से मैं प्रश्न पूछता हूँ। क्या मंत्री महोदय सभा को बतायेंगे कि वर्ष 1951 में तथा वर्ष 1971 में भारत से विश्व के कुल निर्यात की तुलना में कितने प्रतिशत चाय का निर्यात हुआ ?

दूसरे, वर्ष 1951 तथा 1970 में, भारतीय चाय के प्रमुख आयातकर्त्ता ग्रेट ब्रिटेन को, मूल्यों में नहीं वरन् मात्रा में, कुल कितनी चाय का निर्यात किया गया ?

श्री एल० एन० मिश्र : मेरे पास जो आँकड़े हैं, वे वर्ष 1966 से हैं, वर्ष 1951 से नहीं।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्यों ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस समय मेरे पास केवल 6 वर्ष के आँकड़े हैं। उनके आधार पर मैं कहूँगा कि वर्ष 1969 में हमने 121·54 करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया और गत वर्ष 148·82 करोड़ रुपये के मूल्य का। वह ब्रिटेन को किए गए निर्यात का ब्यौरा चाहते थे। मेरे पास देश-वार आँकड़े नहीं हैं। परन्तु मैं कहूँगा कि ब्रिटेन को हमारे निर्यात में कमी हुई है।

श्री बी० के० दास० चौधरी : मंत्री महोदय द्वारा बताये गये मूल्य के हिसाब से भी यह स्पष्ट है कि वर्ष 1966 से 1969 के बीच हमारी चाय के निर्यात में कमी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : केवल ब्रिटेन के मामले में न कि समूचे रूप से ।

श्री बी० के० दास चौधरी : समूचे तौर पर भी क्योंकि उन्होंने अन्य आँकड़े भी दिये हैं। 148·82 करोड़ रुपये जैसा कि उन्होंने कहा है, अन्तिम वर्ष के आँकड़े हैं। 121 करोड़ रुपये और 148 करोड़ रुपये में अन्तर है। मैं रुपये के रूप में नहीं वरन् मात्रा में कुल निर्यात के बारे में जानना चाहता था क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि क्या विदेशों को हमारी चाय के निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई है। मेरे विचार से हमारी चाय अब लोकप्रिय नहीं रही (**व्यवधान**) क्या कारण था इसका, विश्व के अन्य देशों की चाय की तुलना में हमारी चाय लोकप्रिय क्यों नहीं है जबकि चाय बोर्ड ने लंदन में एक शो-रूम भी खोला है और वे लंदन में कुछ चाय बेच भी रहे हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : लंदन में हमारा एक चाय केन्द्र है और उसका उद्देश्य प्रचार करना तथा भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाना है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि भारत से चाय का निर्यात वर्ष 1969 में 1687 लाख किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 1970 में 2084 लाख किलोग्राम हो गया अर्थात् 397 लाख किलोग्राम की वृद्धि हुई है। चाय के निर्यात का मूल्य भी वर्ष 1969 के 121·54 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1970 में 148·82 करोड़ रुपये हो गया। आगामी वर्षों में भी हम और अधिक निर्यात करेंगे।

SHRI SATPAL KAPOOR : Will the hon. Minister state whether it is a fact that 30 out of 100 tea gardens have been closed and secondly, whether we are not able to capture new

markets in the world and whether other countries like Pakistan and Ceylon are forward in capturing new markets ?

SHRI L. N. Mishra : As regards world market, it is not true to say that we have no place there and that other countries are ahead of us. As regards Pakistan, she does not export tea; Ceylon does it, and recently we have entered into a joint agreement with Ceylon under which both are having 50 percent quota. Thus the competition with Ceylon would end.

श्री ज्योतिर्मय बसु : पाँचवीं लोक सभा के प्रथम सत्र में उनके द्वारा यह आश्वासन दिये जाने के बावजूद कि चाय निगम 5 या 6 सप्ताहों के भीतर अपना कार्य आरम्भ कर देगा, यह निगम क्यों नहीं गठित हुआ तथा इसने कार्य करना आरम्भ क्यों नहीं किया ? यह निगम कब तक कार्य आरम्भ कर देगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमें कोई अर्हता-प्राप्त प्रबन्ध निदेशक तथा अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि अध्यक्ष पश्चिम बंगाल से मिले तथा प्रबन्ध निदेशक भी वहीं का हो। ज्योंही हमें अर्हता-प्राप्त व्यक्ति मिल जायेंगे, यह निगम गठित हो जायेगा।

श्री तरुण गगोई : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ब्रिटेन को हमारे चाय निर्यात में कमी क्यों आई ?

श्री एल० एन० मिश्र : केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब गणराज्य तथा ईराक भी शामिल हैं। इन दोनों के बाजार में हमारी बिक्री कम हुई है। ईसका कारण यह है कि इन देशों ने दूसरी तरह की चाय खरीदनी चाही।

हाडा टैक्सटाइल्स, हुगली (पश्चिम बंगाल) द्वारा तालाबन्दी

*343. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हाडा टैक्सटाइल्स में 22 अगस्त, 1971 को तालाबन्दी घोषित करदी गई थी ।

(ख) यदि हाँ, तो उक्त तालाबन्दी के कारण कुल कितने श्रमिक बेरोज़गार हो गये हैं; और

(ग) क्या तालाबन्दी को समाप्त कराने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). जी हाँ। तालाबन्दी उठा ली गई है और मिल ने 6 सितम्बर, 1971 से कार्यचालन शुरू कर दिया है।

SHRI MOHAMMED ISMAIL: May I know from the hon. Minister the reasons of lock-out in that factory ? What are the issues involved ?

SHRI L. N. MISHRA : Lock-out was declared on 22nd August, 1971 and after 14 days the lock-out was lifted on 6th September, 1971 and the mill commenced working. It has been reported that the workers placed their demands and according to the management there was

indiscipline among the workers due to which they were unable to run the mill. But the agreement was effected between the management and the workers and the mill has started working.

SHRI MOHAMMED ISMAIL : Is it a fact that during the agitation launched by the workers demanding Dearness Allowance, 35 workers were suspended by the management, if so what steps were taken by the Government to solve this problem ? I also want to know whether the management is responsible for this lock-out or the workers ? What are the recommendations of the Government regarding the wages to workers for the period of lock-out ?

SHRI L. N. MISHRA : Sir, it concerns the Labour Department of the West Bengal Government, because it is a state subject. I will refer it to the concerned authorities.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हुगली जिले में हाडा टैक्सटाइल्स नामक कोई मिल है भी अथवा नहीं ? प्रश्न का शीर्षक है "हाडा टैक्सटाइल्स, हुगली (पश्चिम बंगाल) द्वारा तालाबन्दी" । पश्चिम बंगाल के हुगली में इस नाम की कोई मिल नहीं है । क्या उक्त मिल 24 परगना में नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अपने मित्र को बता दें ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रश्न स्वीकार किये जाने पर यह मंत्री महोदय का कर्त्तव्य है, सदस्य का नहीं ।

डा० रानेन सेन : खेद की बात है कि मंत्री महोदय ने एक गलत प्रश्न का उत्तर दिया है । इससे ज्ञात होता है कि उनके मंत्रालय को पता नहीं है कि वास्तव में वह मिल कहाँ स्थित है । यदि सभा में इसी प्रकार के प्रश्न और उत्तर होते रहे तो सभा को इसी तरह अंधेरे में रखा जायेगा ।

SHRI MOHAMMED ISMAIL : Such things should not occur in future.

अध्यक्ष महोदय : इसमें मंत्री महोदय का कोई दोष नहीं है । गलत प्रश्न भेजे जाने के लिए माननीय सदस्य को दोषी ठहराया जाना चाहिए ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The Minister has answered a wrong question. Therefore, he should be held responsible.

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने अच्छा ही कार्य किया है ।

गंगा नदी का नर्मदा और कावेरी नदियों से मिलाया जाना

*344. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा नदी को नर्मदा और कावेरी नदियों से मिलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

गंगा नदी मानसून की अवधि में पटना के निकट अपने साथ भारी मात्रा में जल लाती है जिसका उपयोग हितकारी रूप में बेसिन में नहीं किया जा सकता है । साथ ही, दक्षिण बिहार के क्षेत्रों और पश्चिमी और दक्षिणी भारत के भागों में सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में नदियों के बहाव में बहुत घट-बढ़ होती रहती है ।

केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में किये गये प्रारम्भिक कार्यालय अध्ययनों से यह पता चलता है कि जहाँ कहीं व्यवहार्य हो, प्राकृतिक जल-मार्गों और मौजूदा या प्रस्तावित जलाशयों का उपयोग करते हुए, पम्प और ग्रेविटी नहरों के योग के द्वारा गंगा का कुछ जल दूसरी जगह ले जाया जा सकता है । ऐसे एकीकृत राष्ट्रीय जल-ग्रिड से पेय जल की सप्लाई के स्थिर होने की संभावना है और इससे एक अति उपयोगी नौवहन सम्पर्क की भी व्यवस्था हो जाएगी ।

उन बहुत अधिक बड़ी परियोजनाओं के मामले में जिनमें ऐसे निर्माण कार्य सम्मिलित हैं; जो देश में पहले नहीं किये गये हैं, किसी विस्तृत अन्वेषण के अनुसार कार्यारम्भ करने से पहले यह बहुत अधिक आवश्यक है कि उन विशेषज्ञों से उनकी समर्थक राय ले ली जाय जो अन्य स्थानों में इस तरह की समस्याओं से अवगत हैं । अन्वेषण, अभिकल्प और परियोजना-रिपोर्टों को तैयार करने का काम पूर्णतः भारतीय इंजीनियर ही करेंगे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों का व्यय स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ ही उठाएगा और उनके स्थानीय व्यय में भारत सरकार के अंशदान की रकम लगभग 22,500 रुपये की होने का अनुमान है । विशेषज्ञों के निकट भविष्य में पहुँचने की संभावना है ।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : विवरण में नदी ग्रिड प्रणाली के लाभ दिये गये हैं किन्तु उसमें यह नहीं बताया गया कि इन कार्यों को आरम्भ किया जायेगा । अतः क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन दिलायेंगे कि योजना आयोग की स्वीकृति लेकर यह कार्यवाही आरम्भ की जायेगी ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : अगली कार्यवाही करने से पहले हम संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की सलाह लेना चाहते हैं । वे एक-दो दिन में आने वाले हैं । उनकी राय जानने के पश्चात् इस परियोजना को आरम्भ किया जायेगा ।

श्री जी० वाई० कृष्णन् : विचार-विमर्श के लिये क्या नियम बनाये गये हैं ?

डा० के० एल० राव : उनको परियोजना के बारे में पूरी स्थिति बताई जायेगी । वे कुछ स्थानों की जाँच करेंगे तथा अपनी सलाह देंगे । जल की उपलब्धता अथवा जलधारा को मोड़ने की संभावनाओं पर विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि वह पहले किया जा चुका है । उनसे इस संबंध में मुख्य रूप से विचार-विमर्श किया जायेगा कि क्या ऐसे मामलों में आर्थिक लाभ होगा । अमरीका तथा रूस में इस प्रकार की परियोजनाओं के विद्यमान होने के कारण हम इस विषय में पुनः विचार करना चाहते हैं ।

SHRI R. V. BADE : Is it a fact that the Government have no river grid project unless the dispute between Madhya Pradesh and Gujarat regarding Nawagaon project on Narmada river is settled ?

MR. SPEAKER : It does not arise out of it.

SHRI R. V. BADE : Government have decided to link Narmada with Couvery. But it cannot be implemented unless the Nawagaon project on Narmada is completed.

अध्यक्ष महोदय : इसकी जाँच की जा रही है ।

SHRI R. V. BADE : Unless the Narmada dispute is solved how will these steps be taken ?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य का यह प्रश्न उचित है । प्रस्तावित ग्रिड नहर बर्गी परियोजना से होकर निकलेगी । माननीय सदस्य का कहना है कि जब तक यह परियोजना पूरी नहीं होती तब तक ग्रिड प्रणाली कैसे लागू हो सकती है । मेरा निवेदन है कि यह कार्य बहुत पहले पूरा हो जायेगा क्योंकि ग्रिड बनाने में कई वर्ष लगेंगे ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना की सामर्थ्य निश्चित की जा चुकी है, क्या आगामी बजट में कम से कम इस परियोजना के सर्वेक्षण के लिये कुछ अनुदान की व्यवस्था की जायेगी ?

डा० के० एल० राव : इस प्रकार की बजट व्यवस्था का वायदा करना संभव नहीं है । यह परियोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसमें 1500 फुट की ऊँचाई तक पानी उठाना सम्मिलित है । विश्व के अन्य स्थानों पर इतनी ऊँचाई तक पानी उठाया गया है किन्तु भारत में यह कार्य पहले कभी नहीं किया गया । गन्ने की काश्त के लिये महाराष्ट्र में 200 से 250 फुट की ऊँचाई तक पानी उठाया गया है । अतः हमें राष्ट्रीय हित की दृष्टि से इसकी परीक्षा करनी है । विशेषज्ञों से इसी बात पर विचार-विमर्श करना है ।

डीजल इंजनों का आयात

*345. **श्री अमरनाथ चावला** : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से शंटिंग डीजल इंजनों के आयात का पहले कोई प्रस्ताव था;

(ख) क्या इस कार्य को अब इस्पात और खान मंत्रालय को सौंपे जाने के पश्चात् इन इंजनों का अब किसी यूरोपीय देश से आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन इंजनों का अब किन देशों से आयात करने का प्रस्ताव है; और

(घ) कितने शंटिंग डीजल इंजनों के आयात का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) रेल मंत्रालय से निर्बाधिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद संबंधित मंत्रालय/उपक्रम डीजल शंटिंग रेल इंजन खरीदने के लिये कार्यवाही करते हैं। इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). इस्पात उद्योग ने हाल में चेकोस्लोवाकिया को 51 रेल इंजनों और अमरीका को 12 रेल इंजनों का आर्डर दिया है।

SHRI AMAR NATH CHAWLA : The hon. Minister has stated that diesel locomotives are manufactured in Varanasi. May I know whether it is unable to meet our demands ? May I also know whether originally it was proposed to get 500 locomotives ?

श्री के० हनुमन्तैया : शंटिंग डीजल इंजन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाये जाते हैं। यह कारखाना हमारी आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ नहीं है।

SHRI AMAR NATH CHAWLA : I also wanted to know whether in the original proposal 500 locomotives were demanded while only 63 locomotives were procured. May I know whether this demand could not be met by Varanasi Factory ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैं कह चुका हूँ कि वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल इंजन नहीं बनाये जाते, चितरंजन द्वारा बनाये जाते हैं। मैंने यह भी कहा है कि वह हमारी पूरी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : चितरंजन वर्क्स इस मंत्रालय की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ है। अतः इस्पात मंत्रालय द्वारा विदेशों से शंटिंग इंजन मँगाने के क्या कारण हैं ?

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य जानते हैं कि हम क्रयादेश नहीं देते। सरकारी उपक्रमों के लिये शंटिंग इंजनों के लिये हम केवल उनके आयात की स्वीकृति देते हैं। हमारा अनुसंधान और संगठन प्रभाग तथा रेलवे बोर्ड सरकारी उपक्रमों द्वारा विशेष प्रकार के इंजनों के आयात के लिये दिये जाने वाले क्रयादेशों की स्वीकृति देते हैं। जहाँ तक इंजन बनाने वाले हमारे कारखानों का प्रश्न है, मुझे बताया गया है कि वे आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : क्या चितरंजन अथवा वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है जिससे देश की आवश्यकता पूरी हो सके क्योंकि अब हमें दूसरे देशों से शंटिंग डीजल इंजन मँगाने पड़ते हैं।

श्री के० हनुमन्तैया : यह सुझाव लाभप्रद है, किन्तु कठिनाई यह है कि रेलवे को देश में उत्पादित आवश्यक इस्पात तथा अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं होती।

श्री ए० पी० शर्मा : क्या चितरंजन तथा वाराणसी वर्कशापों का विस्तार करने का प्रस्ताव है ?

श्री के० हनुमन्तैया : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

समुद्रपार व्यापार के गलत आंकड़े

*346. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा तैयार किये गये समुद्रपार देशों में व्यापार आँकड़े एक दूसरे से कभी मेल नहीं खाते हैं;

(ख) क्या कुछ समय पूर्व पश्चिम जर्मनी के एक विदेश व्यापार अधिकारी ने कलकत्ता स्थित डायरेक्टोरेट जनरल आफ कर्मशियल इन्टेलिजैंस एण्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा अपने देश के साथ होने वाले व्यापार के संबंध में तैयार किए गए आँकड़ों पर शंका की थी;

(ग) क्या गलत आँकड़ों के कारण देश की निर्यात द्वारा होने वाली आय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हाँ।

(ख) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। फिर भी व्यापारिक जानकारी तथा अंक-संकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा संकलित देश के विदेश व्यापार के आँकड़े हमारे व्यापार सहयोगियों द्वारा संकलित आँकड़ों से समय-अन्तराल, आँकड़े तैयार करने की पद्धति तथा उनके वर्गीकरण की पद्धति में भिन्नता जैसे उपादानों के कारण भिन्न हो सकते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच नहीं है कि निर्यात संबंधी आँकड़ों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने तथा व्यापार संतुलन को अनुकूल दिखाने के लिए निर्यात संबंधी आँकड़ों में वृद्धि की गई है, जिसके कारण यह विषमता उत्पन्न हुई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : जी नहीं। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को वास्तविक प्रक्रिया के बारे में सही सूचना नहीं मिली है। डाइरेक्टर जनरल आफ कार्मशियल इंटेलीजैंस एण्ड स्टेटिस्टिक्स के आयात तथा निर्यात के मूल आँकड़ों का संकलन करते समय अस्थाई रूप से पास किये गए नौवहन बिलों तथा स्थाई रूप से पास किए गए नौवहन बिलों में थोड़ा सा समा-योजन किया गया था। पहले विक्रय करने का विचार था अतः वास्तविक लदान के उस तिथि में आँकड़े दिखाने का प्रबन्ध कर लिया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कृष्णा और गोदावरी बेसिन में माप और निस्सारण प्रेक्षण केन्द्रों की स्थापना

*331. **श्री हरी सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने कृष्णा और गोदावरी नदियों के बेसिन के मुख्य स्थानों पर माप और निस्सारण प्रेक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ये माप और निस्सारण प्रेक्षण केन्द्र कब से कार्य कर रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी हाँ ।

(ख) 21 स्थलों पर जून, 1965 में गेज और निस्सारण प्रेक्षण आरम्भ किए गए थे । इस समय कुल मिलाकर 65 स्थलों पर प्रेक्षण कार्य हो रहे हैं ।

Incidents of Coal Thefts by stopping Goods Trains between Ratlam and Meghnagar and between Ratlam and Ujjain Railway Stations

*332. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there have been incidents of coal thefts committed by stopping the goods trains between Ratlam and Meghnagar and between Ratlam and Ujjain Railway Stations of Western Railway;

(b) whether as a result of force used by thieves on such occasions railway employees have sustained injuries; and

(c) if so, the steps taken or proposed to be taken to prevent such incidents ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) and (b). No, Sir. However there has been an incident of coal theft near Ujjain in which an Assistant Sub Inspector was assaulted by culprits.

(c) The following preventive measures have been taken :

1. Intensifying security measures in affected yards and sections.
2. Collection of intelligence and raids by Crime Intelligence Wing of the Railway Protection Force.
3. Escorting of all goods trains in the affected sections by armed Railway Protection Force personnel.

कावेरी जल विवाद का न्यायाधिकरण को सौंपा जाना

*335. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार के इस आशय के अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कावेरी जल विवाद को एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). तमिलनाडु सरकार ने 17 फरवरी, 1970 को कावेरी जल-विवाद के न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना करने हेतु अनुरोध किया था। केरल सरकार ने भी 22 अक्तूबर, 1970 को ऐसा ही अनुरोध किया था। जबकि केन्द्र सरकार बातचीत द्वारा विवाद को हल करने के लिए प्रयत्न कर रही थी, मैसूर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और मैसूर में कोई निर्वाचित सरकार न होने की वजह से राज्यों के साथ बातचीत को अंतिम रूप देना संभव नहीं पाया गया। इसी दौरान दोनों राज्य सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे दायर कर दिये हैं कि न्यायालय यह घोषणा करे कि कावेरी जल के संबंध में तमिलनाडु, मैसूर और केरल सरकारों के बीच एक विवाद उठ खड़ा हुआ है और विद्यमान है और जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया है। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अनर्गत केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह एक न्यायाधिकरण की स्थापना करे। यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में न्याय निर्णयाधीन है।

पश्चिम बंगाल में बाढ़

*338. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल में बाढ़ से जो भारी हानि हुई थी, उसका कारण यह था कि सरकार ने दामोदर घाटी के निचले भाग में, जो कि दामोदर घाटी निगम योजना का एक अंग है, नहरों का जाल नहीं बिछाया था; और

(ख) यदि हाँ, तो जल निकास नहरों के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) भारी वर्षा के परिणामस्वरूप इक्ट्ठे हुए पानी को निकालने में मौजूदा जल निस्सार प्रणाली की अपर्याप्तता के कारण हुए जल निस्सार अवरोध और तटबंध रहित पहुँचों में तट की अपर्याप्त जलरोध क्षमता के कारण दुर्गापुर के नीचे दामोदर नदी के उमड़ने पर पश्चिम बंगाल का निम्न दामोदर क्षेत्र प्रभावित हो गया।

(ख) निम्न दामोदर बेसिन में बाढ़ नियंत्रण और जल विकास में सुधार लाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक व्यापक स्कीम तैयार की है। योजना आयोग ने 6·8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्कीम का एक भाग स्वीकृत कर लिया है जिसमें ये कार्य शामिल हैं :

आमता चैनल का री-सेक्शनिंग, आमता बेसिन में मुहाने के कपाटों और नालों का निर्माण। इस पर काम 1970-71 में आरम्भ कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है 8·68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के शेष कार्यों की एक विस्तृत स्कीम, जिसमें मुंडेश्वरी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण, रूपनारायण का तलकर्षण और कपाटों का निर्माण शामिल है, तैयार की गई है और यह शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार को जाँच के लिए भेज दी जायेगी। इस स्कीम पर कार्य इसके योजना आयोग द्वारा स्वीकृत होने के बाद आरम्भ किया जायेगा। राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि संपूर्ण स्कीम अगले तीन वर्षों के भीतर प्राथमिकता आधार पर कार्यान्वित की जाए।

एस० एस० लाईट रेलवे को नियन्त्रण में लेना

*341. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० एस० लाईट रेलवे को अपने नियंत्रण में लेने के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या एस० एस० लाईट रेलवे को बन्द किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) सरकार ने भूतपूर्व शाहदरा–सहारनपुर लाईट रेलवे को अपने नियंत्रण में न लेने का निर्णय किया है।

(ख) इस रेलवे को सरकारी नियंत्रण में लेने के प्रश्न की विस्तारपूर्वक जाँच की गयी थी और यह पाया गया था कि यह उपक्रम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा। यदि इसे सरकारी नियंत्रण में ले लिया जाय, तो खर्च में बहुत वृद्धि हो जायेगी, क्योंकि कर्मचारियों के वेतन और भत्ते रेलों के अन्य कर्मचारियों के समान करने होंगे। चल स्टाक और रेल पथ की दशा सुधारनी होगी और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त निर्माण कार्य करने होंगे। रेल मंत्रालय को इस लाईट रेलवे की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि की संभावना भी नहीं दिखायी दी।

(ग) जी हाँ। इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

पाकिस्तान द्वारा गंगा नदी पर बाँध का निर्माण

*347. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अपने क्षेत्र में गंगा नदी पर एक बाँध का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बाँध के निर्माण से बाढ़ आने के साथ कलकत्ता तथा अन्य भारतीय नगरों को खतरा उत्पन्न हो जायेगा; और

(ग) इसके बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) पाकिस्तान अखबारों में रिपोर्ट छपी है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद् की कार्यकारी समिति ने पद्मा नदी के ऊपर एक बराज के निर्माण के लिए एक स्कीम स्वीकृत की है जिस पर कुल 349 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

(ख) पद्मा पर प्रस्तावित बाँध के अभिकल्पों को समय-समय पर परिवर्तित किया गया है। पाकिस्तान द्वारा अब प्रस्तावित अति उच्च जलाशय स्तर से बंधे जल की समस्या खड़ी हो जाएगी, जिससे भारतीय क्षेत्र के विशाल भूखण्डों के प्रभावित होने की संभावना है।

(ग) भारत सरकार ने ऐसी परियोजना के प्रति विरोध प्रकट किया है। पाकिस्तान सरकार को यह भी कहा गया है कि वे इस परियोजना को दुबारा इस प्रकार बनायें कि भारतीय हितों के लिए कोई खतरा पैदा न हो।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा 'स्टे इन' हड़ताल

*348. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के सी० आई० टी० यू० के नेतृत्व वाले नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा 158 नैमित्तिक श्रमिकों की बर्खास्तिगी के विरोध में आरम्भ की गई 'स्टे इन' हड़ताल की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो हड़ताल के बारे में तथ्य क्या हैं और श्रमिकों की बर्खास्त करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के यांत्रिक अनुरक्षण, पावर सप्लाई और सिविल इंजीनियरी विभागों में काम पर लगे 840 नैमित्तिक श्रमिकों ने अक्तूबर, 1971 के अन्त में काम करना बंद कर दिया। आन्दोलन को एक गैर-मान्यता प्राप्त यूनियन जो सी० आई० टी० यू० से संबद्ध नहीं है, का समर्थन प्राप्त था। हड़ताल नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा की गई कुछ माँगों के समर्थन में थी, जिनमें उन 42 नैमित्तिक श्रमिकों को नौकरी पर बनाए रखने की बात शामिल थी, जो मंजूरी की समाप्ति पर सेवा-मुक्त कर दिये गये थे। हड़ताली नैमित्तिक श्रमिकों ने 6-11-71 को हड़ताल खतम कर दी और उन्हें फिर से काम पर ले लिया गया।

प्रमुख अधिकारियों के लिए विशेष सैलूनों की व्यवस्था करने हेतु व्यय की गई धनराशि

*349. **श्री बालतन्डायुत्तम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे के प्रमुख अधिकारियों के लिए विशिष्ट सैलूनों की व्यवस्था करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : पिछले तीन वर्षों में रेलों के उच्चतम अधिकारियों के लिए विशेष सैलूनों की व्यवस्था की गयी है। लेकिन पुराने डिब्बों के बदले 15 मानक निरीक्षण डिब्बों की व्यवस्था की गयी है।

रेलवे बोर्ड का मंत्रालय से पृथक किया जाना

*350. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड को रेल मंत्रालय से पृथक करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेलवे बोर्ड का कार्यालय नई दिल्ली से स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के साथ व्यापार संबंध

*351. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** :
श्री दशरथ देव :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीन के साथ व्यापार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई करार हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). संसद में जैसा कि प्राय: कहा गया है, भारत सरकार चीन जनवादी गणराज्य के साथ समानता तथा परस्पर सम्मान के आधार पर संबंधों में समग्र रूप से सुधार का स्वागत करेगी। व्यापार के क्षेत्र में भारत, कैन्टन मेले में भाग लेने तथा नई दिल्ली में अगले वर्ष होने वाले एशियाई व्यापार मेले में भाग लेने के लिए चीन को निमंत्रित करने के विषय में विचार कर रहा है।

राज्यों के सिंचाई तथा विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में की गयी सिफारिशों की क्रियान्विति

*352. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 24 और 25 सितम्बर, 1970 को उटकमंड में हुए राज्यों के सिंचाई तथा विद्युत मंत्रियों के पाँचवे सम्मेलन में की गई सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : की गई कार्यवाही को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1179/71.**]

असम के चाय बागानों को आर्थिक सहायता

*353. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में चाय बागानों को लगातार हानि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार का विचार चाय बागानों को आर्थिक सहायता देने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). 1969-70 तक के हाल के वर्षों में चाय उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट हुई है लेकिन सभी चाय बागान हानि नहीं उठा रहे हैं। लेकिन 1970-71 में कीमतों में काफी सुधार हुआ है जिसके कारण उसी अनुपात में सभी चाय बागानों की लाभप्रदता में भी सुधार हुआ है। लाभप्रदता में कमी एक ओर तो मुख्यतः लागत में वृद्धि और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चाय की कीमत में गिरावट के कारण हुई।

(ग) चाय रोपण वित्त-पोषण योजना, चाय के लिए मशीन तथा सिंचाई उपस्कर के लिए किराया-खरीद योजना तथा चाय पुनर्रोपण इमदाद योजना जैसी विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से चाय उद्योग को चाय उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले ही वित्तीय सहायता दी जा रही है।

व्रिमनगर स्थित 'कोसी परियोजना जल विद्युत संयंत्र' से नेपाल को बिजली दिया जाना

*354. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्रिमनगर स्थित कोसी परियोजना जल विद्युत संयंत्र से नेपाल को कितनी बिजली उपलब्ध कराये जाने की आशा है; और कब तक;

(ख) क्या यह मामला भारत और नेपाल के बीच पारस्परिक वार्ता से तय हो गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो किस प्रकार की वार्ता हुई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग). कोसी विद्युत केन्द्र की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 20 मैगावाट होगी। इस केन्द्र में उत्पन्न आधी बिजली नेपाल को दी जानी है। आशा है कि मार्च/अप्रैल, 1972 में नेपाल को बिजली की सप्लाई आरम्भ हो जाएगी।

सिंचाई और विद्युत मंत्री तथा सरकारी प्रतिनिधिमंडल द्वारा हाल ही में अक्तूबर 1972 में काठमांडू में किए गए विचार-विमर्श के दौरान यह स्वीकार कर लिया गया था कि नेपाल सरकार को दी जाने वाली बिजली की दर दस पैसे प्रति यूनिट होनी चाहिए और नेपाल में पम्प नहर द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली बिजली के लिए, जोकि कृषि हेतु होगी, 10% अर्थात् 1 पैसा प्रति यूनिट की छूट होनी चाहिए। ये दरें 1981 के अंत तक लागू होंगी और उस अवधि के बाद इनका पुनरावलोकन किया जाएगा।

कुरेशी समिति के प्रतिवेदन के कारण फालतू हुए पद

*355. **श्री शशि भूषण :**
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुरेशी समिति की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप रेलवे बोर्ड में कितने पद फालतू घोषित किए गये हैं;

(ख) इन व्यक्तियों को अन्य विभागों में खपाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड में कतिपय पदों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है या बढ़ा दिया गया है अथवा कुछ पद और बनाएं जायेंगे या बना दिए गये हैं; और

(घ) इन पदों का ब्यौरा क्या है और इन्हें बनाने/इनका दर्जा बढ़ाने की क्या आवश्यकता है जबकि निम्न स्तर के बहुत से पद फालतू घोषित किए जा चुके हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेल मंत्रालय में उप मंत्री की अध्यक्षता में गठित कार्य मूल्यांकन दल ने रेलवे बोर्ड कार्यालय में 43 राजपत्रित और 166 अराजपत्रित पदों की कमी करने की सिफारिश की है। रेलों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के भाग के रूप में काम मूल्यांकन दल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) जब इन सिफारिशों पर सरकार के विनिश्चयों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तब इस संबंध में विचार किया जायेगा।

(ग) और (घ). नयी लाइनों, रेल कारखानों, ईंधन में मितव्ययिता आदि के संबंध में आवश्यक निर्माण कार्यों को अस्थायी रूप से देखने के लिए निदेशकों के दो पदों का एक सिविल इंजीनियरिंग निदेशालय और दूसरा यांत्रिक इंजीनियरिंग निदेशालय के लिए, सृजन किया गया है।

मार्ग में होने वाले नुकसान के लिए रेल कर्मचारियों द्वारा भुगतान

*356. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री मुख्तियार सिंह मालिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल कर्मचारियों को इस आशय के कोई आदेश जारी किए हैं कि मार्ग में वस्तुओं की चोरी से होने वाली हानि के लिये उनको अपनी जेब से भुगतान करना पड़ेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इन आदेशों का सारांश क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जहाँ रेल कर्मचारी हानि अथवा क्षति के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराये जाते हैं, वहाँ अनुशासन और अपील नियम के अन्तर्गत भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की रकम उनसे वसूल की जा सकती है ।

कोचीन में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा निर्यातकर्त्ताओं को तंग किया जाना

*357. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निर्यातकर्ताओं को तंग किए जाने के फलस्वरूप कोचीन से किए जाने वाले निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो किस प्रकार की शिकायत मिली है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). गन्तव्य देश के अतिरिक्त अन्य देशों को माल भेजने तथा कम मूल्य के बीजक बनाने के सन्देश पर कोचीन में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पोत लदान रोक लिए जाने से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । बाद में जब संबद्ध पार्टियों द्वारा सीमा-शुल्क अधिकारियों का समाधान कर दिया गया, तब इन खेपों को मुक्त कर दिया गया ।

रेलवे कर्मचारियों को बोनस

*358. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिए जाने की माँग अभी तक पूरी नहीं की गई है;

(ख) क्या औद्योगिक कर्मचारियों को नए फारमूले के अनुसार बोनस देने की हाल में की गई घोषणा को देखते हुए, रेलवे कर्मचारियों की इस माँग पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 सरकारी विभागीय उपक्रमों पर लागू नहीं होता, जिनमें रेलें भी शामिल हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे सार्वजनिक कार्य करती हैं और वह एक सरकारी विभाग है, रेल कर्मचारियों को बोनस देने का प्रश्न नहीं उठता ।

भारत और यूगोस्लाविया में आर्थिक सहयोग

*359. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति हाल ही में नई दिल्ली आए थे;

(ख) क्या दोनों देशों में अधिक आर्थिक सहयोग के प्रश्न पर विचार किया गया था;

(ग) क्या दोनों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उनका स्वरूप क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) तथा (घ). राष्ट्रपति टीटो की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के समुचित आर्थिक प्राधिकारी संयुक्त समितियों और अन्य निकायों के माध्यम से, आर्थिक सहयोग के और आगे सफल विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किये गये सभी उपाय करें, जिसमें दोनों में से किसी भी देश में अथवा किसी अन्य देश में संयुक्त परियोजनाएँ शामिल हैं । इन परियोजनाओं का ब्यौरा आगे द्विपक्षीय बातचीत द्वारा तैयार करना होगा ।

बाढ़ के कारण फरक्का टाउनशिप का जलमग्न होना

*360. **श्री समर मुखर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ से फरक्का टाउनशिप के जलमग्न हो जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या बाढ़ में टाउनशिप को जो हानि हुई है, उसका कारण मुख्यतः वर्षा के जमा हुए पानी की निकासी का प्रबन्ध करने में असफलता है; और

(ग) यदि हाँ, तो जल निकासी योजना कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी हाँ। 29 और 30 सितम्बर, 1971 को भारी चक्रवात के कारण फरक्का टाउनशिप में बाढ़ आ गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी राजस्थान की रेत वाली धरती में फसल उगाना

2130. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके 'सेन्ट्रल सोयल मेकेनिक्स रिसर्च स्टेशन' में किये अनुसंधान के परिणामस्वरूप यह पता लगा है कि पश्चिमी राजस्थान की रेत वाली भूमि में बड़े पैमाने पर फसलें उगाई जा सकती हैं जिसे अब से पहले कृषि के लिए पूर्णतया अयोग्य समझा जाता था; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं और क्या इस संबंध में कोई केन्द्रीय योजना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)) : (क) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के केन्द्रीय भू-यान्त्रिकी अनुसंधान केन्द्र ने राजस्थान नहर परियोजना की कमान के क्षेत्रों में रेतीली भूमि पर केवल रबी की कृषि करने के लिए कुछ क्षेत्रीय प्रयोग किए थे।

(ख) इन प्रयोगों से यह पता चला कि उस क्षेत्र में गेहूँ, जौ, सरसों और तारामीरा की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इस संबंध में कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं है।

कोयला खानों के मुहानों पर जमा कोयला उठाने के लिए विशेष प्रयत्न

2131. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा कोयला खानों के मुहानों पर जमा कोयले को उठाने के लिए विशेष प्रयत्न आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कितनी सफलता मिली और कितना कोयला अभी वहाँ से उठाया जाना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों में खानों से स्टाक की निकासी के लिए अगस्त, 1971 में एक अभियान चलाया गया था। इस क्षेत्र में गाड़ियों के संचलन में होने वाली निरन्तर कठिनाइयों के बावजूद, इस अभियान के परिणामस्वरूप, पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयले का लदान

जुलाई, 1971 की तुलना में अगस्त, 1971 के दौरान लगभग 660 माल डिब्बे अधिक हुआ। परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों में स्थित कोयला खानों में मौजूद स्टाक भी अगस्त, 71 के अन्त में घट कर 73·8 लाख मीटरिक टन रह गया, जबकि जुलाई, 71 के अन्त में यह स्टाक 78·8 लाख मीटरिक टन था।

कोयले के परिवहन में और सुधार करने के लिए पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर 11-11-1971 से दस दिन के लिए फिर से एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के परिणामस्वरूप खानों पर स्टाक में जितनी कमी हुई है, उस का पता नहीं है क्योंकि अभी सरकारी आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

धनबाद डिवीजन में कोयला वैगनों को भेजने में भ्रष्टाचार

2132. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री धनबाद डिवीजन में कोयला वैगनों के भेजने में भ्रष्टाचार के संबंध में 10 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7524 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो मामले संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कब तक एकत्रित कर ली जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) गलत घोषित नाम के अन्तर्गत पूर्व रेलवे के कतिपय स्टेशनों से कोयले के लदान के मामलों की जानकारी मई, 1971 में मिली। सतर्कता शाखा द्वारा की गयी प्रारम्भिक जाँच के फलस्वरूप सात रेल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था। चूंकि गलत घोषित नाम के अन्तर्गत कोयले के लदान में बाहरी व्यक्तियों के भी अंतर्ग्रस्त होने का संदेह है, अतएव पूरी जाँच-पड़ताल के लिए सारा मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

ऐसे लदान की घटनाओं से बचाव के लिए रेलों को उपयुक्त हिदायतें जारी की गयी हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम का पुनर्गठन

2133. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम में हाल ही में बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया है;

(ख) इसकी सहायक संस्थाओं आदि की संख्या और उनके नाम क्या हैं;

(ग) उक्त पुनर्गठन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इसके फलस्वरूप उक्त संस्था की समूचे रूप से लाभ कमाने की क्षमता में किस प्रकार वृद्धि होने की संभावना है।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० की चार सहायक संस्थाएँ हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं :

(1) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्त्र निर्यात निगम लि०।
(2) भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लि०।
(3) भारतीय काजू निगम लि०।
(4) भारतीय परियोजना तथा उपकरण निगम लि०।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने अक्तूबर, 1971 में अपना पुनर्गठन किया था और इसने अपने आयात तथा निर्यात कार्यों को पृथक-पृथक विभागों में विभाजित कर दिया है। निगम के पास अब 6 के स्थान पर 12 वस्तु प्रभाग हैं जिनमें से प्रत्येक या तो आयात का काम देखता है या निर्यात का। निगम ने, उनको विभिन्न मामलों में परामर्श तथा सेवा प्रदान करने हेतु कई सहायक प्रभाग भी स्थापित अथवा पुनर्गठित किये हैं।

(घ) पुनर्गठन का आशय निगम की कार्य-चालन दक्षता में सुधार करना है, जिससे निगम को अधिक लाभ हो।

केरल सरकार द्वारा भेजी गई सिंचाई योजनायें

2134. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य सरकार द्वारा भेजी गई निम्न योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है :

(1) पायासवानी सिंचाई योजना, कासरगोड;
(2) काक्कादेव सिंचाई योजना; और
(3) केरल राज्य के कासरगोड़ तालुक में चन्द्रगिरि नदी पर पुल एवं रेगुलेटर ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : अभी तक केरल सरकार ने इन स्कीमों को केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को नहीं भेजा है।

रबड़ बोर्ड कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन

2135. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) रबड़ बोर्ड द्वारा बनाई गई एक अमला उप-समिति इस मामले पर विचार कर रही है।

मालाबार क्षेत्र (केरल) से मछलियाँ ले जाने के लिए वैगन

2136. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मालाबार क्षेत्र, विशेषकर तेल्लिचेरी और कान्हनगाड से मछलियों के परिवहन के लिए वैगन सुविधाएं बढ़ाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ। तेल्लिचेरी और कान्हनगाड से मछलियों के परिवहन के लिए रेल परिवहन क्षमता बढ़ाने के लिए दक्षिण रेलवे को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) अभ्यावेदन पाने पर दक्षिण रेलवे ने तेल्लिचेरी का कोटा 3 क्विंटल बढ़ा दिया है और वह कान्हनगाड के मामले पर पुनर्विचार कर रहा है। मेंगलूरू-कुट्टिपुरम् खण्ड के स्टेशनों, जिनमें तेल्लिचेरी और कान्हनगाड भी शामिल हैं, पर होने वाले मछली के यातायात की निकासी के लिए वर्तमान रेल परिवहन क्षमता पर्याप्त है। तथ्य यह है कि कभी-कभी इस क्षमता का पूरा पूरा उपयोग नहीं हो पाता।

पायानूर और पायानगुडी रेलवे स्टेशनों पर उच्च श्रेणी के प्रतीक्षा-गृहों की व्यवस्था

2137. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में दक्षिण रेलवे के पायानूर और पायानगुडी रेलवे स्टेशनों पर उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिए प्रतिक्षा सुविधाएँ नहीं हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). ऊँचे दर्जे के दो प्रतीक्षालयों—एक महिलाओं के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए, की व्यवस्था पायानूर रेलवे स्टेशन पर है। पायानगुडी स्टेशन पर इस सुविधा की व्यवस्था करने के लिए अभी यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है।

मंगलौर में तृतीय श्रेणी के यात्रियों को आरक्षण सुविधाएं

2138. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर से दिल्ली तथा दिल्ली से मंगलौर की यात्रा के लिए तृतीय श्रेणी के यात्रियों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). मंगलौर और मद्रास सेंट्रल के बीच चलने वाली गाड़ियों और मद्रास सेंट्रल और दिल्ली/नयी दिल्ली के बीच मेल लेने वाली, आने-जाने वाली गाड़ियों में तीसरे दर्जे की शायिकाओं के आरक्षण की सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। मंगलौर और नयी दिल्ली के बीच तीसरे दर्जे का सीधा शयनयान नहीं चलता। लेकिन इन दोनों स्टेशनों के बीच हफ्ते में 5 दिन, 27/28 वेस्ट कोस्ट एक्सप्रैस और 15/16 जी० टी० एक्सप्रैस में पहले और तीसरे दर्जे का एक मिला-जुला सवारी डिब्बा चलता है। इस मिले-जुले डिब्बे के तीसरे दर्जे के भाग में सीटों के आरक्षण की सुविधा नई दिल्ली में उपलब्ध है। 15-12-71 से मंगलौर में भी इसी तरह की सुविधा की व्यवस्था करने का विचार है।

मीटर गेज और छोटी रेलवे लाइनें

2139. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मीटर गेज और छोटी रेलवे लाइनों की लम्बाई किलोमीटरों में कितनी है; और

(ख) ये किन-किन राज्यों में हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 31 मार्च, 1971 को मीटर और छोटी लाइनों के अन्तर्गत (चालित लाइनों सहित) भारतीय सरकारी रेलों की मार्ग-लम्बाई इस प्रकार थी :

	किलोमीटर
मीटर लाइन	25,865
छोटी लाइन	4,476

इनके अलावा, 207 मार्ग किलोमीटर छोटी शाखा लाइनें और गैर-सरकारी निकायों के स्वामित्व में थीं और उनके द्वारा चलायी जा रही थीं।

(ख) रेलवे लाइनों की लम्बाई के बारे में सूचना आमान-बार प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के अनुसार संकलित की जाती है, राज्यवार नहीं। इसलिए माँगा गया विवरण उपलब्ध नहीं है।

अहमदाबाद-बम्बई रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

2140. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में बम्बई तक की रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियाँ कब तक चलने लगेंगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ;

(ख) बम्बई और विरार के बीच बिजली गाड़ियाँ पहले से ही चल रही हैं। जहाँ तक विरार-अहमदाबाद खण्ड के विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, इस खण्ड पर यह काम हो रहा है और आशा है, 1972 से उत्तरोत्तर विभिन्न चरणों में इस पर बिजली गाड़ियाँ चलने लगेंगी।

महात्मा गांधी प्रदर्शनी गाड़ियों पर किया गया व्यय

2141. **श्री अम्बेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या क्या है और सरकार तथा गांधी शताब्दी राष्ट्रीय समिति ने महात्मा गांधी प्रदर्शनी गाड़ियों के चालन पर कुल कितना व्यय किया है; और

(ख) यह गाड़ी कितने स्थानों पर गई ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). बड़ी लाइन/मीटर लाइन की गांधी शताब्दी प्रदर्शनी गाड़ियाँ कुल 310 रेलवे स्टेशनों पर गयी थीं। रेलवे ने इन गाड़ियों के लिए कोई प्रभार नहीं लिया था। चालन-लागत का गाड़ी-वार लेखा नहीं रखा जाता। गांधी शताब्दी राष्ट्रीय समिति द्वारा किये गये व्यय के बारे में रेल-प्रशासन की जानकारी नहीं है।

केले के निर्यात से प्राप्त धनराशि

2142. **श्री अम्बेश** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 के दौरान तथा चालू वर्ष के अक्तूबर मास के अन्त तक विदेशों को केले के निर्यात से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : 1970-71 में 37·46 लाख रु० के केलों का निर्यात हुआ। अप्रैल तथा मई, 1971 के दौरान 21,417 रु० का निर्यात हुआ। मई, 1971 के बाद के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

विदेशों में मार्किटों के सर्वेक्षण हेतु उद्योगपतियों को विदेश यात्रा की सुविधायें

2143. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को गति देने हेतु विदेशों में मार्किटों का सर्वेक्षण करने के लिये उद्योगपतियों तथा अन्य लोगों को विदेश यात्रा के संबंध में अधिक सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की सुविधायें दी जाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चूँकि विदेश में बाजार सर्वेक्षण हेतु यात्रा के लिए दी गई वर्तमान सुविधायें पर्याप्त हैं, इसलिये अतिरिक्त सुविधायें देने के लिए कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मालदा से बालूरघाट तक रेल लाइन

2144. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या रेल मंत्री बालूरघाट से मालदा और बालूरघाट से किलयागंज तक नई रेलवे लाइनें बिछाने के संबंध में 29 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3399 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराने मालदा से बालूरघाट तक नई बड़ी लाइन बिछाने से संबद्ध सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ख) इसमें कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे; और

(ग) उक्त परियोजना पर कुल कितना व्यय आयेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). सीमा क्षेत्र में वर्तमान उपद्रवग्रस्त स्थिति को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि इस प्रयोजन के लिए यथाआवश्यक अतिरिक्त व्यावहारिक जाँच करने और आँकड़े एकत्र करने के साथ इसके पहले 1949 में किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्टों को अद्यतन बनाया जाये। पहले सर्वेक्षण को अद्यतन बनाने और उसके पुनरीक्षण का काम पूरा हो जाने के बाद ही ओल्ड माल्दा से बालूरघाट तक प्रस्तावित बड़ी लाइन के सर्वेक्षण और उसकी लागत की जानकारी मिल सकेगी।

मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में खड़े पानी की निकासी की योजना

2145. **श्री गदाधर साहा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीरभूमि-मुर्शिदाबाद सीमा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के निकट मुर्शिदाबाद जिले में 'बसिया' बिल या 'दलदली भूमि' में वर्षा के खड़े पानी की निकासी की परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि बाढ़ और फसलों की हानि को रोका जा सके और ग्रीष्मकाल में वहाँ 'बोरोह' किस्म की फसलें उगाने के लिए जल संभरण की सुविधाएँ प्रदान की जा सकें;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल राज्य सिंचाई विभाग ने कहा है कि मुर्शिदाबाद जिले में 'बसिया' बिल के जल निकास के लिए एक उपयुक्त स्कीम तैयार करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है और 'बोरोह' खेती के लिये जल की सप्लाई हेतु कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है।

Timely Arrival of Assam Mail at New Delhi and Barauni Stations

2146. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of days on which Assam Mail from Barauni to New Delhi reached New Delhi Railway Station in time as also the number of days on which it arrived late since the 1st January, 1971; and

(b) the reasons for the late arrival and the steps proposed to be taken by Government to ensure timely arrival of the said train at the New Delhi and Barauni Railway Stations ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) During the period 1st January to 10th November, 1971, No. 85 Up Barauni-New Delhi Assam Mail arrived New Delhi railway station right time on 37 days and late on 277 days.

(b) The punctuality of this train was affected mainly by excessive alarm chain pulling and other miscreant activities on North Eastern, Northeast Frontier and Eastern Railways and frequent Bundhs, civil and political strikes and agitations and stoppage of work in States of Assam & Bengal. During August and September, 1971 heavy rains and consequent breaches on North Eastern Railway also affected the running of Assam Mail which had to mkae a detour *via* Samastipur-Khagaria Chord-longer route.

The punctuality performance of this alongwith other Mail/Express trains is closely watched on a daily basis at various levels.

बाढ़ नियंत्रण को राष्ट्रीय विषय बनाना

2147. **श्री निहार लास्कर :**
श्री श्यामनन्दन मिश्र :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने बाढ़ नियंत्रण को राज्य विषय की अपेक्षा **केन्द्रीय विषय बनाने** का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की प्रगति

2148. **श्री बनमाली पटनायक :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को अपने अधिकार में ले ले क्योंकि उसे राज्य सरकार के संसाधनों से चलाना संभव नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ।

(ख) बाढ़ नियंत्रण स्कीमें राज्य योजना का अंग होती हैं और इसी कारण राज्य सरकार को प्रचलित कार्य-विधि के अनुसार अपनी योजना में ब्रह्मपुत्र घाटी में निर्माण कार्यों के कार्यान्वियन के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करनी होगी।

राज्यों में आरम्भ की गई बाढ़ नियंत्रण योजनायें

2149. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री राम कंवर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान प्रत्येक राज्य में कितनी दीर्घकालीन और अल्पकालीन बाढ़ नियंत्रण योजनायें आरम्भ की गई थीं;

(ख) इस कार्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) उक्त वित्तीय वर्षों में इन योजनाओं में हुई वास्तविक प्रगति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1969-70 से 1971-72 तक की अवधि में विभिन्न राज्यों में शुरू की गई बृहद् स्कीमों की सूची उपाबंध में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1180/71.]** इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने कई लघु स्कीमें हाथ में ली हैं, जिनमें तटबंधों का निर्माण, वर्तमान तटबंधों को ऊपर उठाना और उन्हें सुदृढ़ बनाना, नदी-नियंत्रण-कार्य और जल-निकास-सरणियाँ सम्मिलित हैं।

(ख) चौथी योजना से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता थोक ऋणों और अनुदानों के रूप में उन्हें किसी विशेष विकास-क्षेत्र से संबद्ध किए बिना दी जाती है; इसलिए बाढ़ नियंत्रण स्कीम के लिये कोई पृथग्रक्षित केन्द्रीय सहायता नहीं है। 1969-70 और 1970-71 में बाढ़ नियंत्रण स्कीमों पर राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई रकम और 1971-72 के दौरान प्रस्तावित परिव्यय उपाबंध दो में दिया जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1180/71.**]

(ग) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर संकलित प्रत्यक्ष प्रगति निम्नलिखित है :

	मार्च, 1969 के अंत तक	मार्च 1970 के अंत तक	मार्च, 1971 के अंत तक
तटबंधों की लम्बाई (किलोमीटर)	6951	6995	7063
निकास नालियों की लम्बाई (किलोमीटर)	9172	9285	9377
नगर सुरक्षा स्कीमें (संख्या)	178	182	191
लाभ प्राप्त क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	58·9	59·37	60·47

Scheme for Flood Control

2150. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission has drawn up a scheme for flood control;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

पश्चिम बंगाल में बाढ़

2151. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से हो रही निरन्तर असाधारण भारी वर्षा के कारण, सरकार को इस वर्ष पश्चिम बंगाल में आई विनाशकारी बाढ़ का पूर्वाभास हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए कोई सामयिक कार्यवाही नहीं की गई थी;

(ग) क्या उत्तर बंगाल में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं और यहाँ तक कि तटबंधों

आदि को सुदृढ़ करने तथा उनका निर्माण करने के कार्य की हर वर्ष अवहेलना की जाती है; और

(घ) दामोदर घाटी निगम के जलाशयों से अधिक पानी छोड़ कर, दक्षिण बंगाल में जानबूझ कर बाढ़ लाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार द्वारा उस धनराशि से जिसका प्रावधान वार्षिक राज्य योजनाओं में किया जा सकता है, नये तटबंधों का निर्माण, वर्तमान तटबंधों को ऊँचा और सुदृढ़ करना और अन्य बाढ़ सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

(घ) दामोदर घाटी निगम के बाँधों ने अनुप्रवाह दिशा में बाढ़ के जल-निस्सार को संतुलित करने में काफी सहायता की है। यदि ये जलाशय न होते तो बाढ़ें और भी अधिक तीव्र होतीं।

पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए केन्द्रीय सहायता

2152. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ के बाद सहायता, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्य के लिए आवश्यक केन्द्रीय सहायता की मात्रा के बारे में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अनुमान तथा केन्द्रीय बाढ़ सर्वेक्षण दल द्वारा जितनी सहायता की सिफारिश की गई है, दोनों में बहुत अन्तर है; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या अंतिम निर्णय लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित सहायता, पुनर्वास तथा तिसरैतों को ऋणों आदि के संबंध में होने वाले व्यय का अनुमान और बाढ़ स्थिति तथा अपेक्षित सहायता कार्यों के मूल्यांकन पर आधारित केन्द्रीय दल द्वारा सुझाई गई राशियाँ निम्नलिखित हैं :

	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित	केन्द्रीय दल द्वारा सिफारिश की गई
	(करोड़ रुपयों में)	
(1) सहायता कार्य	28·37	12·06
(2) तिसरैतों को ऋण (बीजों और उर्वरकों के लिए ऋण समेत)	27·70	9·20
(3) क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत	18·88	10·25
कुल	74·95	31·51

(ख) केन्द्रीय दल द्वारा की गई सिफारिशें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं और राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य के लिए 31·51 करोड़ रुपये की अधि-सीमा अपनाई गई है।

बाढ़ों के बारे में विशेष जाँच समिति की नियुक्ति

2153. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, गंगा नदी के जल के बहाव से संबद्ध, 1951 में गठित एक विशेष समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति का मूल्यांकन करने के लिए, बाढ़ों के बारे में कोई विशेष जाँच समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) भारत सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा और हुगली जिलों में बाढ़

2154. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर के नीचे तटबंधों के निर्माण-कार्य के पूरा न होने के फलस्वरूप ही हावड़ा और हुगली जिलों में बाढ़ आई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उसके लिए काफी समय पूर्व कोई योजना बनाई गई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो उसको क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) तटबंध रहित पहुँचों में नदी के किनारों की अपर्याप्त जल-रोध क्षमता के कारण दुर्गापुर से नीचे की ओर दामोदर नदी के जल के फैल जाने से हावड़ा और हुगली जिलों के कुछ भाग प्रभावित हो गये।

(ख) और (ग). 1970 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने निचले दामोदर क्षेत्र में बाढ़ों और जल-निकास के संकुलन के नियंत्रण के लिए चरणों में कार्यान्वित की जाने वाली एक स्कीम तैयार की थी। उस समय इस स्कीम पर 14 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान था। योजना आयोग ने स्कीम के प्रथम चरण की, जिसमें आमता सरणि के सैक्शन फिर से निश्चित करना और आमता बेसिन में मुहाना-स्लूइस और नालियों का निर्माण किया जाना है और जिस पर 6·8 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, मंजूरी दे दी थी और 1970-71 में कार्य आरम्भ हो गया। राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि इस व्यापक स्कीम के शेष निर्माण-कार्यों के लिए

विस्तृत स्कीम तैयार कर ली गई है और उसे जाँच के लिए केन्द्र को शीघ्र ही भेजा जाएगा। इन कार्यों को योजना आयोग द्वारा स्कीम की मंजूरी मिल जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें

2155. **श्री वी० वेंकटासुब्बया** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग). उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों को सुधारने के लिये विनिर्दिष्ट प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया, जो इस प्रकार हैं :

(i) सेवा निवृत्ति की आयु को 65 वर्ष से बढ़ा कर 68 वर्ष करना; और

(ii) न्यायाधीशों के वेतनों में 500 रुपये प्रति मास वृद्धि करना।

चूँकि ये प्रस्ताव सांविधानिक संशोधनों से संबंधित थे अतः संसद के राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श किया गया किन्तु आम राय न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु या वेतनों को बढ़ाने के पक्ष में नहीं थी। अत: प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की गई। तथापि, सरकार उचित समय पर सारे मामले पर फिर से विचार करेगी।

यह निश्चय किया गया है कि न्यायाधीश के रूप में सम्पूर्ण सेवा के दौरान तीन मास की अवधि तक, आधे भत्तों पर छुट्टी को पूरे भत्तों पर छुट्टी के रूप में परिवर्तित करने की सुविधा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी दी जाए। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विधान शीघ्र ही संसद में पुर:स्थापित किया जाएगा।

इस समय स्थिति यह है कि जब कभी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जाता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसके द्वारा अर्जित सब छुट्टियाँ समाप्त हो जाती हैं। यह प्रस्तावित किया गया है कि ऐसी छुट्टियों को कुछ शर्तों के अधीन अधिक से अधिक चार मास तक आगे ले जाने के लिए उपबंध किया जाए और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विधान बनाया जा रहा है।

विधिज्ञ परिषद् (बार) से नियुक्त न्यायाधीशों के लिए कुटुम्ब-पेंशन और मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति-उपदान की एक योजना भी सरकार के विचाराधीन है।

पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व रेलवे के रेल परीक्षकों की उच्च वेतनमानों में पदोन्नति

2156. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने 'ट्रेन एग्ज़ामिनरों' को 1 अप्रैल, 1966 से 180-240 रुपये के वेतनमान से 205-280 रु० (ए० एस०) के वेतनमान में सामूहिक रूप से पदोन्नत कर दिया गया है और अभी तक 180-240 रुपये के वेतनमान में कार्य कर रहे, पूर्व, पूर्वोत्तर और दक्षिण-पूर्व रेलवे के 'ट्रेन एग्ज़ामिनरों' की डिवीजन वार संख्या क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : अनुबन्ध 'क' के रूप में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मण्डल	गाड़ी परीक्षकों की संख्या जिन्हें 1 अप्रैल, 1966 से 180-240 रु० के वेतनमान से 205-280 रु० के ग्रेड में सामूहिक रूप से पदोन्नत किया गया	उनकी संख्या जो अब भी 180-240 रु० के ग्रेड में हैं
1	2	3
(i) पूर्व रेलवे		
सियालदह	110	25
हावड़ा	80	44
आसनसोल	116	28
धनबाद	117	40
दानापुर	142	30
	565	167
(ii) दक्षिण-पूर्व रेलवे		
चक्रधरपुर	109	32
बिलासपुर	55	41
खोरधा रोड	24	20
वाल्टेर	34	44
खड़गपुर	69	43
आद्रा	88	37
नागपुर	27	19
	406	236

1	2	3
(iii) पूर्वोत्तर रेलवे		
इज्जत नगर	14	8
समस्तीपुर	42	16
लखनऊ	28	19
वाराणसी	25	22
	109	65

समुद्री कटाव को रोकने और बाढ़ नियंत्रण करने के उपाय

2157. **श्री सी० जनार्दन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने उनके मंत्रालय को आगामी दो वर्षों में समुद्री कटाव को रोकने तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए 100 करोड़ रुपये का आबंटन करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस धन का उपयोग किन योजनाओं के लिए किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। बहरहाल, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है कि कुछ विशेष निर्माण-कार्यों का कार्यान्वयन, हाल के वर्षों के अनुभव के आधार पर, अगले तीन वर्षों में प्राथमिकता के तौर पर किया जाए। केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा 15 नवम्बर, 1971 को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत देश में बाढ़ की स्थिति के विवरण के उपाबंध-चार में ये निर्माण-कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं।

अमरीकी मोशन पिक्चर्ज एसोसिएशन की रोकी गई धनराशि

2158. **डा० सरदीश राय** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी मोशन पिक्चर्ज एसोशिएशन की 5 करोड़ रुपये से भी अधिक रुपये की रोकी गई धन राशि का प्रयोग भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन को रोकने के लिए किया जा रहा है और इस प्रकार अनुचित प्रतिद्वन्द्विता हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). 30-6-1971 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये मोशन पिक्चर्ज एक्सपोर्ट एसोसिएशन की रोकी गई

धन-राशि 5·17 करोड़ रु० है। इन निधियों का प्रयोग भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन को रोकने अथवा अनुचित प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न करने के लिये नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के तट पर समुद्री कटाव को रोकने के लिए उपाय

2159. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल के तट को समुद्री कटाव के खतरे से बचाने के लिए क्या कोई व्यापक योजना बनाई गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : केरल राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वे केरल तट के साथ-साथ समुद्र कटाव रोधी उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें जिसमें कमजोर स्थानों, अब तक शुरू किये गये कार्यों और आगे के निर्माण कार्यों, समुद्र तट कटाव बोर्ड और अन्य विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर उनकी लागत और निर्माण कार्यों की प्राथमिकताओं और चरणों का संकेत हो। इस विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

हीरे जवाहरात की जाँच के लिए प्रयोगशाला की स्थापना

2160. **श्री वी० मायावन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरे जवाहरात की जाँच के लिये कोई प्रयोगशाला स्थापित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो वह कहाँ पर स्थापित की गई है, उसमें कितने कर्मचारी हैं और उसके कृत्य क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त प्रयोगशाला में आयातित अनतराशे हीरों का परीक्षण किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अभी नहीं, परन्तु एक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए उपकरण प्राप्त हो गये हैं।

(ख) यह प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने अमले के बारे में प्रस्थापनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है, प्रयोगशाला का कार्य आधुनिक ढंग से रत्नों की जाँच करना होगा।

(ग) प्रयोगशाला में सभी प्रकार के रत्नों की जाँच करने की व्यवस्था होगी।

अफ्रीकी देशों में संयुक्त उद्यम

2161. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० एन० आई० डी० ओ० अफ्रीकी विकास बैंक और अफ्रीकी आर्थिक आयोग द्वारा नवम्बर और दिसम्बर, 1970 में नैरोबी में हुए सम्मेलन के फलस्वरूप अफ्रीकी देशों में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं के कौन-कौन से संयुक्त उद्यम आरम्भ किये जायेंगे;

(ख) ऐसी परियोजनाओं के प्रायोजकों के नाम क्या हैं; और

(ग) इनमें कितनी पूँजी लगाई जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कई भारतीय उद्योगपतियों ने, जिन्होंने नैरोबी सम्मेलन की चर्चा में भाग लिया अफ्रीकी देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई है। किन्तु अभी तक इस सम्मेलन के फलस्वरूप अफ्रीकी देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कोई विशेष प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल के बराचांका में बाढ़ तथा जल इकट्ठा हो जाने की समस्या

2162. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कंटाई सब-डिवीजन में फेटाशपउर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत बराचांका 'बेसिन' में या तो हर वर्ष बाढ़ आती है अथवा पानी इकट्ठा हो जाता है।

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप हर वर्ष सैकड़ों एकड़ भूमि में हो रही फसल बर्बाद हो जाती है;

(ग) क्या समीपवर्ती क्षेत्रों में इस पानी के फैलने को रोकने के लिए इस बेसिन के चारों ओर बाँध बनाने पर और दानस्वरूप सहायता पर काफी रकम खर्च की जाती है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने बराचांका बेसिन जल निस्सारण योजना बनाई है जिस पर 32 लाख रुपया खर्च होगा और जिसका अनुमोदन विभिन्न समितियों ने कर दिया है; और

(ङ) क्या बराचांका बेसिन निस्सारण योजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जाये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). बलियापाई नाले की अपर्याप्त क्षमता के कारण बार-बार होने वाले जल निकास अवरोध को, इसके परिणामस्वरूप होने वाली आवर्तक क्षति और राहत उपायों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम बंगाल सरकार ने 32·4 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बड़ाचौका बेसिन जल निकास स्कीम तैयार की है। यह स्कीम योजना आयोग द्वारा स्वीकृत हो गई है।

(ङ) राज्य सरकार बाढ़ नियंत्रण सेक्टर की अपनी सम्पूर्ण सीमा के भीतर चतुर्थ योजनावधि के दौरान इस स्कीम के लिए धन जुटाने में समर्थ नहीं हो सकी है।

पश्चिम बंगाल के कंटाई सब-डिवीजन में पानी का जमा हो जाना

2163. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कंटाई सब-डिवीजन में पानी जमा हो जाने की समस्या को जिससे प्रतिवर्ष लगभग वर्षा के दौरान फसलों को क्षति पहुँचती है, इस सब-डिवीजन के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्र शुरू किये जाने वाले परीक्षणात्मक सहायता कार्य के माध्यम से आंशिक रूप से हल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सब-डिवीजन सिंचाई अधिकारियों को लघु जल विकास योजनायें बनाने के लिए आदेश दिये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन पर कितना व्यय किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) . पश्चिम बंगाल सरकार ने परीक्षण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ लघु निकास स्कीमों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है और जिला अधिकारियों को ये आदेश दे दिये गये हैं कि वे इन कार्यों को प्राथमिकता दें । अभी तक राज्य सरकार से ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं ।

बिड़लाओं द्वारा विदेशों में उद्योगों की स्थापना

2164. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिड़ला उद्योग समूह द्वारा विदेशों में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : बिड़ला उद्योग समूह द्वारा विदेशों में स्थापित संयुक्त उद्यम निम्नलिखित हैं :

देश का नाम		सहयोग के क्षेत्र
1. इथोपिया		वस्त्र मिल
2. नाइजीरिया	(1)	इंजीनियरी वस्तुयें निर्माण करने के एकक
	(2)	विलायक निस्सारण संयंत्र
3. उगांडा		पटसन मिल
4. थाइलैंड		संश्लिष्ट रेशा कताई संयंत्र
5. ब्रिटेन		ऐस्बेस्टास सीमेंट उत्पाद संयंत्र

Modernisation of Export-Oriented Textile Mills

2165. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether a six-point scheme has been formulated for the modernisation of textile mills which contribute towards exports; and

(b) if so, the salient features thereof and the action being taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

लौह-अयस्क के निर्यात में संभावित कमी

2166. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लौह-अयस्क के निर्यात में चालू वर्ष में 15 लाख से 20 लाख टन की तथा 1973-74 में 60 लाख टन की कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चालू वर्ष (1971-72) के दौरान लौह-अयस्क के निर्यात गत वर्ष के 208 लाख मे० टन के निर्यातों की तुलना में कम होने की आशा नहीं है। 1973-74 में निर्यात क्षमता 275 लाख मे० टन होने की संभावना है लेकिन अभी यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि निर्यात इस स्तर तक पहुँचेंगे या नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश में वैगन न मिलने के कारण कोयला उद्योग में संकट

2167 **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण मध्य प्रदेश में कोयला उद्योग में उत्पन्न हुए गम्भीर संकट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो जमा स्टाक को वहाँ से उठाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) कोयले की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की अपर्याप्त उपलब्धता के संबंध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ख) कोयला नियंत्रक द्वारा सबसे बाद के दिये गये आंकड़ों के अनुसार 31-7-1971 को इन कोयला खानों पर 5·7 लाख मीटरिक टन कोयले का स्टाक था जबकि 31-7-1970 में वहाँ 6·6

लाख मीटरिक टन कोयले का स्टाक था। इससे मालूम होता है कि इन क्षेत्रों में कोयला खानों के स्टाक में कमी हुई है। कोयले के लदान में सुधार लाने के लिए 11 नवम्बर से एक विशेष अभियान चलाया गया है और आशा है कि इसके परिणामस्वरूप कोयला खानों के स्टाक में और भी कमी आयेगी।

विधि व्यवसाय में अध्ययन और अनुसन्धान के संवर्धन के लिए संस्थाओं को अनुदान

2168. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि व्यवसाय में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ख) गत वर्ष तथा चालू वर्ष में इन संस्थाओं को कितना-कितना सहायता अनुदान दिया गया; और

(ग) क्या इन संस्थाओं को दिए जाने वाले सहायता अनुदान में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) भारतीय विधि संस्थान, सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्था की भारतीय शाखा इस मंत्रालय के मार्फत सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय विधि संस्थान यह अनुदान अपने कार्यक्रम को जारी रखने और विधि अनुसंधान के संवर्धन और संचालन से संबंधित अनुसंधान और शैक्षिक कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए प्राप्त कर रहा है। सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान विभिन्न देशों की सांविधानिक प्रणाली के अध्ययन को बढ़ावा देने, भारतीय संविधान के कार्यकरण से संबंधित समस्या, सांविधानिक विधि और विधायी प्रारूपण का विकास, न्यायिक निर्वचन की प्रवृत्तियों और संसदीय प्रक्रिया की पद्धतियों के अध्ययन में लगा हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विधि आदि के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं में लगी हुई है।

(ख) सरकार द्वारा संस्थाओं को निम्नलिखित सहायता-अनुदान दिया गया है :

संस्थान का नाम	1970-71	1971-72
	रुपये	रुपये
(1) भारतीय विधि संस्थान	8,00,000	1,50,000 (7,50,000/- रु० के कुल अनुदान की, जिसका वायदा किया गया है, पहली किस्त)

संस्थान का नाम	1970-71	1971-72
	रुपये	रुपये
(2) सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान	2,00,000	1,00,000 (2,00,000/- रु० के कुल अनुदान की जिसका वायदा किया गया है, पहली किस्त)
(3) अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्था	24,500	25,000

(ग) जी नहीं ।

दुर्गापुर और आसनसोल में तूफान और वर्षा में हुई क्षति

2169. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के तूफान और वर्षा से दुर्गापुर और आसनसोल सब-डिवीजनों के विभिन्न गाँवों में बड़े पैमाने पर कच्चे मकानों को हुई क्षति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी क्षति हुई है; और

(ग) बेघर हुए लोगों को मकान देने तथा उनके पुनर्वास के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). हाल ही में आये चक्रवातों और वर्षापात से दुर्गापुर और आसनसोल उप-मण्डलों में घरों को पहुँची व्यापक क्षति की रिपोर्टें अभी पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं ।

पंजाब में कपास का बिक्री मूल्य

2170. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या पंजाब में कपास उत्पादकों को नाम-मात्र मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है;

(ख) क्या भारतीय रुई निगम को बाजार से कपास खरीदने के लिये कहा गया है जिससे कपास उत्पादकों को मजबूरी की दशा में कपास न बेचनी पड़े; और

(ग) यदि हाँ, तो निगम द्वारा कितनी कपास खरीदी गई है और यदि नहीं, तो इस

बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि कपास के मूल्य इतने न गिरें, जिससे किसानों को घाटा हो ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) . तथापि, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए रुई निगम से कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर वह रुई खरीदने के लिए तैयार रहे। अभी तक रुई निगम को खरीद करने की आवश्यकता नहीं हुई है क्योंकि व्यापार सामान्य ढंग से चलता रहा है, जिसके लिए ऋण-विनियमों में छूट देने, सीमावर्ती क्षेत्रों में खरीदी जाने वाली रुई के मामले, स्टाक सीमाओं में वृद्धि करने आदि जैसे आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

मछली तथा मछली-उत्पादों का निर्यात

2171. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में मछली तथा मछली-उत्पादों का कितना निर्यात किन-किन देशों को किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : एक विवरण संलग्न है। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1181/71.)**

यमुना नदी से मौनसून के पानी को पम्पों द्वारा बाहर निकालना

2172. **श्री हरी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी योजना बनाने का है कि यमुना नदी में से मानसून के पानी को पम्पों द्वारा बाहर निकाल कर आगरा नहर से हरियाणा की अरानाली पहाड़ियों के ध्रुज और कोट के कम पानी वाले क्षेत्रों में जमा किया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) . यमुना नदी में मानसून के दिनों में बहने वाले कुछ फालतू पानी को पम्प करके और हरियाणा में ध्रुज और कोट ग्रामों के निकट संचय करके दिल्ली को जल सप्लाई में वृद्धि करने के लिए एक स्कीम तैयार की गई है। बहारहाल, चूँकि हरियाणा सरकार इसके लिए सहमत नहीं हुई है, स्कीम पर कोई प्रगति करना संभव नहीं हुआ है।

गंगा बेसिन बाढ़ नियंत्रण आयोग

2173. **श्री हरी सिंह** :
श्री सतपाल कपूर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा बेसिन बाढ़ नियंत्रण आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या आयोग का कोई गैर-सरकारी सदस्य भी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) . गंगा बाढ नियंत्रण आयोग की स्थापना के प्रश्न पर अब भी विचार हो रहा है ।

वाटर एण्ड पावर डिवेलपमेंट कन्सलटेन्सी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड द्वारा आरम्भ किये गये कार्य

2174. **श्री हरी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाटर एण्ड पावर डिवेलपमेंट कन्सलटेन्सी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड ने 1971 में अफगानिस्तान तथा श्रीलंका में कुछ परियोजनाएँ आरम्भ की हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) . अफगान विद्युत प्राधिकरण ने दस से पन्द्रह लघु जल-विद्युत स्कीमों के व्यवहार्यता-अध्ययनों के साथ-साथ फूले कुमरी और बम्यान लघु जल-विद्युत निर्माण-कार्यों के परियोजना-अभिकल्प और लागत-प्राक्कलन तैयार करने का कार्य जल और विद्युत विकास परामर्श सेवा (भारत) लिमिटेड को सौंप दिया है । क्षेत्र कार्य चल रहा है । जल और विद्युत विकास परामर्श सेवा लि० द्वारा श्रीलंका में निर्माण-कार्य शुरू करने के प्रस्ताव की जाँच की जा रही है ।

वाटर एण्ड पावर डिवेलपमेंट कन्सलटैन्सी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड का पंजीयन

2175. **श्री हरी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वाटर एण्ड डिवेलपमेंट कन्सलटेन्सी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड को संयुक्त राष्ट्र के एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और खाद्य तथा संयुक्त राष्ट्र कृषि कार्यक्रम में रजिस्टर कराने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). जल और विद्युत विकास परामर्श सेवाएँ (भारत) लि० एक सलाहकारी संस्था के रूप में एशियाई विकास बक, संयुक्त राष्ट्र संघ विकासात्मक कार्यक्रम, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ पंजीकृत किया गया है । इन संगठनों में से एशिया विकास बैंक ने अब तक जल और विद्युत विकास परामर्श सेवा लि० द्वारा मनोनीत एक विशेषज्ञ की सेवाएँ इंडोनेशिया में एक बाढ़-नियंत्रण परियोजना के लिए प्राप्त की हैं ।

Underground Railway For Bombay

2176. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) when the scheme regarding underground railway for Bombay was considered for the first time; and

(b) the action taken and progress made since then in this connection ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) There is no underground Railway Scheme for Bombay so far.

(b) Does not arise.

पयानगाड़ी और एलीमाला के बीच वैनगारा पर हाल्ट स्टेशन

2177. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में पयानगाड़ी और एलीमाला के बीच वैनगारा पर हाल्ट स्टेशन बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो यह स्टेशन कब तक कार्य करना शुरू कर देगा;

(ग) क्या किसी जाँच दल ने वैनगारा का दौरा किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी हाँ।

(घ) इस स्टेशन पर जितने यातायात होने की प्रत्याशा है, उसे देखते हुए प्रस्तावित हाल्ट खोलने का औचित्य नहीं बनता।

रबड़ का निर्यात

2178. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को रबड़ निर्यात करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य सहित कुछ देशों ने भारत से प्राकृतिक रबड़ खरीदने में रुचि प्रकट की है। प्रस्थापनाएँ दोनों पार्टियों के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

एर्नाकुलम-शोरानूर रेलवे लाइन को दोहरा करना

2179. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एर्नाकुलम-शोरानूर रेलवे लाइन को दोहरा करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) 108 किलोमीटर लम्बे एर्नाकुलम-शोरानूर खण्ड पर अलवाय और एर्नाकुलम के बीच 20 किलोमीटर में दोहरी लाइन बिछाने का काम हो रहा है। अलवाय और शोरानूर के बीच दोहरी लाइन बिछाने के संबंध में यातायात सर्वेक्षण किया जा चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जाँच की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जाँच के बाद ही यह विनिश्चय किया जायेगा कि लाइन के किन-किन भागों को दोहरा करने की आवश्यकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर-गुंतकल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2180. **श्री निहार लास्कर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-गुंतकल लाइन को प्राथमिकता के आधार पर बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). इस प्रस्ताव पर तत्परतापूर्वक विचार किया जा रहा है और आशा है कि इस संबंध में बहुत जल्द ही विनिश्चय कर लिया जायेगा।

इंजीनियरी उद्योग के लिए कच्चे माल का आयात

2181. **श्री निहार लास्कर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरी उद्योग के समक्ष आने वाले कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिए इस वर्ष इस्पात, एल्यूमीनियम और जस्त के आयात के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या कच्चा माल केवल निर्यात-प्रधान उद्योगों को ही सप्लाई किया जायेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो कितने माल का आयात किया जायेगा और उसका वितरण किस प्रकार किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). इस्पात की कमी को पूरा करने के निमित्त ठीक समय पर कार्यवाही करने के विचार से आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के अधीन एक विशेष समिति उत्पादन के लिए इस्पात की उपलब्धि की पुनरीक्षा करती है। चालू वर्ष में इस्पात के लिए लगभग 192·0 करोड़ रु० मूल्य के आयात लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं। प्राथमिकता के आधार पर निर्यात-अभिमुख उत्पादन के वास्ते इंजीनियरी उद्योगों की इस्पात की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के निमित व्यवस्था भी कर दी गई है। जस्ता, सीसा तथा एल्यूमीनियम का आयात भी पूरी तरह से मार्गीकृत है। आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के अधीन एक समिति इन सभी धातुओं की उपलब्धि पर निगरानी रखती है। लघु उद्योगों को भी उनकी सामान्य हकदारियों के क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत तक अलौह धातुओं तथा इस्पात का अतिरिक्त आयात आबंटन भी किया जा रहा है।

भारत में सुरंग बनाने पर अत्यधिक लागत

2182. **श्री निहार लास्कर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सुरंगें बनाने पर बहुत अधिक लागत आती है और इस मामले में बहुत पुराना तरीका अपनाया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो सुरंग बनाने की परियोजनाओं में आधुनिकतम तकनीक अपनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सुरंग बनाने की लागत में वृद्धि कीमतों और मज़दूरी में वृद्धि होने के कारण हुई है और इसका यह भी कारण है कि अब बहुत से सुरंग-निर्माण कार्य हिमालय जैसी जटिल और कठिन भूवैज्ञानिक स्थिति में किए जा रहे हैं।

चट्टानों की गति-विधि को मापने के लिए इंस्ट्रुमैंटेशन तकनीकों का उत्तरोत्तर प्रयोग हो रहा है। महत्वपूर्ण सुरंगों और अभिकल्पों में स्तम्भों पर भार बनाये जा रहे हैं ताकि शैल यांत्रिकी (राक मिकोनिक्स) नए शास्त्र में अद्यातन उपलब्ध ज्ञान को इस्तैमाल करके, जहाँ तक संभव हो सके, लागत में कमी की जाए।

रेलवे के न्यूनतम और अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतनों में अन्तर दूर करना

2183. **श्री एन० ई० होरो :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के न्यूनतम और अधिकतम वेतनों में बहुत अधिक अन्तर है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अन्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). मौजूदा वेतन ढाँचे के अंतर्गत निम्नतम परिलब्धियों में निम्नतम वेतनमान का न्यूनतम 70 रुपया प्रतिमास, महंगाई भत्ता 71 रुपया प्रतिमास, अंतरिम सहायता 15 रुपया प्रतिमास शामिल है या कुल मिलाकर 156 रु० है और उच्चतम देय वेतन 3,500 रुपया प्रतिमास है तथा महंगाई भत्ता या अंतरिम सहायता स्वीकार्य नहीं है । तथ्य यह है कि उच्चतम और निम्नतम परिलब्धियों का अनुपात धीरे-धीरे कम किया गया है । 1947 के प्रथम वेतन आयोग के बाद रेल सेवा में उच्चतम वेतन और निम्नतम वेतन का कर-पूर्व अनुपात 55:1 था और इस समय यह अनुपात 23:1 है । फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, जिनमें रेल कर्मचारी भी शामिल हैं, की परिलब्धियों और सेवा की शर्तों की जाँच के लिए सरकार ने पहले ही दूसरे वेतन आयोग की नियुक्ति कर दी है ।

बेकार हो गये चाय बागानों में रबड़, काफी आदि की खेती करना

2184. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेकार हो चुके चाय बागानों में कोको, रबड़ और काफी उगाने के लिये उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने का है, जैसा कि मलयेशिया, ब्राजील और जापान ने किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चाय के उत्पादन में कमी

2185. **श्री के० लकप्पा :**
श्री एन० शिवप्पा :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरते हुए निर्यात, बढ़ते हुए मूल्यों तथा करों में वृद्धि के कारण चाय का उत्पादन निरन्तर रूप से कम हो रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । भारत में चाय का उत्पादन वर्ष 1966 में 3,770 लाख किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 1970 में 4,220 लाख किलोग्राम हो गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में सहरसा, बिदारीगंज में पड़े जूट तथा अन्य माल के लिये माल-डिब्बों की सप्लाई

2186. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रेलवे माल डिब्बों की कमी के कारण बिहार में सहरसा, बिदारीगंज तथा अन्य समीपवर्ती रेलवे स्टेशनों पर भारी मात्रा में जमा जूट तथा अन्य माल को प्रेषित नहीं किया जा सका;

(ख) क्या बड़ी संख्या में व्यापारी संघों ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड को अभ्यावेदन भेजे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) माल-डिब्बों की सप्लाई के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसमें सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). कलकत्ता क्षेत्र के लिए जूट के लदान और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गंतव्य स्टेशनों के लिए अन्य माल यातायात, जिसमें चीनी भी शामिल है, के लदान में तेजी लाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) और (घ). पूर्वोत्तर रेलवे पर जनवरी से जुलाई, 1971 तक की अवधि में मीटर लाइन के 7,404 माल-डिब्बों में जूट का लदान किया गया, जिससे लदान का एक उच्च स्तर

कायम हुआ जबकि 1970 की इसी अवधि में मीटर लाइन के 5,750 माल-डिब्बों में जूट का लदान हुआ था । तेज बाढ़ और लाइनों की टूट-फूट के कारण गड़हरा और फरक्का के रास्ते सीधी संचार व्यवस्था के प्रभावित हो जाने के फलस्वरूप अगस्त से अक्तूबर, 1971 तक के महीनों में जूट और अन्य माल के लदान को गहरा धक्का पहुँचा । इन परिसीमाओं के बावजूद 1 अगस्त से 15 नवम्बर, 1971 तक की अवधि में मीटर लाइन के 2,633 माल-डिब्बों में जूट का लदान किया गया । अन्य राजस्व उपार्जक वस्तुओं के लदान का उच्चतर स्तर भी कायम रखा गया और 1 अप्रैल से 15 नवम्बर, 1971 तक की अवधि में मीटर लाइन के 2,00,956 माल-डिब्बे लादे गये जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में मीटर लाइन के 1,92,210 माल-डिब्बे लादे गये थे । सीधी संचार व्यवस्था के पुनः कायम हो जाने से लदान का काम उत्तरोत्तर तेज किया जा रहा है ।

पटना सिटी स्टेशन के पुलिया नं० 102 से फैलने वाली दुर्गन्ध

2187. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पटना सिटी रेलवे स्टेशन के पुलिया नं० 102 के समीप रेलवे क्षेत्र में गाय, भैंस, बैलों और घोड़ों आदि के शव फैंके जाते हैं तथा कई बार तो उन शवों की खाल भी वहाँ उतारी जाती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ सारे क्षेत्र में भारी दुर्गन्ध फैल जाती है ।

(ख) यदि हाँ, तो रेलवे क्षेत्र को इस प्रकार शवों को जमा करने के लिए प्रयोग करने की क्यों अनुमति दी जाती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार रेलवे क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने तथा दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही करने के लिए वहाँ रेलवे पुलिस बल के सिपाही तैनात करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

पटना सिटी रेलवे स्टेशन के समीपवर्ती पुलिया नं० 102 को नया रूप देना

2188. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पटना सिटी रेलवे स्टेशन के समीप पुलिया नं० 102, उस पर से गुजरने वाले यातायात के लिए बहुत तंग है और इसका निर्माण भी बड़ा दोषपूर्ण है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसको यथासंभव नया रूप देने और वर्षा के जल आदि के सरल-निकास हेतु इसमें कुछ 'मेन-होल' बनाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त कार्य को पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) चूंकि यह पुल बरसाती पानी के निकास के लिए है, इसलिए यातायात के लिए इसके तंग होने का प्रश्न नहीं उठता। समूचा पुल अच्छी हालत में है; इसके निर्माण में कोई त्रुटि नहीं है।

(ख) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर मालडिब्बों से चोरी की घटनायें

2189. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों के साथ साँठ-गाँठ से रेलवे मालडिब्बों से बड़े पैमाने पर चोरी की घटनायें होती हैं और साथ ही रेलवे बार्ड पर, विशेषकर स्टेशन के दक्षिणी भाग में प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो चोरी की इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 1971 के दौरान पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर चोरी की केवल 5 वारदातों की रिपोर्ट की गयी है और इन वारदातों में न तो रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों और न ही अन्य रेल कर्मचारियों का हाथ था। पटना के रेलवे यार्ड में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है।

(ख) रेलों पर चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किये जा रहे हैं :

(1) रेलवे सुरक्षा दल के जो कर्मचारी चोरी के मामलों में अन्तर्ग्रस्त पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है और धीरे-धीरे उन्हें दल से निकाल दिया जाता है।

(2) नैतिक चरित्रहीनता और रेलवे में होने वाले अपराधों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों का हाथ होने से संबंधित शिकायतों के मिलने पर, उपयुक्त कार्रवाई करने की दृष्टि से रेलों के अपराध आसूचना कर्मचारियों तथा रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।

(3) रेलों में चोरियों और उठाईगीरी की रोकथाम के लिए अखिल भारतीय अभियान चलाये जाते हैं।

(4) दल को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से, अग्नि सेवा शाखा के अतिरिक्त, सुरक्षा शाखा, अभियोजन शाखा, अन्वेषण शाखा और आसूचना शाखा में विभाजित करके रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन करने का विचार है।

(5) चोरियों और उठाईगीरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए पैकेजों को समुचित रूप से पैक करने और उन पर मार्का लगाने, मालडिब्बों में ताले और रिबिट लगाने, पैकेजों के लादने और उतारने के काम का कड़ा पर्यवेक्षण और रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस में निकट समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जाता है ।

एक-सदस्यीय रेलवे श्रम न्यायाधिकरण का प्रतिवेदन

2190. **श्री मौलाना इस्हाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय द्वारा संगचल कर्मचारियों के वेतन-मानों में वृद्धि के प्रश्न की जाँच के लिए लगभग तीन वर्ष पूर्व एक-सदस्यीय रेलवे श्रम-न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया था; और

(ख) उसके द्वारा प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ, अधिकरण के विचारार्थ सात अन्य विषयों के अलावा यह भी एक विषय था ।

(ख) अधिकरण ने अभी तक सुनवाई पूरी नहीं की है । रिपोर्ट कब तक उपलब्ध होगी, इस बारे में निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है, लेकिन आशा है कि रिपोर्ट मिलने में अभी चार या पाँच महीने और लग जायेंगे ।

कलकत्ता के लिये भूगिमत रेलवे

2191. **श्री बी० के० दासचौधरी :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
डा० लक्ष्मीनारायण पांडे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के लिए भूमिगत रेलवे संबंधी सर्वेक्षण प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है ।

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) इसे कब तक और किस लागत पर पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 140 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस काम को पूरा होने में 7 वर्ष लगने की सम्भावना है ।

लम्डिग रेलवे टाउनशिप में पेय जल की कमी

2192. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लम्डिंग रेलवे टाउनशिप में पेय जल की भारी कमी की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ किस सीमा तक जल की कमी है;

(ग) क्या सरकार ने इस टाउनशिप में पेय-जल की उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और यदि हाँ, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस टाउनशिप में पेय जल की पर्याप्त सप्लाई का सुनिश्चय करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) केवल गर्मी के मौसम में पहले 1·25 लाख से 3·65 लाख गैलन तक की तंगी महसूस हुई थी।

(ग) रेल प्रशासन ने लम्डिग में पानी सप्लाई के सभी उपलब्ध स्रोतों से पानी प्राप्त करने के प्रयास किये हैं।

(घ) लम्डिग में रेलवे बस्ती को पानी की सप्लाई समय-समय पर बढ़ायी जा रही है। पानी की सप्लाई बढ़ाने की एक योजना पर काम हो रहा है।

दिल्ली स्थित अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय (पश्चिम रेलवे) के कर्मचारियों की माँगें

2193. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित अन्य रेलवे यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, में 27 अगस्त, 17 सितम्बर तथा 22 अक्तूबर, 1971 को सभाएँ तथा प्रदर्शन हुए थे;

(ख) यदि हाँ, तो कर्मचारियों की माँगें क्या थीं और उनको अब तक पूरा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) तत्संबंधी मामलों को तय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ, 82 अगस्त, 17 सितम्बर और 22 अक्तूबर, 1971 को।

(ख) और (ग). कर्मचारियों की माँगें इस प्रकार थीं :

(1) श्रेणी IV के कर्मचारियों की श्रेणी III के संवर्ग में पदोन्नति;

(2) वर्तमान रिक्तियों को भरना;

(3) इतर यातायात लेखा कार्यालय में अतिरिक्त पदों का सृजन;

(4) श्रेणी IV के कर्मचारियों को पर्याप्त वर्दियों की सप्लाई;

(5) एक दफ्तरी के साथ तथाकथित दुर्व्यवहार के लिए इतर यातायात लेखा कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही;

(6) क्वार्टरों का आबंटन।

जहाँ तक उपर्युक्त (1) और (2) का संबंध है, श्रेणी IV के कर्मचारियों की श्रेणी III के संवर्ग में पदोन्नति करने और उसके द्वारा वर्तमान रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से 24-11-1971 को प्रवण करने के लिए एक लिखित परीक्षा ली गयी है।

मद (3) के संबंध में 17 पदों के सृजन के आदेश दे दिये गये हैं। अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रश्न और मद (4) से (6) में दी गई माँगें विचाराधीन हैं।

पर्शियन गलीचों का निर्यात

2194. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 'पर्शियन' गलीचों का निर्यात कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में इनकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता कितनी है और इनके निर्यात से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत से 'पर्शियन' टाइप के गलीचों का निर्यात किया जाता है।

(ख) देश में 'पर्शियन' डिजाइन के गलीचों का उत्पादन लगभग 160 लाख रु० प्रति वर्ष का होता है। विदेशों से माँग पर निर्भर रहते हुए इसे 300 लाख रु० प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 'पर्शियन' डिजाइन के गलीचों के कोई भी निर्यात आँकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

Government Accommodation for Western Railway Employees

2195. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of officers and employees of Western Railway, who have not been provided with Government accommodation despite their being departmentally eligible for the same at Bombay, Baroda, Ratlam, Kotah, Udaipur, Ahmedabad, Bhavnagar, Rajkot, Jaipur separately; and

(b) whether Government have formulated any scheme to solve accommodation problem of Railway Officers and employees ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Complaint of plot about fatal attack on Shri Dube, Upper Grade Railway Conductor, Kotah

2196. SHRI BHAGIRATH BHANWAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the date of receipt of complaint about the plot of fatal attack on Shri S. D. Dube, an Upper-grade Railway Conductor at Kotah Railway Station, Western Railway on the 11th October, 1971;

(b) whether the Divisional Superintendent, Kotah had already been informed of the plot of fatal attack on Shri Dube; and

(c) a gist of the complaint made and the action taken thereon so far?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) and (b). On 15.8.71, a complaint from Shri Dube was received by the Divisional Superintendent, Kotah but there was no mention of any plot of fatal attack on Shri Dube.

(c) The complaint was about the irregular occupation of the Ist Class compartment by Station House Officer, Government Railway Police, Kotah, one Travelling Ticket Examiner and one outsider. The Government Railway Police Officer, Kotah had threatened Shri Dube of dire consequences. The complaint was referred to the Police authorities for enquiry.

Oil Tanks lying idle at Jodhpur Station

2197. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether oil tanks lie idle from a few days to months at Jodhpur Station in Rajasthan State;

(b) whether the Railway Department has to suffer loss of lakhs of rupees every year on this account; and

(c) if so, the action taken by Government against the employees responsible for it ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) During the last six months, there were a few occasions when loaded tank wagons booked to Jodhpur Stores Depot/Northern Railway have been detained for a few days, when such wagons have been received in excess of the normal handling capacity.

(b) and (c). As such detentions affect the utitjsation of Railway assets, action has been taken to ensure that the booking of this traffic is regulated so as not to exceed the handling capacity in the Depot. Instructions have also been issued that even when such wagons are received bunched up, special efforts must be made to release the wagons without delay.

मैंगनीज अयस्क के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा

2198. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों को मैंगनीज अयस्क के निर्यात से विदेशी मुद्रा में कितनी वार्षिक आय हो रही है; और

(ख) भारतीय मैंगनीज अयस्क के लिए और अधिक विदेशी बाजारों का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970 वर्ष के दौरान मैंगनीज अयस्क के निर्यात से 13·25 करोड़ रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा की आय हुई।

(ख) मैंगनीज अयस्क (भारत) लिमिटेड द्वारा उत्पादित/तप्राप्त अयस्क को छोड़कर मैंगनीज अयस्क के निर्यात भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किये जाते हैं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम, प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों में अपने विक्रेता अभिकर्ताओं, विशेष प्रतिनिधिमण्डलों तथा भारतीय व्यापार मिशनों के माध्यम से मैंगनीज अयस्क के क्रेताओं तथा महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं के साथ सम्पर्क बनाये रखता है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अलावा अन्य पुराने निर्यात खान मालिकों को भी विदेशी क्रेताओं के साथ सीधे व्यापार संबंधी बताचीत करने तथा संविदाएँ करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है परन्तु इसके लिए उन्हें मूल्य तथा अन्य शर्तों के विषय में खनिज तथा धातु व्यापार निगम से पहले अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

सोवियत संघ को छोड़कर, जो स्वयं मैंगनीज अयस्क का एक प्रमुख उत्पादक देश है, गत समय में विश्व के लगभग समस्त प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों को भारतीय मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया जाता था। इस संदर्भ में तथा देश में स्वीकार्य ग्रेडों के अयस्क की उपलब्धि की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय मैंगनीज अयस्क के लिए और अधिक बाजारों का पता लगाने की सम्भावनाएँ सीमित ही हैं।

सूती कपड़े और अभ्रक का निर्यात व्यापार

2199. **श्री अमरनाथ चावला** :
श्री सतपाल कपूर :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सूती कपड़े और अभ्रक का निर्यात व्यापार कितना है; और

(ख) भारतीय सूती कपड़े को विदेशों में प्रतियोगी बनाने और नयी मंडियों का पता लगाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) . एक विवरण संलग्न है :

विवरण

वस्त्र तथा अभ्रक के निर्यात :

(करोड़ रु० में)

	1969	1970	1971†
मिल निर्मित सूती वस्त्र	105·19	116·49	83·10

(† जनवरी-अक्तूबर अनन्तिम)

(मूल्य करोड़ रु० में तथा मात्रा लाख किग्रा० में)

	1968-69		1969-70		1970-71	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अभ्रक	209·6	15·50	242·6	17·47	268·5	17·71

निर्यात बढ़ाने के लिए उठाये गए कदम :

(1) काफी मात्रा में रुई के आयात का प्रबंध करना।

(2) पुख्ता क्रयादेशों के आधार पर निर्यातक मिलों के लिए विदेशी रुई का आबंटन।

(3) निर्यातक मिलों के लिए रुई की भंडार सीमाएँ शिथिल कर दी गयी हैं।

(4) अपने उत्पादन के 20 प्रतिशत भाग का निर्यात करने वाली मिलों को जटिल सूती वस्त्र मशीनों के आयात की, जो भारत में नहीं बनती हैं, अनुमति दी गई है।

(5) निर्यात अभिमुख सूती वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सुलभ ऋण दिये जाने की एक योजना की घोषणा शीघ्र ही किए जाने की आशा है।

(6) निर्यातों को और अधिक बढ़ाने के लिए तथा नये बाजारों का पता लगाने के लिए, विभिन्न बाजारों में प्रदर्शनियाँ, मेले तथा फैशन-शो का प्रबंध किया जा रहा है तथा सम्यक् प्रचार किया जा रहा है।

रेलवे के सामान की चोरी रोकने हेतु "आपरेशन मुगलसराय" प्रायोगिक परियोजना

2200. **श्री अमरनाथ चावला** :
श्री राजदेव सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड के रास्ते गुजरने वाली रेलवे की सम्पत्ति और सामान की बड़े पैमाने की चोरियों को रोकने के लिए चालू "आपरेशन मुगलसराय" प्रायोगिक परियोजना कहां तक सफल हुई है; और

(ख) क्या पुराने अपराधी फिर से सक्रिय हो गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) "आपरेशन मुगलसराय" कारगर सिद्ध हुआ है। इस आपरेशन के फलस्वरूप नवम्बर, 1970 से अक्तूबर, 1971 तक पिछले 12 महीनों में 2,00,775/- रुपये की चोरी गयी सम्पत्ति में से 69,448/- रुपये की सम्पत्ति बरामद कर ली गयी और 18 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, बल्कि इस आपरेशन से उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे — दोनों प्रशासनों को काफी लाभ हुआ है।

(ख) जी नहीं। ऐसे अपराधियों पर सख्त निगरानी के फलस्वरूप उनकी गतिविधियाँ काफी हद तक कम हो गयी हैं।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में करीमगंज रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे लाइन का उड़ाया जाना

2201. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 सितम्बर, 1971 को असम में करीमगंज रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे लाइन को उड़ाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) क्या उक्त कार्यवाही पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वालों ने की थी; और

(घ) उस क्षेत्र में रेलवे लाइनों की सुरक्षा बनाये रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ, लेकिन 15-9-71 को।

(ख) एक यात्री मर गया और अन्य 12 घायल हो गये।

(ग) संदेह है कि यह काम तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों/पाकिस्तानी एजेंटों का है।

(घ) सरकार ने इस क्षेत्र में रेलवे लाइनों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :

1. पुलिस/होम गार्डों द्वारा सुरक्षा गश्त;
2. रेलवे गैंगमैनों के सहयोग से पुलिस/होम गार्ड/ग्राम रक्षा दल के सदस्यों द्वारा पटरी का गश्त;
3. सशस्त्र पुलिस और होम गार्डों द्वारा प्रमुख रेल संस्थापनाओं और महत्वपूर्ण पुलों की चौकसी;

4. 59 माउण्ट ब्रिगेड द्वारा सर्चलाइट सहित गश्त;

5. भेद्य खण्डों पर रात के समय सवारी गाड़ियों का चलना स्थगित करना;

6. महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर प्रेक्षण चौकियाँ स्थापित की गयी हैं;

7. भेद्य क्षेत्रों में पटरी के दोनों ओर तीन मीटर पट्टी को असम लोक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम, 1947 के अधीन सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है;

8. पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के साथ लगने वाले दो गाँवों पर दण्ड के रूप में कर लगाना;

9. पाकिस्तानी एजेंटों की तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए पटरी के साथ-साथ रहने वाले ग्रामीणों में चेतना उत्पन्न करना;

10. तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों का समय पर पता लगाने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देना; और

11. भेद्य क्षेत्रों में गाड़ियों में यात्रियों के सामान की जाँच।

पूर्वी रेलवे के सब-स्टेशन के दो ट्रांसफार्मरों का जल जाना

2202. **श्री रोबिन सेन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर ग्रिड सब स्टेशन के 132/25 के० वी० के दो ट्रांसफार्मर तथा पूर्वी रेलवे के कुमारधुवी सब-स्टेशन के उसी क्षमता के दो ट्रांसफार्मर क्रमश: 1969 और 1971 में जल गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई जाँच की गई है और यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). रेलवे के और दामोदर घाटी निगम के प्रतिनिधियों द्वारा किए गये संयुक्त अनुसंधान से ऐसा पता चलता है कि दुर्गापुर में बिजली फेल होने का कारण रेलवे ट्रैक के दोषों का पता लगाने के दौरान ट्रांसफार्मरों को लगातार चलाते रहना था। रेलवे विभाग ने ट्रैक निरीक्षण के लिए पद्धति में संशोधन करने हेतु कार्रवाई की है। जहाँ तक कुमारधुवी में बिजली फेल होने का संबंध है, संयुक्त दल के अनुसंधानों से, जिन्हें अक्तूबर, 1971 के अन्त में पूर्ण कर लिया गया था, पता चलता है कि असफलता 25 के० वी० ट्रिपब्रेकर में ट्रिप कॉयल के जल जाने के कारण हुई थी। दल की मुख्य सिफारिशें इंसूलेटिंग स्लीव्ज के प्रतिस्थापन, रिलेज के बार-बार परीक्षण, प्रचालन पद्धतियों के संशोधन, ट्रिप मैकेनिज्म और सर्किट के आवेशन (चार्जिंग) से संबद्ध हैं। दामोदर घाटी निगम देखी गई कमियों को ठीक करने के लिए कार्रवाई कर रहा है।

आसनसोल डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के कालूवथान स्टेशन पर मालगाड़ियों के बीच टक्कर

2203. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अक्तूबर, 1971 को पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के कालूवथान स्टेशन पर दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए और मारे गये व्यक्तियों के नाम और पदनाम क्या हैं;

(ग) क्या घटना-स्थल पर कोई जाँच की गई थी, यदि हाँ, तो क्या कुछ ब्रेक खराब पाये गये थे; और

(घ) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ। बिजली क्रैक मालगाड़ी नं० 632 डाउन और 634 डाउन में टक्कर हुई थी।

(ख) इस दुर्घटना में 3 व्यक्ति मारे गये और एक को सख्त चोटें आयीं। मारे गये व्यक्तियों के नाम और पदनाम नीचे दिये गये हैं :

नाम	पदनाम
1. श्री जे० एन० सिंह	बिजली क्रैक मालगाड़ी नं० 632 डाउन के गार्ड
2. श्री आर० एन० मित्रा	बिजली क्रैक मालगाड़ी नं० 634 डाउन के ड्राइवर
3. श्री यू० एस० राय	बिजली क्रैक मालगाड़ी नं० 634 डाउन के सहायक ड्राइवर

(ग) इस दुर्घटना की जाँच की गयी है। जाँच समिति के निष्कर्षों के अनुसार दुर्घटना बिजली क्रैक मालगाड़ी नं० 634 डाउन की अपर्याप्त ब्रेक-शक्ति के कारण हुई।

(घ) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

दीर्घकालीन करार के अन्तर्गत भारत और सोवियत रूस के बीच व्यापार

2204. **श्री बालतन्डायुतम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीर्घकालीन व्यापार करारों के अंतर्गत भारत और सोवियत रूस के बीच संतुलित आधार पर व्यापार किया जाता है :

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सभी लेखे भारतीय रुपये में तय किये जाते हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार, दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार के अधीन, संतुलित आधार पर होता है। इस करार पर नई दिल्ली में 26-12-1970 को हस्ताक्षर हुए थे और यह 1971 से 1975 तक के पाँच वर्षों के लिए है। करार की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में भेज दी गई हैं।

(ग) विद्यमान करार के अनुसार भारत और सोवियत संघ के बीच वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक स्वरूप के सभी भुगतान भारतीय रुपयों में किये जाते हैं।

भारतीय-सोवियत व्यापार सहयोग

2205. **श्री बालतन्डायुतम** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-75 में भारत सोवियत व्यापार सहयोग की मुख्य प्रवृत्ति मशीनें और उपकरण, कच्चे उत्पादन और वस्तुओं को अधिक मात्रा में देकर भारत के औद्योगिक विकास में सोवियत सहायता को बढ़ाना है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). भारत और सोवियत संघ के बीच हुए विद्यमान व्यापार तथा भुगतान करार में, जो दिसम्बर, 1975 तक वैध है, अन्य माल के साथ-साथ हमारे स्वदेशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए मशीनों, सोवियत-स्वलभता से स्थापित परियोजनाओं के लिए संघटकों तथा फालतू पुर्जों, समुद्री जहाजों, मिट्टी का तेल, तेल तथा स्नेहक, विले इस्पात के उत्पादों, समाक्षारीय धातुओं, कच्चे माल, उर्वरकों आदि का भारत में आयात करना शामिल किया गया है। परन्तु प्रत्येक वर्ष के लिए इन आयातों का परिमाण वार्षिक व्यापार संलेख तैयार करते समय दोनों सरकारों के बीच बातचीत द्वारा तय किया जायेगा।

असिस्टेंट इंजीनियरों को स्थायी करना तथा पदोन्नति के अवसर

2207. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को दिए गए एक अभ्यावेदन में अस्थायी असिस्टेंट गजेटेड इंजीनियरों ने स्वयं को स्थायी करने और पदोन्नति के अवसरों से संबंधित शिकायतें की हैं;

(ख) क्या इंजीनियरों ने यह अनुरोध किया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई यह सिफारिश कि एक ग्रेड में दो वर्ष से अधिक सेवा करने वाले लोगों को स्थायी बनाया जाये, स्वीकार कर ली जानी चाहिये; और

(ग) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतें क्या हैं और क्या सरकार ने उन पर विचार किया है; और यदि हाँ, तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) रेलों के अस्थायी अधिकारियों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की ऐसी कोई सिफारिश नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कर्मचारी प्रशासन के संबंध में स्थापित अध्ययन दल ने अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के बारे में कुछ विचार व्यक्त किये हैं। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इनकी जाँच की जा रही है।

(ग) अस्थायी इंजीनियरों से समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया जाता है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

राजस्थान नहर को कांडला पत्तन के साथ जोड़ना

2208. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान नहर को कांडला पत्तन के साथ जोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) क्या उक्त परियोजना पर लागत का अनुमान लगा लिया गया है और इस पर कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में विद्युत की आवश्यकता

2209. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आगामी पाँच वर्षों में राज्य-वार और क्षेत्र-वार विद्युत की आवश्यकता का, इसी प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई समिति द्वारा अनुमान लगा लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) सातवीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। समिति का कार्य प्रगति पर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई में अव्यवस्था कम करना और 'लो वोल्टेज' में सुधार करने विषयक समिति

2210. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई में अव्यवस्था को कम करने और 'लो वोल्टेज' की अवस्थाओं में सुधार करने के बारे में जाँच करने के लिए स्थापित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). समिति ने हाल में अपनी रिपोर्ट दे दी है। यह एक तकनीकी रिपोर्ट है और रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें इनसे संबंधित हैं—वितरण प्रणालियों का आयोजन और अभिकल्प, उचित स्तर वाली और परीक्षित सामग्रियों का प्रयोग, वितरण प्रणालियों का नियमित निरीक्षण, उपचारी उपायों को अपनाया जा सके इसलिए विभिन्न किस्मों के दोषों को व्यवस्थित रूप से रिकार्ड करना और उनका विश्लेषण, बेहतर प्रचालन और रख-रखाव पद्धतियाँ, कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि।

Hindi Translation of Railway Manuals

2211. SHRI JAGANNATH MISHRA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of Manuals sent by his Ministry so far to the Central Hindi Directorate for translation;

(b) the date of receipt of the translation of each of those Manuals in the Ministry from the Directorate;

(c) the names of the Manuals out of those translated which have either been printed in Hindi or in diglot form (Hindi-English) along with the names of those which are yet to be printed; and

(b) the action being taken to ensure that the remaining translated books are printed in Hindi or in Hindi-English diglot form as early as possible and the time by which this job is proposed to be completed ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Six.

(b)

Name of the Manual	*Date of receipt of translation*
1. The Manual of Office Procedure	Sept. 1964.
2. Indian Railway Commercial Manual Part I & Part II	Part I in Oct. 1970 Part II in Dec. 1970
3. Indian Railway Signal Engineering Manual	April, 1970
4. Indian Railway Establishment Manual	Dec. 1969
5. Indian Railway Way & Works Manual	Oct. 1971
6. The Manual of Statistical Instructions Vol. II	Oct. 1968

(c) The Manual of Office Procedure (item 1 of (b) above) has already been printed in Hindi-English bilingual form.

All other Manuals are yet to be printed in Hindi-English bilingual form.

(b) The work in regard to publication of Manuals has to be processed in three stages after the Hindi translation is received. Firstly the English text is brought upto date incorporating all amendments issued since the book was rendered into Hindi. Secondly the translation is to be revised in accordance with the latest technical terminology evolved and thirdly the translation is scrutinised from the technical point of view by Directorates concerned in this Ministry. The Hindi-English manuscripts can be handed over to the Press only after these three stages of work are over. In view of this it is not possible to indicate, at present, the time by which the job can be completed.

दिल्ली और हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रैस की लाइन पर तोड़-फोड़ की गतिविधियाँ

2212. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी एक्सप्रैस की दिल्ली-हावड़ा लाइन पर तोड़-फोड़ के बार-बार प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे प्रयासों से लाइन की सुरक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उत्तर रेलवे के झिझंक और अम्बियापुर स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के निकट 24 अक्तूबर, 1971 को लकड़ी का एक टुकड़ा पाया गया था और ड्राइवर ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी थी;

(घ) यदि हाँ, तो क्या गाड़ी अथवा लाइन को कोई क्षति हुई थी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) हाल में केवल 26-3-1971 को एक ऐसी घटना हुई थी।

(ख) जो उपाय किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :

1. रेलवे सुरक्षा दल, इंजीनियरिंग गैंगमैनों द्वारा सुरक्षा गश्त शुरू किया गया है;
2. भेद्य स्थलों पर रेलवे सुरक्षा दल और राज्य पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से भी गश्त लगाया जा रहा है;
3. राज्य पुलिस से कहा गया है कि वे गाड़ियों के गुजरने के समय पुलों और पुलियों की चौकसी करें;
4. रेल-पथ के बिल्कुल निकट रहने वाले ग्रामीणों में रेल-पथ की तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों और उनके गम्भीर परिणामों के प्रति चेतना उत्पन्न की जाती है;

5. तोड़-फोड़ के बारे में समय पर सूचना देने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त पुरस्कार दिये जाते हैं; और

6. गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल के मार्ग-रक्षियों की व्यवस्था ।

(ग) जी हाँ, लेकिन घटना 23-10-1971 को हुई; और

(घ) इंजन को मामूली क्षति पहुँची थी लेकिन पटरी को कोई क्षति नहीं पहुँची ।

पासंकुरा-हल्दिया रेल-लाइन का विद्युतीकरण

2213. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नव-निर्मित पासंकुरा-हल्दिया रेल-लाइन का विद्युतीकरण किये जाने की संभावना है;

(ख) पत्तन क्षेत्र सहित उक्त लाइन का पूरा निर्माण करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या एक दूसरी लाइन बिछाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) क्या इस लाइन पर लगाये गये तथा इस समय बेरोजगार श्रमिकों को विद्युतीकरण कार्य हेतु काम करने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 1973 के दौरान किसी समय ।

(ख) पासंकुरा से दुर्गाचक (59·43 कि० मी०) लाइन 16-1-1969 से माल यातायात के लिए खोल दी गयी है । दुर्गाचक से हल्दिया (10·18 कि० मी०) के बीच की लाइन को जून, 1972 तक पूरा करने की योजना है । इस लाइन के निर्माण में विलम्ब नहीं हुआ है । इस लाइन को पोर्ट प्राधिकरण की आवश्यकताओं के साथ ही साथ पूरा करने का विचार है जो पोर्ट क्षेत्र में निर्माण-कार्य स्वयं करा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी नहीं ।

इन्दौर रेलवे स्टेशन कैन्टीन के ठेकेदार के विरुद्ध शिकायतें

2214. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्दौर रेलवे स्टेशन पर श्री गुरनानी द्वारा चलायी जा रही कैन्टीन के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करने के लिये अधिकारियों का एक दल भेजा था;

(ख) उस दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारियों के उक्त दल ने स्थानीय पत्रकारों, संसद् सदस्यों और अन्य उच्च विशिष्ट व्यक्तियों से पूछताछ की थी; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम को रेलवे द्वारा श्रदा किया गया मुश्रावजा

2215. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष खुले माल डिब्बों में ले जाये जा रहे खाद्यान को हुई क्षति के लिये रेलवे ने भारतीय खाद्य निगम को कुल कितना मुआवज़ा अदा किया;

(ख) गत दो वर्षों में निगम को किये गये ऐसे भुगतानों के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(ग) क्या कतिपय अधिकारी दावों को मनमाने ढंग से निबटा देते हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इन व्यक्तियों के पद तथा नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 7,624 रुपये। (यह दक्षिण-पूर्व रेलवे को छोड़कर बाकी सभी रेलों पर अप्रैल, 1971 से सितम्बर, 1971 तक दी गयी क्षतिपूर्त्ति और दक्षिण-पूर्व रेलवे पर अप्रैल, 1971 तक दी गयी क्षतिपूर्त्ति की रकम के द्योतक हैं)।

(ख) पिछले दो वर्षों में निगम को किये गये इस तरह के भुगतान के तुलनात्मक आँकड़े इस प्रकार हैं :

अप्रैल, 1969 से सितम्बर, 1969	22,828 रुपये
अप्रैल, 1970 से सितम्बर, 1970	17,022 रुपये

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"निर्माण-कार्यक्रम" की पूर्त्ति

2216. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न स्थानों पर इस वर्ष आरम्भ किये जाने वाले निर्माण-कार्यक्रमों में कितने निर्माण कार्य शामिल किये गये हैं;

(ख) इस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी;

(ग) इन कार्यक्रमों का राज्यवार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कार्यक्रमों को निर्धारित अवधि में ही पूरा करने का सुनिश्चय करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ताकि पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति देने की आवश्यकता न पड़े ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक हजार छत्तीस नये निर्माण कार्य ।

(ख) (i) कुल लागत : लगभग 144 करोड़ रुपये ।

(ii) 1971–72 के लिए परिव्यय : 28·57 करोड़ रुपये ।

(ग) निर्माण-कार्यों का विवरण राज्यवार संकलित नहीं किया जाता; और

(घ) निर्माण-कार्यों की प्रगति के संबंध में समय-समय पर समीक्षा की जाती है और निष्पादन के निश्चित कार्यक्रम और निर्धारित तारीखों के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

आराह स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर छात्रों की भीड़ द्वारा डाक रेलगाड़ी का रोका जाना

2217. **श्री मुहम्मद शरीफ़ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रों की भीड़ ने 4 नवम्बर, 1971 को आराह स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर डाक रेलगाड़ी को रोक लिया था और पुलिस ने उन पर गोली चलायी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई जाँच की गई है; और यदि हाँ तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) आराह की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/149/307/337 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126/128/121 के अधीन 4-11-71 को मामला सं० 1 दर्ज किया है और उसकी जाँच हो रही है ।

फीरोजपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के स्पेशल ट्रेन एग्जामिनरों को विश्राम सुविधायें

2218. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर ने 18 अक्तूबर, 1971 के अपने पत्र संख्या 960 ई/10/सी/–26(2) एन० आर० एम० वी०/ई० यूनियन में डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, फीरोजपुर की

स्पेशल ट्रेन एग्ज़ामिनरों को खाना पकाने की सुविधाओं, यहाँ तक कि लुधियाना रनिंग रूम में उनके द्वारा प्रयोग किये जाने के लिए पृथक कुक तथा बैरे की व्यवस्था करने की सुविधाओं सम्बन्धी कार्यवाही का अनुमोदन किया है;

(ख) क्या स्पेशल ट्रेन एग्ज़ामिनरों को साधारण विश्राम सुविधायें दी जाती हैं और चटाइयाँ, तकिये, चादरें, कम्बल आदि नहीं दिये जाते, केवल विश्राम के लिए स्थान ही दिया जाता है;

(ग) क्या मद (क) में दिये गये आदेश बोर्ड के निदेशों के विरुद्ध हैं; और

(घ) यदि भाग (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) प्रचलित आदेशों के अनुसार, लुधियाना, पठानकोट और अमृतसर स्थित रनिंग रूम विशेष टिकट परीक्षकों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे थे क्योंकि रनिंग कर्मचारियों द्वारा सुविधाओं के उपयोग के बाद उनमें फालतू जगह उपलब्ध थी। फिर भी, लुधियाना में, विशेष टिकट परीक्षकों और गार्डों के बीच कुछ झगड़ा उठ खड़ा हुआ और रसोइयों और बैरों के रजिस्टरों की इस ढंग से पुनर्व्यवस्था करना संभव हो सका ताकि एक ओर रनिंग कर्मचारियों को और दूसरी ओर विशेष टिकट परीक्षकों को खाना परोसने का समय एक ही न हो। विशेष टिकट परीक्षकों के लिए किसी अतिरिक्त रसोइये और बैरे की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(ख) रेलवे बोर्ड की वर्तमान हिदायतों के अनुसार, विशेष टिकट परीक्षकों/चल टिकट परीक्षकों को आमतौर पर, रनिंग रूमों में केवल आराम करने की सुविधा प्राप्त है। फिर भी, कुछ रनिंग रूमों में इन कर्मचारियों को अन्य सुविधाएँ जिनमें इन्हें खाना दिया जाना भी शामिल है, दी जा सकती हैं, बशर्ते, इस प्रकार के उपयोग से नियमित रनिंग कर्मचारियों को काई असुविधा न हो।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कनाकुल में बाढ़ों द्वारा हुई क्षति का कारण

2219. **श्री विजय मोदक** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कनाकुल में बाढ़ के कारण हुई क्षति का एक मुख्य कारण यह है कि सरकार ने प्रति वर्ष नदी-तटबंधों की समय पर मरम्मत नहीं की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो तटबंधों की समय पर मरम्मत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). हुगली जिले में कनाकुल क्षेत्र मुण्डेश्वरी के दायें किनारे की तटबंधरहित पहुँचों और दारकेश्वर के बायें किनारे के बीच पड़ता है। अतः इस क्षेत्र में बाढ़ें इस कारण आती हैं कि ऊँचे दर्जे की बाढ़ों के समय नदियाँ किनारों से उमड़ कर बहने लगती हैं।

केरल से निर्यात बढ़ाने के लिए कार्यवाही

2220. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष केरल का निर्यात व्यापार लगभग ठप्प हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केरल से निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). राज्यवार निर्यात आँकड़े इस समय संकलित नहीं किए जा रहे हैं और इसलिए किसी एक राज्य से निर्यात की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना कठिन है।

बेरोजगार इंजीनियरों को निर्माण कार्यों के ठेके देना

2221. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के ठेके केवल बेरोजगार इंजीनियरों अथवा उनके द्वारा बनायी गयी सहकारी समितियों को देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) इस प्रकार की एक योजना अभी तक विचाराधीन है।

(ख) ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बिजली की कमी

2222. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बिजली की अत्यधिक कमी है और बिजली बन्द होने की घटनाएँ बहुत अधिक होती हैं;

(ख) इस क्षेत्र के अधिकतर जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र माने जाने को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार का विचार वहाँ बिजली की स्थिति को सुधारने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार का विचार इन क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण किस प्रकार करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) चूँकि विद्युत जनन की गति कृषि और उद्योग द्वारा विद्युत की बढ़ती हुई माँग से कम रही है, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत की सामान्य कमी है और इसका प्रभाव पूर्वी जिलों पर भी पड़ रहा है। हाल के महीनों में पारेषण पथों में दोष आ जाने से कुछ-एक बार बिजली फेल हुई है लेकिन इस प्रकार की घटनाएँ बहुत ज्यादा नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग). ओबरा ताप विद्युत केन्द्र की विद्युत जनन क्षमता में 300 मैगावाट की अतिरिक्त वृद्धि की जा रही है जिसमें चौथी योजना में चालू करने के लिए 100-100 मैगावाट के तीन विद्युत जनन यूनिट लगाने का निश्चय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1971-81 दशक योजना के भीतर 1400 मैगावाट की और ताप विद्युत जनन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

सियालदह डिवीजन में रविवारों के दिन यात्रियों को लूटा जाना

2223. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्व रेलवे सियालदह तथा डमडम जंकशनों के बीच सक्रिय गिरोह द्वारा सियालदह रेलवे स्टेशन पर रविवारों के दिन रेल यात्रियों के बटवे तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के छीने जाने की घटनाओं में वृद्धि की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) क्या जी० आर० पी० इन घटनाओं को रोकने में असफल रही है;

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ। रविवार के दिन इस प्रकार की घटनाएँ कुछ अधिक होती रही हैं।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस बिलकुल असफल नहीं रही है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं का रुख 1970 की तुलना में 1971 में (अक्तूबर तक) कुल मिलाकर घटती की ओर रहा है।

(ग) और (घ). इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(i) अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए विभिन्न प्रभावित स्थलों/क्षेत्रों में तथा गाड़ियों पर विशेष पहरा देने वाले, जिनमें सादी पोशाक वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, तैनात किये गये हैं।

(ii) रात में चलने वाली महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों पर सरकारी रेलवे पुलिस के मार्गरक्षियों की व्यवस्था की जाती है ।

(iii) रेल सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए यार्डों या स्टेशन के प्लेटफार्मों पर ड्यूटी पर तैनात रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों को सख्त हिदायत जारी कर दी गयी है कि वे अपराध-स्थल पर तुरन्त पहुँचें और पीड़ित व्यक्तियों को सभी संभव सहायता पहुँचायें ।

हावड़ा, पश्चिम बंगाल के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई जल की कमी

2224. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में नलकूपों का विद्युतीकरण नहीं किये जाने के कारण सिंचाई जल की भारी कमी की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ जल की कितनी कमी है;

(ग) नलकूपों का विद्युतीकरण न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार नलकूपों का विद्युतीकरण करने तथा पानी की कमी को दूर करने हेतु तुरंत कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ङ). चालू वर्ष के आरम्भ होने तक हावड़ा जिले में 16 राजकीय नलकूपों का ऊर्जन कर दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान 33 नलकूपों को ऊर्जित करने का कार्यक्रम है जिसमें से 20 नलकूप बाढ़ सहायता स्कीमों से संबद्ध हैं । इन 20 नलकूपों में से 4 ऊर्जित हो गए हैं और नौ नलकूपों के, जिनके संबंध में कार्य में मानसून के कारण देरी हो गई थी, दिसम्बर, 1971 के अन्त तक ऊर्जित होने की संभावना है । शेष 7 के संबंध में भीतरी बिजली के तार लगाने, परीक्षण इत्यादि करने के संबंध में कार्य पूर्ण हो गया है और कृषि विभाग द्वारा आवश्यक धन जमा किया जा रहा है ताकि पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ऊर्जन के कार्य को तत्काल शुरू करने में समर्थ हो सके । जहाँ तक सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत 13 नलकूपों का संबंध है, उनमें से एक नलकूप को पहले ही ऊर्जित कर दिया गया है और शेष 12 नलकूपों को मार्च, 1972 तक ऊर्जित करने की संभावना है ।

रेलवे सामग्री के नीलामी संबंधी विवादों को निपटाने के लिये जोनल रेलों की शक्तियों का प्रत्यायोजन

2225. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामग्री की नीलामी से उठने वाले विवादों के मामलों को निपटाने के लिए जोनल रेलवे के पास कोई शक्ति नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे मामलों को निपटाने के लिए जोनल रेलों की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है। यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। क्षेत्रीय रेलों को पूरे अधिकार हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे सामग्री के नीलामी नोटिसों में विशेष व्यवस्था

2226. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने कुछ मामलों में रेलवे सामग्री के नीलामी नोटिसों में विशेष शर्तें रखी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे मामले किस प्रकार के हैं;

(ग) क्या किसी संदेह और विवाद की स्थिति में ये विशेष शर्तें कायम रहती हैं और "जहाँ है और जैसी हालत में है" की सामान्य शर्त के अन्तर्गत सभी जोनल रेलवे की जिम्मेदारियों को अस्वीकार करने के निर्देश हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे मामलों के संबंध में विशेष व्यवस्था होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटी लाइनों को बदलने में प्राथमिकता देना

2227. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटी लाइनों को बदलने में सर्वोच्च प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन छोटी लाइनों के नाम क्या हैं जिनके बदले जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). सरकारी स्वामित्व वाली छोटी लाइन के किसी खण्ड विशेष को मीटर लाइन या बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में कार्यवाही हमेशा प्रत्येक

मामले के गुण-दोष के आधार पर की जाती है जिसमें ऐसे बदलाव के लाभ को ध्यान में रखा जाता है। 1969 की अलाभप्रद शाखा लाइन समिति ने अभी हाल में कुछ छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में सिफारिश की है। इस समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। फिर भी इस समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित 8 छोटी लाइनों को बदलने के संबंध में यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी गयी है :

1. रायपुर—धमतारी
2. कुर्डुवाडी—पण्डरपुर
3. रूपसा—तालबंद
4. पुरुलिया—कोट्टशिला
5. छोटा उदयपुर—प्रतापनगर
6. छछापुर—तंखला
7. कृष्णनगर सिटी—शांतिपुर
8. दक्षिण पूर्व रेलवे में सतपुड़ा छोटी लाइन रेलवे का उत्तरी खण्ड।

मद 1, 2 और 7 के संबंध में अभी हाल में ही सर्वेक्षण का काम पूरा किया गया है और रेलवे बोर्ड फिलहाल सर्वेक्षण रिपोर्ट की जाँच कर रहा है। बाकी खण्डों का सर्वेक्षण चल रहा है। सर्वेक्षण पूर्ण हो जाने और रिपोर्ट की सभी पहलुओं से जाँच हो जाने के बाद प्रत्येक मामले के संबंध में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

Loss to Railways due to Sabotage and Derailments

2228. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the estimated loss in terms of rupees suffered by the Indian Railways on account of sabotage since the 1st January, 1970;

(b) the total number of cases of sabotage and derailment during the aforesaid period; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check such cases of sabotage in future ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Rs. 32,82,497·50.

(b) 417.

(c) The following steps are taken :

1. Security patrolling by the Police/Home Guards;
2. Track patrolling by Police/Home guards/Village Defence Party members in conjunction with the railway gangmen;

3. Guarding of vital railway installations and important bridges by armed police and home guards;
4. Searchlight patrolling where considered necessary;
5. Suspension of night running of passenger trains in vulnerable sections:
6. Arousing consciousness amongst villagers adjacent to railway track against acts of sabotage by Pakistani Agents;
7. Rewarding persons responsible for timely detection of sabotage activities;
8. Checking of passengers luggage in trains in affected areas;
9. Impositing of punitive taxes; and
10. Declaration of 3 metres belt on either side of track in the vulnerable sections as protected area under Assam Maintenance of Public Order Act, 1947.

Additional expenditure on Imports and Exports due to closure of Suez Canal

2229. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state:

(a) whether Government have incur more expenditure on freight on imports and exports as a result of closure of Suez Canal; and

(b) if so, the total expenditure incurred by Government on this account in terms of Indian as well as foreign currency during the last three years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE): (a) Yes, Sir. India is incurring more expenditure on freight on imports as a result of closure of Suez Canal.

(b) Statistics of freight paid on our imports/exports are not maintained.

As regards additional expenditure on freight on imports on Government account as a result of the closure of Suez Canal, the expenditure involved is estimated at Rs. 1 crore per month on an average during the last 3 years.

Progress of Sindhu River Project

2230. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI:
SHRI ARVIND NETAM:

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2750 on the 22nd June, 1971 and state:

(a) whether comments on the Project Report-Phase I of the Sindhu River Project have since been forwarded to the State Government;

(b) whether a final decision has been taken in regard to this project; and

(c) the time by which the work will be started and completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL): (a) Yes.

(b) and (c). The reply of the Government of Bihar on the comments of the Central Water and Power Commission have not so far been received.

The Project will be processed further on receipt of clarifications from the State Government of Bihar.

Grievances of Assistant Permanent Way Inspectors absorbed on Northern Railway

2231. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether he received representation No. BNA/Engg./70, dated the 20th July, 1970 regarding the alleged injustice done to ex-AIOW of Western Railway now absorbed as APWIs' on Northern Railway;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the action taken thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) A note detailing grievances of ex-Assistant Inspectors of Works of Western Railway, absorbed as Assistant Permanent Way Inspectors, was received from late Dr. B. N. Antani, M. P., Rajya Sabha, alongwith his letter No. BNA/Engg./70, dated 20.7.1970.

These related to :

1. Declaration, as surplus, of Assistant Inspectors of Works on Western Railway not done in order of their seniority;
2. Termination of services of seniors earlier while continuing the juniors in service;
3. Payment of retrenchment compensation and condonation of break in service;
4. Pay fixation;
5. Fixation of seniority as Assistant Permanent Way Inspectors, taking into account service as Assistant Inspector of Works; and
6. Re-absorption as Assistant Inspector of Works on the Western Railway.

(c) These grievances have been examined and the position is as under :

(1) & (2). On Western Railway Assistant Inspectors of Works were declared surplus in the inverse of seniority. Such of those who declined alternative appointment as clerks were discharged. Later, they, alongwith others who had accepted the offer of alternative appointment, were given option for the post of Assistant Permanent Way Inspectors either on Northern Railway or Western Railway. There were a few cases of A.I.O.Ws. in the construction Unit at Gandhidham etc. where junior A.I.O.Ws. continued to work as such, as their relievers (A.I.O.Ws. senior to them) could not take over from them in time, owing to their being engaged on Jhund-Kandla Project where work was in progress. A few senior A.I.O.Ws., therefrom, came to be absorbed in alternative appointments as Clerks earlier than those junior A.I.O.Ws. at Gandhidham etc.

(3) The Western Railway Administration is considering the question of condonation

of break in service and payment of retrenchment compensation to concerned A.I.O.Ws. wherever due and called for.

(4) Under the extant orders, protection of pay last drawn in a higher grade is not permissible on appointment to a lower post, on being rendered surplus.

(5) Surplus staff absorbed in alternative posts are not given weightage of their previous service for the purpose of seniority in the alternative post.

(6) It is not feasible to transfer ex-A.I.O.Ws. of Western Railway, absorbed as A.P.W.Is. on Northern Railway after imparting them training, back to Western Railway for posting as A.I.O.Ws.

राणाघाट जंक्शन (पूर्व रेलवे) पर पीने के पानी की कमी

2232. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के राणाघाट जंक्शन (पश्चिम बंगाल) पर पीने के पानी की अत्यधिक कमी है और यात्रियों को बहुत अधिक कठिनाई होती है;

(ख) क्या इस स्थिति को सुधारने के लिये राणाघाट जंक्शन पर नलकूप लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सहायक व्यवस्था के रूप में स्टेशन पर दो नलकूपों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

केरल में समुद्री कटाव के संबंध में प्रतिवेदन

2223. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में समुद्री कटाव के संबंध में प्रस्तुत किए गए डा० मनोहरन के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : डा० मनोहर की सिफारिशें केरल सरकार को प्रेषित कर दी गई हैं जिसे इसकी जाँच और कार्यान्वयन करना है। राज्य सरकार ने बताया है कि कुछ प्राथमिक कार्य पहले से ही शुरू कर दिए गए हैं और डा० मनोहरन की सिफारशों के अनुसार वर्तमान संरचनाओं के रख-रखाव के लिए ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का विलयन

2234. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों निगमों को एक जीवन्त तथा सुदृढ़ सुरक्षा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में विलयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं।

(ख) वृहत् सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के बारे में सिविल कार्य हाथ में लेने के लिए राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निमग ने अपेक्षित विशेषज्ञता जुटा ली है। निगम की कार्य-प्रणाली को सुधारने के उपाय जारी हैं।

निचली दामोदर विकास योजना के अधीन डांकुनी नहर की खुदाई

2235. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डांकुनी नहर की पुन: खुदाई करने तथा डांकुनी की बाढ़ग्रस्त दलदली भूमि को भी निचली दामोदर विकास योजना में शामिल करने के बारे में पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के गाँव के बाढ़ग्रस्त किसानों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनकी माँग पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को इस क्षेत्र में जल निकास संबंधी समस्या के बारे में डांकुनी समिति से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने यह बताया है कि निम्न दामोदर स्कीम के अन्तर्गत विकसित होने वाले क्षेत्र में ये प्रस्ताव नहीं आते और 65 लाख रुपये की लागत पर एक अलग स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम में ये कार्य शामिल हैं :

(1) वैद्यवती और बन्दर बिल क्षेत्र में डांकुनी निस्सार नहर में मुहाने की दुबारा खुदाई;

(2) हुगली नदी के मुहाने तक बल्ली खाल की दुबारा खुदाई;

(3) शाखा और मुख्य नालियों की दुबारा खुदाई;

(4) मौजूदा संरचनाओं का पुनर्रूपण, बल्ली खाल के दोनों तटों की सुरक्षा और क्रास निकास कार्यों का निर्माण आदि।

यह स्कीम कलकत्ता मेट्रोपालिटन विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आती है और यह प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति के लिए उनके पास भेज दी गई है। यह स्वीकृति मिलने के पश्चात् कार्यान्वित की जाएगी।

बल्ली खाल और वैधवती के मुहाने पर दो नए कपाटों के निर्माण की स्कीमें, जिनसे इस क्षेत्र में जल निकास में भी सहायता मिलेगी, राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही हैं।

चित्तरंजन लोकोमोटिव टाउनशिप के चारों ओर पक्की दीवार का बनाया जाना

2236. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चित्तरंजन लोकोमोटिव टाउनशिप के चारों ओर पक्की दीवार बनवाने का निर्णय किया है।

(ख) इस प्रकार के निर्णय के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय के विरुद्ध चित्तरंजन लोकोमोटिव के कर्मचारियों से सरकार को कोई विरोध-पत्र अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ, लेकिन केवल कुछ विशिष्ट भाग के लिए न कि पूरे चित्तरंजन टाउनशिप के इर्द-गिर्द।

(ख) चोरी और डकैती की रोकथाम के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध की दृष्टि से।

(ग) जी हाँ, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के कर्मचारियों के एक वर्ग से।

(घ) चूँकि यह पूरे टाउनशिप की सुरक्षा और संरक्षा का प्रश्न है, इसलिए अभ्यावेदन कर्त्ताओं को मामला समझा दिया गया और निमार्ण-कार्य जारी रखा गया।

केसोराम रेयन्स, हुगली (पश्चिम बंगाल) में तालाबन्दी

2237. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अगस्त, 1971 से केसोराम रेयन्स, जिला हुगली (पश्चिम बंगाल) में हुई तालाबन्दी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तालाबन्दी के क्या कारण थे;

(ग) इस तालाबन्दी के कारण कितने कर्मचारी बेरोजगार हुए; और

(घ) इस मिल की तालाबन्दी समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रबंध ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों ने अनुशासनहीनता, धीरे कार्य करने, तथा अवज्ञा के कार्य किये।

(ग) लगभग तीन हजार।

(घ) इस बीच तालाबन्दी हटा ली गई है।

इस्पात संयंत्रों में पड़े हुए इस्पात की ढ़ुलाई के लिये माल डिब्बों की कमी

2238. **श्री वी० मायावन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डिब्बों की कमी के कारण इस्पात संयंत्रों के गोदामों में लगभग 1,25,000 मीटरी टन परिष्कृत इस्पात जमा हो गया है;

(ख) क्या माल डिब्बों की लौट-फेर भी विलम्ब से हुई है जिससे इस्पात उद्योग के विकास को क्षति पहुँची है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए रेलवे ने कौन से कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। इस्पात संयंत्रों से तैयार माल सामान्यत: समूचा परिवाहित होता है। फिर भी, अक्तूबर, 1971 के अन्त में 3,52,000 मीटरिक टन तैयार माल भेज दिये जाने के बाद पाँच इस्पात संयंत्रों में लगभग 40,000 मीटरिक टन माल रुका रहा। ऐसा कुछ तो लाइनों में टूट-फूट और अनाज की भारी ढुलाई के कारण फरक्का और गड़हरा के रास्ते ढुलाई पर लगे रहने वाले अस्थायी नियंत्रण के फलस्वरूप और कुछ बी० एफ० आर० स्टाक की कम उपलब्धता के कारण हुआ क्योंकि अक्तूबर में उन्हें अधिक संख्या में तात्कालिक अग्रता वाली वस्तुओं की ढुलाई के लिए इस्तेमाल करना पड़ा था।

(ख) और (ग) . इस्पात संयंत्रों के यातायात के लिए इस्तेमाल किये गये मालडिब्बों के फेरे इस्पात संयंत्रों में और कुछ उतराई टर्मिनलों पर मालडिब्बों के इकट्ठा हो जाने के कारण लक्ष्य से अधिक रहे। फिर भी, मालडिब्बों की कमी के कारण इस्पात उद्योग के विकास को प्रभावित नहीं होने दिया जाता क्योंकि इस्पात संयंत्रों में मालडिब्बों के अत्यधिक समय तक रुके रहने के बावजूद इस्पात संयंत्रों में कच्चा माल लाने और वहाँ से तैयार माल ले जाने के लिए काफी मालडिब्बे सप्लाई किये जाते रहे।

इलायची पुनर्रोपण वित्तीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी आर्थिक सहायता

2239. **श्री वी० मायावन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 के दौरान इलायची पुनर्रोपण वित्तीय योजना के अन्तर्गत कितने मामलों में तथा कितनी सहायता दी गई; और

(ख) तमिलनाडु में कितने मामले स्वीकृत किए गये तथा कितने विचाराधीन पड़े हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970-71 में बत्तीस इलायची उपजकर्त्ताओं को 142,800 रु० का ऋण मंजूर किया गया।

(ख) 1970-71 में 2 इलायची उपजकर्त्ताओं को 18,000 रु० के ऋण मंजूर किए गये। पाँच आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हुए हैं क्योंकि आवेदकों को इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक बातें अभी पूरी करनी हैं।

इलायची उगाने वालों को प्रोत्साहन देने हेतु राज सहायता

2240. **श्री वी० मायावन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची उगाई जाने वाली भूमि के 6,000 एकड़ के लक्ष्य में से शेष 3,150 एकड़ भूमि में इलायची के पौधों के संरक्षण हेतु रसायन और खाद का वितरण कर दिया गया है; और

(ख) इलायची उगाने वालों को प्रोत्साहन देने के हेतु वर्ष 1970 के दौरान कितनी राज सहायता दी गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 6,000 एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले में 1970-71 के दौरान पौध-संरक्षण रसायनों तथा खादों के वितरण द्वारा 8872 एकड़ क्षेत्र को इसके अंतर्गत लिया गया।

(ख) 1970-71 में प्रोत्साहक आर्थिक सहायता के रूप में 3·68 लाख रु० की राशि बाँटी गई।

रुई के मूल्यों में गिरावट

2241. **श्री वी० मायावन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुई के मूल्यों में गिरावट के क्या कारण हैं;

(ख) क्या ऋण संबंधी प्रतिबन्धों के कारण ही मिलों द्वारा खरीद बहुत कम की गई है; और

(ग) क्या इसके फलस्वरूप इस समय आयात की जाने वाली विदेशी रुई पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). कपड़े तथा धागे की माँग कम होने और साथ ही साथ अधिकांश मिलों की वित्तीय स्थिति लेशमात्र

भी संतोषजनक न होने के कारण देशी रुई के मूल्यों में गिरावट आई। माँग घटने से मिलों ने कम मात्रा में रुई खरीदी।

(ग) जी नहीं।

राजस्थान नहर के लिए निधि

2242. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार राजस्थान नहर के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु समुचित निधि प्रदान करने के लिए बार-बार केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रही है और क्या राज्य सरकार को वर्तमान परियोजना से होने वाली आय से अपने वार्षिक ब्याज का भार उतारने में बड़ी कठिनाई हो रही है; यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने उक्त नहर के विकास में अपनी रुचि दिखायी है तथा उसके एक दल ने उक्त राज्य का दौरा किया था और एक अन्य दल को भी निकट भविष्य में वहाँ का दौरा करने की संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार इस मामले में और आगे कार्यवाही करेगी तथा इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) राजस्थान नहर को शीघ्र पूर्ण करने के लिए राजस्थान सरकार समय-समय पर केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त धन के लिए अनुरोध करती रही है।

परियोजना के निर्माण के लिए, राज्य योजना के भीतर ही, राज्य को केन्द्र द्वारा दिये गये ब्लाक ऋणों/अनुदानों में से, उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप, धन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रगति में तेजी लाने के लिए यथासंभव गैर-योजना केन्द्रीय सहायता भी दी गई है।

(ख) और (ग). परियोजना के द्वितीय चरण के लिए विश्व बैंक को वित्तीय सहायता के लिए कहा गया है। बैंक के सर्वेक्षण मिशन ने मार्च, 1971 में परियोजना का दौरा किया था। विश्व बैंक के साथ परियोजना की मोटी रूपरेखा पर भी प्रारम्भिक रूप में विचार-विमर्श किया गया है। केन्द्रीय सरकार इस मामले की जाँच कर रही है। विश्व बैंक दल के भावी दौरे का कार्यक्रम ज्ञात नहीं है।

व्यापारी संघ, बंबई के समक्ष मंत्री का भाषण

2243. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस महीने के प्रथम सप्ताह में व्यापारी संघ, बम्बई के समक्ष अपने भाषण में रेलवे टैरिफ पर संसदीय नियंत्रण की कटु आलोचना की थी जो कि उनके अनुसार रेलवे राजस्व को घटा रहा है और उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे को न लाभ न हानि के आधार पर चलाने के लिए टैरिफ में और बढ़ोत्तरी अनिवार्य है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या टैरिफ के पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में बन सागर बाँध का निर्माण

2244. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में बन सागर बाँध का निर्माण करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं तो, इस संबंध में निर्णय कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त बाँध के निर्माण के पश्चात मध्य प्रदेश में उक्त परियोजना की सिंचाई क्षमता क्या होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने सोन नदी पर बन सागर परियोजना के मध्य प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिए योजना आयोग की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव किया है।

बिहार सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बन सागर परियोजना का विरोध किया है जिसमें सोन जल का टोंस नदी में व्यपवर्तन शामिल है। यह विरोध इस आधार पर किया गया है कि इससे बिहार में सोन नदी के नीचे की ओर वाली बृहद् सिंचाई प्रणाली प्रभावित होगी जहाँ पर जल-सप्लाई की स्थिति पहले ही नाजुक बताई जाती है।

उत्तर प्रदेश सरकार जोर दे रही है कि मिर्जापुर जिले में अकालग्रस्त पठारी क्षत्रों के लिए बन सागर परियोजना एकमात्र सिंचाई का साधन है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बन सागर परियोजना में इस क्षेत्र में भी सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए परिवर्तन किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार ने प्रयत्न किये हैं कि ऐसे प्रस्ताव बनाये जाएँ जो तीनों राज्यों को स्वीकार्य हों।

केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री और बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच 1 अगस्त, 1971 को एक अन्तर्राज्यीय बैठक भी हुई थी। विचार-विमर्श के अनुसरण में, एक तकनीकी समिति ने, जिसमें अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग और तीनों राज्यों के मुख्य अभियंता शामिल हैं, आगे विचार-विमर्श किया। इस विषय पर मुख्य मंत्रियों द्वारा और भी विचार किया जाएगा।

(ग) जैसा कि मध्य प्रदेश ने प्रस्तावित किया है, परियोजना में 3·82 लाख एकड़ की सिंचाई की और 6·15 लाख एकड़ सिंचाई की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय कृत कपड़ा मिलों में कुप्रबन्ध क बारे में शिकायतें

2245. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों के कुप्रबंध तथा प्रबंधकों द्वारा किये गये मिलों की निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में शिकायत की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या शिकायतों की पूर्णतया जाँच कर ली गई है और मिलों में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). संभवतः माननीय सदस्य उन सूतीवस्त्र मिलों का उल्लेख कर रहे हैं जिनका प्रबंध सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनयमन) अधिनियम के अधीन अपने हाथ में ले लिया था। इस प्रकार की केवल एक मिल द्वारा धन का दुरुपयोग करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और इसकी जाँच की जा रही है।

समुद्री तूफानों के कारण लोगों को कष्ट तथा सम्पत्ति की क्षति

2247. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समुद्री तूफानों के कारण लोगों के कष्टों और सम्पति की क्षति को कम करने संबंधी उपायों का सुझाव देने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इनमें से कितने सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). ऐसे चक्रवातों की पुनरावृत्ति होने पर लोगों को होने वाले कष्टों, जानों की हानि और सम्पत्ति के नुकसान को कम करने संबंधी उपायों का सुझाव देने के लिए आंध्र प्रदेश के वास्ते सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ने उस राज्य में 1969 में आए भीषण चक्रवातों के पश्चात् चक्रवात कष्ट प्रशमन समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट मई, 1971 में प्रस्तुत कर दी है। मुख्य सिफारिशें नीचे दी जाती हैं :

1. कलकत्ता और मद्रास में उच्च शक्ति वाले प्रभंजन-तीव्रता निर्देशक रडारों का प्रतिष्ठापन;
2. हवाई टोह उड़ानों के लिए मौसम वैज्ञानिक संयंत्रों से सुसज्जित वायुयान की व्यवस्था;

3. चक्रवातीय तूफानों का पता लगाने और उनका दिशा-ज्ञान करने की पूर्व-सूचना क्षमताओं में सुधार करने के लिए चक्रवातों पर संतत अनुसंधान;

4. विशाखापत्तनम् में तूफान चेतावनी केन्द्र की स्थापना;

5. चक्रवात चेतावनियों और विपत्ति सूचनाओं को शीघ्र भेजने के लिए संचार सुविधाओं में सुधार;

6. चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत चक्रवात-प्रवण क्षेत्रों में उपयुक्त आश्रय-गृहों का निर्माण;

7. फसलों को होने वाली क्षति को कम करने के लिए प्रत्येक चक्रवात-प्रवण जिले में शोषक-यंत्रों (ड्रायर्स) की व्यवस्था;

8. बाढ़ सहायता समिति के आधार पर राज्य और अन्य स्तरों पर चक्रवात सहायता समिति की स्थापना;

9. चक्रवात के आ जाने पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में चक्रवात-प्रवण क्षत्रों के लोगों की जानकारी के लिए प्रचार सामग्री को तैयार करना और उसका वितरण करना ।

समिति ने आंध्र प्रदेश में तटीय क्षेत्र के वास्ते एक माडल चक्रवात स्कीम की रूपरेखा भी तैयार की है जिसमें चक्रवातों और बाढ़ों के कारण होने वाली सम्पत्ति की क्षति और मनुष्यों के कष्टों को कम करने के उपायों के आयोजन एवं संगठन हेतु सुझाव दिए गए हैं ।

सिफारिशों को आंध्र प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार के विभागों, जैसे डाक और तार, रेलवे, अखिल भारतीय आकाशवाणी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, सिविल विमानन और केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाना है । सिफारिशों की जाँच-पड़ताल और कार्यान्वयन करने के लिए रिपोर्ट को सभी संबंधित विभागों को भेज दिया गया है ।

पश्चिम कोसी नहर परियोजना के बारे में नेपाल के साथ समझौता

2248. **श्री पी० एस० मेहता :**
श्री पी० गंगादेब :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पश्चिम कोसी नहर परियोजना की स्वीकृति के संबंध में नेपाल सरकार से बातचीत की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त परियोजना की क्रियान्विति के बारे में उन्होंने नेपाल सरकार के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए थे; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त करार की शर्तें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). सचिव सिंचाई और विद्युत के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्ट मंडल ने 20 और 27 अक्तूबर, 1971 के बीच काठमांडु में नेपाल सरकार के सचिव, जल और विद्युत के नेतृत्व में नेपाल सरकार के एक शिष्ट मंडल के साथ सिंचाई और विद्युत के क्षेत्र में आपसी हित के विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया। सिंचाई और विद्युत मंत्री ने नेपाल सरकार के जल और विद्युत मंत्री और प्रधान मंत्री के साथ भी विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप नेपाल नरेश पश्चिमी कोसी नहर के लिए फरवरी, 1972 तक भूमि उपलब्ध करने को सहमत हो गये हैं ताकि चालू कार्य-सत्र में परियोजना आरम्भ की जा सके।

1968 और 1969 में इस संबंध में नेपाल नरश के साथ हुए विचार-विमर्श के दौरान भारत सरकार ने इस नहर से दक्षिण की ओर पड़ने वाले नेपाल के कुल 34,000 एकड़ कमान क्षेत्र की सिंचाई-सुविधाओं की व्यवस्था करने की सहमति दे दी थी। उस क्षेत्र में नेपाल को दी जाने वाली सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के प्रयोजन से, भारत सरकार ने नहर से उत्तर में पड़ने वाले लगभग 30,000 एकड़ कुल कमान क्षेत्र की पचास फुट के अधिकतम जलोत्थान वाली लिफ्ट सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने की भी सहमति दे दी थी। इसने इस बात पर भी सहमति प्रकट की थी कि नेपाल की मौजूदा चन्द्रा नहर प्रणाली का पुनरुद्धार किया जाएगा और लगभग 3500 एकड़ नये क्षेत्र की सिंचाई के लिए इसका विस्तार किया जाएगा, साथ ही यह भी सहमति हुई थी कि इन अतिरिक्त लाभ के निर्माण कार्यों के लिए नेपाल सरकार द्वारा जो भूमि प्राप्त की जानी होगी उसके अधिग्रहण की लागत की पूर्ति की जाएगी।

हाल के विचार-विमर्श के दौरान, इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि रिसन से होने वाले जल के नुकसान को कम करने के लिए नेपाल में पड़ने वाली मुख्य पश्चिम कोसी नहर को पक्का किया जाएगा और भूमि प्राप्त की जाएगी। इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि अगर पश्चिम कोसी नहर के दक्षिण में नेपाल स्थित लगभग 4,000 एकड़ से कम न होने वाले क्षेत्र को इस सुविधा की आवश्यकता हो, तो एक सहमत बिन्दु तक, 10 फुट के एक अधिकतम शीर्ष तक पंप करने के प्रबंध की व्यवस्था की जाएगी। इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि लिफ्ट सिंचाई और चन्द्रा नहर के पुनरुद्धार और विस्तार के अतिरिक्त हितकारी कार्यों का निष्पादन नेपाल सरकार करेगी और उसके लिए भारत धन की व्यवस्था करेगा। इस बात की भी सहमति हुई कि नेपाल में कोसी के पूर्वी किनारे पर कटाव-रोधी निर्माण-कार्यों में तेजी लाई जाएगी।

राधिकापुर तथा डालिम गाँव स्टेशनों के बीच बारूदी सुरंगों के विस्फोट के कारण एक मालगाड़ी को हुई क्षति

2249. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेब :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 अक्तूबर, 1971, को पश्चिम बंगाल की सीमा पर बंगला देश के निकटवर्ती वस्ट दीनाजपुर जिले में राधिकापुर तथा डालिम गाँव स्टेशनों के बीच रेल पथ के नीचे बिछाई गई बारूदी सुरंग के विस्फोट के कारण एक मालगाड़ी का इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो यह बारूदी सुरगें पाकिस्तानी विध्वंसकों द्वारा बिछाई गई थीं; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) इसे मामूली क्षति हुई थी ।

(ख) सन्देह है कि ये तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों/पाकिस्तानी एजेंटों द्वारा बिछायी गयी थीं ।

(ग) निम्न लिखित उपाय किये गये हैं :

1. पुलिस/होम गार्डों द्वारा सुरक्षा गश्त;
2. रेलवे गैंगमैनों के सहयोग से पुलिस/होम गार्ड/ग्राम रक्षा दल के सदस्यों द्वारा पटरी का गश्त;
3. सशस्त्र पुलिस और होम गार्डों द्वारा प्रमुख रेल संस्थापनाओं और महत्वपूर्ण पुलों की चौकसी;
4. 59 माउण्ट ब्रिग्रेड द्वारा सर्चलाइट सहित गश्त;
5. भेद्य खण्डों पर रात के समय चलने वाली सवारी गाड़ियों का चलना स्थगित करना;
6. पाकिस्तानी एजेंटों की तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों की रोकथाम के लिए पटरी के साथ-साथ रहने वाले ग्रामीणों में चेतना उत्पन्न करना;
7. तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों का समय पर पता लगाने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देना।

Danger to Bhogpur Village in Saharanpur by Erosion by Ganga

2250. SHRI MULKI RAJ SAINI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether erosion by the Ganga has endangered the existence of Bhogpur village in Saharanpur District (Uttar Pradesh) and other twenty-five villages;

(b) if so, whether Government have formulated any scheme to build protective embankment; and

(c) if so, the time by which the said embankment is likely to be completed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) to (c). No report of erosion of flood problem in the area and proposal for protection has so far been received at the Centre from the Government of Uttar Pradesh.

फरक्का टाउनशिप में इलैक्ट्रिक पैकेज प्लान जनेरेटिंग सैट का न चलना

2251. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का टाउनशिप में इलैक्ट्रिक पैकेज प्लान जनेरेटिंग सैट के न चलने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया और क्या इससे फरक्का टाउनशिप की विद्युत् सप्लाई पर प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) चूँकि फरक्का बराज प्राधिकारियों और पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के बीच इस संयंत्र से सप्लाई संबंधी करार समाप्त हो गया था, फरवरी, 1971 से फरक्का टाउनशिप को पैकेज संयंत्र से विद्युत की सप्लाई नहीं हो रही है। बहरहाल, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के ग्रिड से क्षेत्रों को विद्युत की सप्लाई होती रही है।

(ख) पैकेज ताप सैट प्रचालन की अवस्था में है और अगर आवश्यक हुआ तो चलाया जा सकेगा। ठेके का भी नवीकरण करना होगा।

रेयन फिलामेंट यार्न के मूल्यों का पुनरीक्षण

2252. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयन फिलामेंट यार्न के मूल्यों का पुनरीक्षण करने संबंधी प्रस्तावों पर उनके मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो वे प्रस्ताव क्या हैं और उन पर अन्तिम निर्णय कब तक किए जाने की आशा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). विस्कोस फिलामेंट/एसिटेट यार्न और स्टेपल रेशे से संबंधित टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन के संदर्भ में इस मामले पर विचार किया जा रहा है। सरकार के विनिश्चय की घोषणा यथासंभव शीघ्र कर दी जाएगी।

महानगर परिषद् के निर्वाचनों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण

2253. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1972 में होने वाले महानगर परिषद् के निर्वाचनों के लिए दिल्ली की मतदाता सूचियों का पुनर्विलोकन कार्य कब पूरा होने वाला है; और

(ख) गत निर्वाचन में प्रयोग की गयीं मतदाता सूचियों की कमियों को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) आशा है कि 56 महानगर परिषद् निर्वाचक-क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाले सभी सातों संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का, जिनका प्रयोग दिल्ली महानगर परिषद् के निर्वाचन में किया जाना है, पुनरीक्षण और अन्तिम प्रकाशन 27 दिसम्बर, 1971 को पूरा हो जाएगा।

(ख) दिल्ली में निर्वाचक नामावलियों को यथासंभव सही बनाने की दृष्टि से निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित कदम उठाए :

1. चालू पुनरीक्षण के लिए दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को गणनाकारों और सुपरवाइजरों के रूप में नियुक्त किया गया था। आयोग ने अपने अधिकारियों को उनके काम की जाँच के लिए प्रतिनियुक्त किया। जहाँ कहीं लोप आयोग के ध्यान में लाया गया या कोई शिकायत आयोग को प्राप्त हुई, वहाँ उस त्रुटि को दूर करने के लिए तुरन्त कदम उठाए गए।

2. आयोग ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों, सुपरवाइजरों और गणनाकारों की एक पृथक बैठक बुलाई और उन्हें सही रूप से निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने के संबंध में अनुदेश दिये।

3. निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण घर-घर जा कर सत्यापन करके किया गया था। निर्वाचक कार्ड पद्धति का अनुसरण किया गया है और प्रत्येक गृहस्थ को एक निर्वाचक कार्ड दिया गया है जिसमें उसके परिवार के उन सब सदस्यों के नाम हैं जो निर्वाचक नामावलि में रजिस्ट्रीकरण के पात्र हैं।

4. वर्तमान नामावलियों और अनुपूरक सूचियों को मिला लिया गया था और उनमें सब शुद्धियाँ, विलोपन और परिवर्धन कर दिए गए थे तथा नामावलियाँ ता० 15--11-71 को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित कर दी गई थीं।

5. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के बारे में प्रेस और रेडियो के माध्यम से उन सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो निर्वाचक नामावलियों में शामिल किए जाने के पात्र थे, विस्तृत प्रचार किया गया ताकि उनके नाम निर्वाचक नामावलियों में शामिल हो जाएँ।

6. प्रेस और रेडियो की मार्फत इस बात का भी प्रचार किया गया कि 15 नवम्बर, 1971 को प्रकाशित नामावलियों के प्रारूप सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों के कार्यालयों और दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका समिति के कार्यालयों आदि में 15 दिसम्बर, 1971 तक लोगों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ताकि लोग निर्वाचक नामावलियों में नामों को शामिल कराने/ठीक कराने/निकलवाने के लिए दावे और आपत्तियाँ पेश कर सकें।

दिल्ली में रेलवे स्टेशनों का निर्माण और विस्तार

2254. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण करने अथवा वर्तमान रेलवे स्टेशनों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावों का स्वरूप क्या है और उन्हें कब तक कार्यरूप दिए जाने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां। कुछ सर्वेक्षण, अध्ययन और जाँच पड़ताल की जा रही है जो इस प्रकार है :

(i) मीटर लाइन के टर्मिनल को दिल्ली जंकशन से हटा कर नयी दिल्ली स्टेशन पर बनाना।

(ii) तीसरे टर्मिनल की व्यवस्था संबंधी अध्ययन।

(ख) चूंकि केवल सर्वेक्षण, जाँच पड़ताल और अध्ययन किये जा रहे हैं अत: प्रस्तावों के कार्यान्वियन के संबंध में इस समय कोई निश्चित निर्णय नहीं बताया जा सकता।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् केरल में बिछाई गई रेलवे लाइन

2255. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् केरल में कितनी रेलवे लाइन बिछाई गयीं; और

(ख) केरल में और अधिक रेलवे लाइन न बिछाए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) कोल्लम—एर्णाकुलम् मीटर लाइन।

(ख) रेलवे का विकास किसी राज्यवार या क्षेत्रवार आधार पर नहीं, बल्कि समग्र रूप से राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर किया जाता है।

कोचीन पत्तन से नारियल जटा से बने सामान के निर्यात में कमी

2256. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोचीन पत्तन से नारियल जटा से बने सामान के निर्यात में कमी की ओर दिलाया गया है जिनके कारण केरल में नारियल जटा के छोटे निर्माताओं तथा नारियल जटा मजदूरों को बड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं;

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने तथा नारियल जटा से बने सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) यह कमी विदेशों में कयर माल की माँग में सामान्य गिरावट और नौवहन समस्याओं के कारण है ।

(ग) भारतीय कयर माल को आधुनिक रूप देने और उसकी क्वालिटी सुधारने और साथ ही कयर उद्योग की अवस्थापना को सुदृढ़ बनाने के लिए भी सरकार ने कदम उठाये हैं ।

ओलकाकोट (केरल) स्थित क्राइओ सार्टिंग प्लान्ट बन्द करने के कारण कर्मचारियों की छँटनी

2257. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जिला पालघाट (केरल) के ओलकाकोट डिवीजन में स्थित क्राइओ सार्टिंग प्लान्ट को बन्द करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रस्ताव की रूप-रेखा क्या है;

(ग) क्या क्राइओ सार्टिंग प्लान्ट को बन्द करने के निर्णय के परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों की छँटनी की जाएगी और अन्य कर्मचारियों का कार्यभार अधिक बढ़ जाएगा; और

(घ) क्या सरकार इस निर्णय पर पुन: विचार करेगी और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

रूस में भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं तथा रेशमी माल की लोकप्रियता

2258. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं तथा रेशमी माल की बहुत बड़ी खपत होती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस व्यापार को समृद्ध बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) जी हाँ ।

(ख) रेशम परिधानों के संवर्धन हेतु फैशन प्रदर्शन आयोजित किये गए थे ।

पश्चिम बंगाल राज्य के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण संबंधी समझौता

2259. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त में पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने वेतन पुनरीक्षण के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उक्त समझौते के संबंध में वैस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड वर्क्समैन्स यूनियन तथा वैस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन द्वारा दिए गए विरोध की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ ।

(ख) करार की मुख्य बातें ये हैं : (1) अधिक अच्छा समय वेतन क्रम; (2) परिलब्धियों में 20 रुपये की न्यूनतम वृद्धि; (3) श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा प्रकाशित श्रमिक श्रेणी के अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की 1960 की आधारभूत सीरीज के साथ 171 पर जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (जो कि 109 रुपये प्रति मास मूल वेतन ले रहे हैं) के लिये 85 रुपये का मँहगाई भत्ता जोड़ दिया गया है । सूचकांक में वृद्धि के हर प्वाइंट के लिए मँहगाई भत्ते में 25 पैसे प्रति प्वाइंट का समायोजन किया जाएगा । यह पुनरीक्षण जनवरी से दिसम्बर तक पिछले 12 महीनों के लिए औसत सूचनाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल से लागू होगा । यदि सूचकांक 171 से भी नीचे आ जाएं तो भी मँहगाई भत्ते में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा; (4) जिस भी कर्मचारी को बोर्ड के क्वार्टर नहीं मिले हुए हैं उनमें से प्रत्येक को उसके मूल वेतन के 10% के हिसाब से मकान किराया भत्ता दिया जाएगा लेकिन यह राशि 8 रुपये से कम नहीं होगी और इस बात का विचार नहीं किया जाएगा कि उसे किस स्थान पर तैनात किया जाता है; (5) रु० 320-685 तक के वेतन क्रम में वेतन लेने वालों को बिना किराये के क्वार्टर, जहाँ भी उपलब्ध होंगे, दिए जाएंगे; और (6) जहाँ बोर्ड के अपने सप्लाई स्टेशनों से बिजली दी जाती है वहाँ रहने वाले कर्मचारियों को निर्धारित अधिसीमा तक मुफ्त बिजली दी जाएगी ।

(ग) और (घ). विद्युत बोर्ड ने नये वेतनमानों तथा अन्य शर्तों को तय करने से पहले पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड ने कर्मचारी संघ पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ (सिटी) तथा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ को विचार-विमर्श के लिए बुलाया था । जब कि कर्मचारी संघ ने वेतन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर इस मामले पर बिचार-विमर्श करने से इन्कार कर दिया । उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित वेतन आयोग के अधिकतर सदस्यों की सिफारिशों के अनुसार जिन्हें राज्य सरकार

ने अभी स्वीकृत करना था वेतन मान लागू करने के लिए इच्छा प्रकट की। कर्मचारी संघ ने अगस्त, 1971 के अन्त से "नियम के अनुसार कार्य" करना आरम्भ कर दिया। राज्य विद्युत् बोर्ड ने सूचित किया है कि लगभग 98% कर्मचारियों ने नये वेतनमानों में अपनी तनख्वाह ले ली है और पिछला बकाया भी ले लिया है।

बिजली के उत्पादन के लिए दस-वर्षीय योजना

2260. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के उत्पादन को तिगुना करने के लिए एक दस-वर्षीय योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ। 1971-81 दशाब्दी में देश में अपेक्षित विद्युत उत्पादन सुविधाएँ पूरी करने के लिए एक योजना तैयार करली गई है।

(ख) योजना की मोटी रूपरेखा निम्नलिखित है :

1. इसके अंतर्गत देश में 1980-81 तक 520 लाख किलोवाट प्रतिष्ठापित विद्युतजनन क्षमता बढ़ाने की व्यवस्था है।
2. इसको क्षेत्रीय आधार पर तैयार किया गया है।
3. इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित नई विद्युत उत्पादन स्कीमें ज्ञात कर ली गई हैं।
4. अधिकतम मितव्ययिता तथा विश्वस्तता के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के बीच लाभ प्राप्त करने के लिए एक प्रयास किया गया है।
5. क्षेत्रीय और दूसरे असन्तुलन कम किए जाने हैं।
6. 1981 तक बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्तमान अंक लगभग 90 किलोवाट से 240 किलोवाट तक बढ़ जाएगी।
7. नई तकनीकी विशेषताएँ, जैसे कि पम्प संचय पन-बिजली संयंत्र, बृहदाकार विद्युत-जनन यूनिट और बड़े विद्युत केन्द्र शुरू किए जायेंगे।

एपेंडिक्स 2-ए परीक्षा (पूर्वी रेलवे) के पश्चात् क्लर्क्स ग्रेड-2 की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति

2261. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्य रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाउन्ट्स क्लर्क ग्रेट-2 से क्लर्क ग्रेड 1 में 25 प्रतिशत तक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किये जाते हैं;

(ख) क्या मार्च, 1970 में हुई एपेंडिक्स 2-ए की परीक्षा के बाद अब तक एकाउन्ट्स क्लर्क्स ग्रेड-2 से क्लर्क्स ग्रेड 1 की 25 प्रतिशत तक पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर नहीं की गई है;

(ग) क्या एफ० ए० एण्ड सी० ए० ओ० ईस्टर्न रेलवे, कलकत्ता ने रेलवे बोर्ड के सर्कूलर न० ई० 838/2/मिस/एकाउंट/पार्ट 2 दिनांक 4 फरवरी, 1970 और ई० (एन० जी०)/70 पी० एम० आई०/68 दिनांक 7 जुलाई, 1970 की उपेक्षा की है; और

(घ) यदि हाँ, तो बोर्ड के निदेश की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) चूँकि अर्हता प्राप्त क्लर्क उपलब्ध नहीं थे अतएव इससे पहले ग्रेड 2 के अनर्हता प्राप्त क्लर्कों को, तदर्थ आधार पर उनके लिए नियत कोटे से अधिक संख्या में ग्रेड 1 क्लर्कों के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है। ऐसे अनर्हता प्राप्त कर्मचारियों की पदोन्नति इस कोटि में भविष्य में होने वाली अनुमेय रिक्तियों में विनियमित की जा रही है अतएव, अनर्हता प्राप्त कर्मचारियों की नयी पदोन्नति नहीं की जा सकती।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कैरीज एण्ड वैगन्ज आफिस, दानापुर डिवीजन (पूर्वी रेलवे) में काम करने वाले अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

2262. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन में कैरीज एण्ड वेगनज आफिस में काम करने वाले अनुसचिवीय कर्माचरियों को विशेष रूप से मुगलसराय के कर्मचारियों को अधिक काम करना पड़ता है।

(ख) क्या कई राजपत्रित पदों के बनाये जाने पर भी कर्मचारियों की शिकायतों में वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार कौन से उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नांगल बाँध का पोंग बांध (तलवाड़ा) से रेल द्वारा मिलाया जाना

2263. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल बाँध को पोंग बाँध (तलवाड़ा) के साथ रेल द्वारा मिलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा कब तक निर्णय घोषित किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) अतीत में की गयी जाँच-हड़ताल से पता चला था कि यह लाइन अलाभप्रद होगी। फिर भी, इस लाइन को चौथी योजना के संशोधित प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है और यदि अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध की गयी तो इसके निर्माण के संबंध में विचार किया जायेगा ।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में व्यापार शिष्टमंडल

2264. **श्री दशरथ देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाँच सदस्यों का एक शिष्ट मंडल भारत से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में व्यापार वार्ता के लिये गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी वार्ता के क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी नहीं । तथापि, सुदूरपूर्व देशों (सिंगापुर, हाँगकांग, थाईलैंड और जापान) को काफी का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से एक काफी विपणन सर्वेक्षण प्रतिनिधिमण्डल ने इन देशों का दौरा किया था। इस प्रतिनिधिमण्डल से प्राप्त प्रतिवेदन संकलित किया जा रहा है ।

भारत के विदेश व्यापार संबंधी आँकड़े

2265. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल-अगस्त, 1971 के भारत के विदेशी व्यापार संबंधी आँकड़े क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : अप्रैल-अगस्त, 1971 के दौरान भारत के विदेश व्यापार से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं :

	(करोड़ रु०)
आयात	206
निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)	668

अप्रैल-अगस्त, 1971 के लिए विदेश व्यापार के लिए विदेश व्यापार के आँकड़ों के वस्तु-वार ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

पश्चिम बंगाल में ट्रांसमिशन टावर्ज के भागों की चोरी

2266. **श्री दिनेश जोरद्दर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में ट्रांसमिशन टावर्ज के भागों की तेजी से फैलती हुई चोरी की गंभीर स्थिति की ओर ध्यान दिलाया गया है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में बिजली व्यवस्था और विद्युत् सप्लाई की अत्यधिक क्षति हुई है; और

(ख) यह क्षति किस सीमा तक है और ट्रांसमिशन टावर के हिस्सों की चोरी को रोकने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड ने यह सूचित किया है कि टावर मेम्बरों, कन्डक्टरों, भूगत केबलों और इन्सुलेटरों आदि की चोरी से लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पारेषण खम्भों के भागों की चोरी को रोकने के लिए राज्य विद्युत् बोर्ड ने निम्नलिखित पग उठाए हैं :

(1) पुलिस अधिकारियों को चोरियों की रिपोर्ट देकर अपराधियों को पकड़ाना।

(2) लाइनों के लिए सख्त सतर्कता बरतना और उनकी गश्त लगाना।

(3) टावर मेम्बरों के फिटिंग बोल्टों की ढिबरियों में ताला लगाना ताकि उन्हें आसानी से हटाया न जा सके।

(4) सभी नई पारेषण लाइनों पर बोल्टों के साथ ही ढिबरियों को डाल देना।

पेरू सरकार के साथ व्यापार समझौता

2267. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 नवम्बर, 1971 को भारत सरकार ने पेरू सरकार के साथ एक व्यापार समझौता किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उन शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) व्यापार करार की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—1182/71.**]

चाय, काफी, इलायची और रबर का निर्यात

2269. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष कितनी तथा कितने मूल्य की चाय, काफी, इलायची और रबड़ का निर्यात हुआ था ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1970-71 में निर्यात की गयी चाय, काफी और इलायची की मात्रा इस तथा मूल्य प्रकार हैं :

		(करोड़ रु० में)
वस्तु निर्यातित	निर्यातित मात्रा	मूल्य
चाय	2015·6 लाख किलोग्राम	416·66
काफी	32,189 मे० टन	25·11
इलायची	1,705 मे० टन	11·22

वर्ष 1970-71 में रबड़ का कोई निर्यात नहीं किया गया।

खली के निर्यात में कमी होना

2270. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खली के निर्यात में कमी हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Employment to Relatives of Porters

2271. SHRI R. V. BADE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have given preference to the children or near relatives of Railway porters in the matter of recruitment against vacancies caused by death or disability of the porters due to old age, illness or accident; and

(b) whether Railway Board has under consideration any proposal for making arrangements for education of the children of porters ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a). It is not clear if the Hon'ble Member is referring to Railway Porters who are Departmental Staff or porters who are directly licensed by the railway or employed by Contractors, to carry passengers' luggage. In case of porters who are departmental staff, appointment of their children or relatives on compassionate grounds is made only in deserving cases of staff who die in harness and whose families are left in indigent circumstances. In case of a deceased licensed porter also, his son, and where there be no son, a near relative is given his licence, if otherwise found suitable, on compassionate grounds with a view to supporting the family of deceased. However, there are no such orders in regard to porters who are employed by Contractors.

(b) The children of Railway Porters are eligible for educational facilities provided by the Railways to their employees in general. The children of licensed porters are also eligible for admission in Railway School, if spare capacity is available, after admitting children and wards of railway employees. But no such orders exist in regard to porters employed by Contractors.

Uniformity in rules for Railway Porters

2272. SHRI R. V. BADE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether rules governing the porters are uniform on all the Railways in the country; and

(b) a gist of rules applicable to them ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a). Yes.

(b) Rules governing working conditions of the Licensed Porters on Indian Railways are indicated in ANNEXURE 'A'. [*Placed in Library. See.* No. L. T.—1183/71.]

Percentage of porters who can absent themselves from Railway Station

2273. SHRI R. V. BADE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the percentage of porters who can absent themselves for any reason on any one day from a Railway Station and the number of days of absence admissible to each one of them during any fixed period without causing any inconvenience to the passengers; and

(b) the alternative arrangements made by Railway administration during their absence ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Neither any percentage of porters who can absent themselves for any reason from railway station; nor the number of days of absence admissible to each one of them during any fixed period; without causing any inconvenience to passengers, has been fixed. Leave is sanctioned on the merits of each case, keeping in view that the number of licensed porters available at any station at any time is adequate to meet the needs of the passengers.

(b) The practice of engaging substitute porters during the periods of absence of licensed porter existed earlier. It has been discontinued on recommendation of the Study Group on Railway Licensed Porters and Commission Vendors.

Recognition of Unions of Porters

2274. SHRI R. V. BADE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: the names of different Unions of the porters in each Railway and names of such of them as have been recognised by the Railway Administration together with their membership in December, 1970, and their membership when recognition was accorded to them ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAYA) : Licensed porters are not railway employees and, in regard to the unions formed by them, Government have no precise information. Such unions are not eligible for recognition under extant orders nor has any recognition been accorded to any union of licensed porters.

Committee under the Chairmanship of Deputy Railway Minister

2275. SHRI R. V. BADE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any Committee was appointed under the Chairmanship of the Deputy Minister of Railways to effect economy on the Railways; and

(b) if so, the recommendations thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA): (a) and (b). In connection with the processing of the Administrative Reforms Commission's report on Railways, a Job Evaluation Team under the Chairmanship of the Deputy Minister of Railways was constituted by the Minister of Railways to review and determine the number of posts of Deputy Directors and below required for the efficient disposal of work in the Railway Board's office. The Team has since submitted its report, wherein it has recommended reduction of 43 gazetted and 166 non-gazetted posts. The recommendations of the Job Evaluation Team are now under the consideration of the Government as a part of the Administrative Reforms Commission's report on Railways.

मालाबार क्षेत्र में रेलवे उपरि पुल

2276. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मालाबार क्षेत्र में पश्चिम तट सड़क पर रेलवे उपरि पुलों के बनाने की योजना क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : दक्षिण रेलवे के पश्चिमी तट मार्ग पर मालाबार क्षेत्र में उपरि सड़क पुल की व्यवस्था के लिए दो स्वीकृत योजनाएं हैं, जो इस प्रकार हैं ?

(i) शोरानूर-कालीकट खण्ड पर कुट्टिपुरम में 608/7–8 कि० मी० पर स्थित वर्तमान समपार के स्थान पर उपरि सड़क पुल;

(ii) कालीकट-कन्नानूर खण्ड पर बडगरा के पास चेरोड में 713/10–11 कि० मी० पर स्थित समपार के स्थान पर सड़क उपरि पुल।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सामान्य प्राथमिकता पद्धति के अन्तर्गत जूट उत्पादों को शामिल करने की पेशकश

2277. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय से हाल ही में भारत को समुदाय की सामान्य प्राथमिकता पद्धति में जूट के उत्पादों को शामिल करने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को इस संबंध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मुख्यालय से कोई औपचारिक सूचना प्राप्त हुई है; और

(ग) वह सूचना क्या है और इसके प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). यूरोपीय आर्थिक

समुदाय ने व्यापक अधिमान योजना के अन्तर्गत अपना आफर प्रस्तुत करते समय इस बात का उल्लेख किया था कि पटसन के माल के लिए सीमा शुल्क से छूट निर्यातक विकासशील देशों के साथ बातचीत द्वारा तय की जाने वाली विशिष्ट व्यवस्थाओं के अन्तर्गत दी जायेगी। व्यवस्थाओं को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है और इस संबंध में समुदाय के साथ हमारी बातचीत चल रही है।

Shortage of Low Priced Coarse Cloth

2278. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is an acute shortage of low priced coarse cloth in the market; and

(b) whether Government have taken any action to ensure the supply of adequate quantity of coarse cloth to the poor at fair price ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) and (b). Presumably the Hon'ble Member is referring to the controlled cloth. Complaints of shortage of such cloth have been received from some quarters. At the instance of the Government the Indian Cotton Mills Federation has issued the following directions to all mills :—

(i) Clubbed sales must be stopped forthwith.

(ii) Those mills who have their own retail shops must display controlled cloth being produced by them prominently at such shops. The availability of controlled cloth at these shops on a continued basis must be ensured.

(iii) The Mills should on a selective basis specify and advertise the shops in different parts of the country where the controlled cloth produced by them will remain available at the prescribed rates.

(iv) Any mill found indulging in mal-practices will be debarred from allotment of further quota of controlled cloth and will be deterently dealt with.

बाढ़ नियंत्रण के लिये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई योजना

2279. **श्री समर गुह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र की पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 300 करोड़ रुपये की योजना पेश की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा योजना स्वीकृत कर ली गई है अथवा कर ली जाएगी और इन बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए केंद्रीय विधि आवंटित की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में बाढ़-नियंत्रण उपायों की कोई व्यापक योजना अभी तक प्रस्तुत नहीं की है ।

अमरीका की मदद से सूती कपड़ों के निर्माण के बारे में समिति की स्थापना

2280. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2,38,460 रुपये के अमरीकी सरकार के अनुदान की सहायता से बढ़िया किस्म के कपड़ों के उत्पादन हेतु रुई की उपयोगिता में वृद्धि पर विचार करने के लिए संघ सरकार ने एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति के सदस्यों की संख्या क्या है और उसके निर्देश पद क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । सरकार द्वारा कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है ।

अमरीकी सरकार ने वस्त्र उत्पादन में रुई की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कच्चे तथा परिशोधित रुई के रेशे के संरचनात्मक तथा भौतिक गुणधर्मों पर अन्वेषण करने हेतु अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संयम को 2,38,460 रुपये का अनुदान प्राधिकृत किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जी० आई० एस० काटन मिल्स, हुगली (पश्चिम बंगाल) द्वारा कर्मचारियों की जबरन छुट्टी

2281. **श्री विजय मोदक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर महीने में जी० आई० एस० काटन मिल्स, चंपदानी, जिला हुगली (पश्चिम बंगाल) के 500 कर्मचारियों की जबरन छुट्टी की गई थी;

(ख) इस जबरन छुट्टी के कारण क्या थे; और

(ग) स्थिति के उपचार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ब्रिटेन द्वारा भारतीय वस्त्रों पर 15% प्रशुल्क लगाने के निर्णय के बारे में पुनः विचार

2282. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्रों पर 15% प्रशुल्क लगाने के अपने निर्णय के बारे में ब्रिटेन पुनः विचार कर रहा है;

(ख) क्या ब्रिटेन ने हमारे हितों की रक्षा करने में सहायता देने का भी आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो किस प्रकार का आश्वासन दिया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). भारतीय सूती वस्त्रों पर 15% के टैरिफ के लगाये जाने संबंधी अपने विनिश्चय पर पुर्नविचार करने अथवा हमारे हितों की रक्षा हेतु कोई भी सहायता का आश्वासन देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार को नहीं है ।

उड़ीसा में समुद्री तूफान के बारे में चेतावनी देने में विलम्ब

2283. **श्री सी० चित्तिबाबू** :
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा में आए समुद्री तूफान के बारे में चेतावनी अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों को बहुत विलम्ब से दी गई थी;

(ख) इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात के आने की संभावना के बारे में चेतावनी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उड़ीसा के मुख्य सचिव और कटक तथा बालासोर जिलों के जिलाधीशों को 29 अक्तूबर को 12·20 बजे दी गई थी । यह चेतावनी राज्य सरकार ने उप-मंडलीय अधिकारियों और तहसीलदारों को प्रेषित कर दी । आकाशवाणी को भी चेतावनियाँ जारी की गई थीं जो कि 29 अक्तूबर को कटक केंद्र द्वारा 14·10, 17·59, 18·25, 18·59, 19·30, 20·44 और 22·39 घंटों पर दी गईं ।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को 29 अक्तूबर को 10 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न के बीच अमरीकी उपग्रह से केवल इतनी जानकारी मिल सकी कि उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आने की संभावना है और ये चेतावनियाँ उसके बाद ही जारी की जा सकती थीं ।

(ग) चेतावनी अवधि बढ़ाने और चेतावनियाँ भेजने के तरीके में सुधार लाने के उपायों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :

(1) कलकत्ता और मद्रास में लगे रडारों के अलावा 1972 की मानसून से पहले पारा-द्वीप में एक रडार की स्थापना ।

(2) चक्रवात की विशेषताओं पर आँकड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से चक्रवात के गर्भ में उड़ने के लिए एक टोह लेने वाले हवाई जहाज की व्यवस्था।

(3) भुवनेश्वर में मौसम विज्ञान केंद्र को प्रतिष्ठापित करना।

(4) दूर-संचार और बेतार सुविधाओं में सुधार लाना और अगम्य क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं और सार्वजनिक रेडियो का प्रबन्ध करना।

उड़ीसा के लिए एक चक्रवात कष्ट प्रशमन समिति निर्मित की गई है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ, जनता को चेतावनियों का प्रचार-प्रसार करने और चेतावनियों के सुधार के लिए आपेक्षित उपायों की जाँच करेगी।

लिमा (पेरू) में "ग्रुप आफ 77" की मीटिंग्ज

2284. **श्री सी० चित्तिबाबू :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "ग्रुप आफ 77" की लिमा (पेरू) की मीटिंग हुई; और

(ख) यदि हाँ, तो इसमें क्या निर्णय लिए गए ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) '77' के समूह द्वारा "लीमा कार्यवाही के कार्यक्रम से संबंधित घोषणा तथा सिद्धान्त" नामक एक दस्तावेज स्वीकृत किया गया जिसकी प्रति दिनांक 23 नवम्बर, 1971 को सभा पटल रखी जा चुकी है।

बाढ़ संबंधी मंत्रियों को समिति की सिफारिशें

2285. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ तथा बाढ़ से राहत संबंधी मंत्रियों की समिति की बैठक सितम्बर, 1971 में दिल्ली में हुई थी;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया था; और

(ग) समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) समिति की सिफारिशों के इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने की आशा है।

Completion of Navatha Tapi Schemes, Burhanpur

2286. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether final touches have since been given to Navatha Tapi Scheme near Burhanpur, Madhya Pradesh;

(b) if so, the main features of the Scheme; and

(c) the time by which the work on the said Scheme is likely to commence?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) The Project Report on Navatha Tapi Scheme near Burhanpur (Madhya Pradesh) has not so far been received from the Government of Madhya Pradesh or the Government of Maharashtra.

(b) and (c). Do not arise.

खंडवा से अजमेर तक बड़ी लाइन

2287. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के खंडवा से अजमेर तक एक नई बड़ी लाइन बनाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य को कब प्रारम्भ किया जायेगा।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में बिजली लगाने में प्रगति

2288. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम क्षेत्र में बिजली लगाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1971-72 में बिजली लगाने में प्राथमिकता देने के लिए चुना गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत से कम है जो कि 19 है। इसमें से, छः राज्यों में, ग्राम विद्युतीकरण प्रतिशतता मध्य प्रदेश से कम है जहाँ यह 9·8 है। 1971-72 के लिए राज्य योजना परिव्यय से कार्यक्रमित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य के सभी 43 जिलों के लिए हैं जिनमें 1,500 ग्रामों के विद्युतीकरण और 30,000 पम्पों के ऊर्जन की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय योजना परिव्यय में से, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 454 ग्रामों के विद्युतीकरण और लगभग 30,000 पम्पों के ऊर्जन के लिए अभी तक 9 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत, जिन पर 1971-72 के दौरान कार्य प्रगति करता रहेगा, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बिलासपुर, उज्जैन, इन्दौर, रायपुर और होशंगाबाद के जिले आते हैं।

मध्य प्रदेश में पन-बिजली परियोजना द्वारा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करना

2289. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियों के जल का उपयोग ऐसी परियोजनाओं के लिए करने का है जो इस राज्य तथा निकटवर्ती राज्य को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक हो सकेंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : जी नहीं।

Export of Railway Coaches

2290. SHRI SHIV KUMAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Indian Railways have received bulk orders from foreign countries for supply of railway coaches this year;

(b) if so, the names of such countries and the nature of orders received;

(c) the extent to which and the time by which these orders are likely to be met by Government after meeting their own requirements; and

(d) the amount of foreign exchange likely to be earned thereby ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) No.

(b) to (d). Do not arise.

Supply of Railway Wagons to Foreign Countries

2291. SHRI SHIV KUMAR SHASTRI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether bulk orders have been received from foreign countries for supply of Railway wagons this year;

(b) if so, the names of such countries and the nature of orders received;

(c) the extent to which and the time by which these orders are likely to be met after meeting our own requirements; and

(d) the amount of foreign exchange likely to be earned thereby ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) to (d). One order for supply of 50 wagons valued at about Rs. 44 lakhs to East Africa and another for 45 hopper wagons valued at about Rs. 28·6 lakhs to Iraq have been received during this year which are expected to be executed by the end of 1972-73.

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

2292. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 में जापान को निर्यात किये गये लौह अयस्क में 21 लाख टन की कमी को इस बीच पूरा कर लिया गया है;

(ख) चालू वर्ष में कितने लौह अयस्क को भेजने का करार किया गया था और इसके विरुद्ध अब तक वस्तुत: कितना भेजा जा चुका है;

(ग) क्या चालू वर्ष में इस करार को पूरा करने में कोई कठिनाइयाँ आने की आशा है; और

(घ) यदि हाँ, तो वे क्या हैं और सरकार का उनको कैसे दूर करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। ग्राहकों ने 1 अप्रैल, 1971 तक सुपुर्द नहीं की गई मात्रा को इस बीच रद्द कर दिया है।

(ख) अप्रैल-अक्तूबर, 1971 की अवधि में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 41 लाख मे० टन और अप्रैल-अगस्त, 1971 की अवधि में गोआ से गैर सरकारी निर्यातकों द्वारा 20 लाख टन का वास्तविक निर्यात किया गया। कुल वर्ष के लिए संविदा की गई मात्रा लगभग 2·2 करोड़ मे० टन है।

(ग) तथा (घ). जहाँ तक खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लौह अयस्क के निर्यातों का संबंध है, लक्ष्यों के पूरे होने में मुख्य कठिनाइयाँ ये हैं : कुछ खानों में उत्पादन में कमी, पूर्वी क्षेत्र में रेलों को आने-जाने में रुकावट के परिणामस्वरूप परिवहन संबंधी कठिनाइयाँ और चालू वर्ष के लगभग पाँच महीनों में मद्रास में गोदी श्रमिकों द्वारा निरंतर हड़ताल और उनके द्वारा अपनायी गई धीरे काम करो की नीति। लौह अयस्क निर्यात कार्यक्रम के सामने आने वाली इन कठिनाइयों और उनके लिए उपचारात्मक उपायों की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है।

योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपकरणों का आयात

2293. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 1 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 929 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिशिष्ट में दिये गये उत्तर को सभी योजनाओं/एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितनी राशि के उपकरण आयात किये जायेंगे और कितने देश में निर्मित किये जायेंगे;

(ख) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जो देश में ही उपकरण को बना रही हैं और अब तक बनाये गये उपकरण की मदें क्या हैं; और

(ग) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड और हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा कितने क्रयादेशों का पालन हो रहा है और कितनों का नहीं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) 1801 मैगावाट के 37 उत्पादन यूनिट आयात किये हुये हैं और 3433 मैगावाट के 56 उत्पादन यूनिटों को देश में ही बनाया जाता है ।

(ख) 1. **उत्पादक और टर्बाइन** :

(i) मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
(ii) मैसर्स हैवी इलैक्ट्रिकल्स (भारत) लिमिटेड, भोपाल
(iii) मैसर्स ज्योति लिमिटेड, बड़ौदा (लघु जल शक्ति सैट)

2. **बॉयलर्स** :

(i) मैसर्स ए० वी० बी०, दुर्गापुर
(ii) मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(ग) उत्पादन संयंत्र के संबंध में अपेक्षित जानकारी उपाबंध में दी गई है ।

विवरण

	जल विद्युत सैट		तापीय सैट	
	संख्या	कुल क्षमता मैगावाट	संख्या	कुल क्षमता मैगावाट
I. **दिये गये आर्डर** :				
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	16	537	13	1260
हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड	14	943	8	690
कुल	30	1480	21	1950

	जल विद्युत सैट		तापीय सैट	
	संख्या	कुल क्षमता मैगावाट	संख्या	कुल क्षमता मैगावाट
II. पूरे किये गये आर्डर :				
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	—	—	—	—
हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड	4	105	2	150
कुल	4	105	2	150
III. लम्बित आर्डर :				
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	16	537	13	1260
हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड	10	838	6	540
कुल	26	1375	19	1800

टिप्पणी : ज्योति लिमिटेड नागालैंड में दजूजा जल विद्युत और हिमाचल प्रदेश में गोगली जल विद्युत के लिए 0·5 मैगावट के 5 सैट सप्लाई करेगी । ये सैट प्रश्न में निर्दिष्ट विवरण में भी शामिल किये गये थे, जिससे कुल 56 सैट हो गये ।

आयात में वृद्धि होना

2294. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष की पहली छमाही में आयात के आँकड़े क्या हैं और यह आँकड़े गत वर्ष की तुलना में कितने अधिक या कम हैं;

(ख) आयात की वस्तुयें कौन सी हैं, जिनमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(ग) अंतर के कारण क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अप्रैल-सितम्बर, 1971 तथा अप्रैल-सितम्बर, 1970 के आयात आँकड़े निम्नलिखित हैं :

अवधि	करोड़ रुपये में
अप्रैल-सितम्बर, 71	964
अप्रैल-सितम्बर, 70	800

(ख) अप्रैल-सितम्बर, 71 के आयात के मदवार आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका से रुई का आयात

2295. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1971 से अमरीका से कितनी मात्रा में रुई को आयात करने का करार किया गया है और अब तक वास्तव में कितनी रुई आ गई है;

(ख) क्या भारतीय रुई निगम ने करार में दी गई मात्रा के अधिक भाग के लिये समय पर करार और साख-पत्रों को अन्तिम रूप नहीं दिया; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और बाकी माल को मंगाने के लिए भारतीय रुई निगम को कितनी अतिरिक्त लागत देने की जरूरत पड़ेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पी० एल० 480 के अंतर्गत पाँच-पाँच सौ पौंड वाली 95,805 गाठों तथा मुक्त विदेशी मुद्रा के अंतर्गत एक सौ अस्सी-एक सौ अस्सी किग्रा० वाली 22,560 गाँठों के लिए संविदा की गई है तथा अब तक पाँच-पाँच सौ पौंड वाली 57,303 गाँठें भेजी जा चुकी हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली उच्च न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के पदों पर भर्ती

2296. **श्री पी० गंगादेब** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में न्यायिक अधिकारियों के पदों के लिए आवेदनपत्र मांगे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सभी प्रवर्गों के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष नियत की गयी है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए अधिक आयु सीमा में रियायत नहीं दी गयी है जब कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग अपनी सभी परीक्षाओं में, चाहे वे न्यायिक हों अथवा गैर-न्यायिक, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को पाँच वर्ष की रियायत दे रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली उच्च न्यायालय से इन प्रवर्गों के उम्मीदवारों को अधिक आयु सीमा में 5 वर्ष की रियायत देने के लिए अनुरोध करने का है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). जी हाँ।

(ग) जी हाँ। यह बात दिल्ली न्यायिक सेवा के विद्यमान भर्ती नियमों के अनुसार है।

(घ) जी हाँ। संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले पर बातचीत की जा रही है।

सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास आयातित कारें

2297. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के पास सरकारी उपक्रमों के पास जो कारें हैं, उनको मिलाकर कुल कितनी कारें हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में कितनी कारें खरीदी गईं और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

इंडिया यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड, बम्बई की चालू हालत में सुधार करने के लिए कार्यवाही

2298. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड, बम्बई को गत दो वर्षों से हानि हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और मिल के कार्य में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) मिल को मुख्यत: निम्नांकित कारणों से हानि हो रही है :

(1) कच्चे माल, विशेषतया रुई की ऊँची कीमत;

(2) मिल की जीर्ण-शीर्ण तथा घिसी हुई मशीनों के कारण उसमें तकनीकी कमियाँ।

मिल की कार्यचालन-क्षमता सुधारने के लिए निम्नांकित उपाय किये गये हैं :

(1) 493 लाख रुपये की अनुमानित लागत का आधुनिकीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(2) इसके प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं, तथा

(3) पहले से अधिक बिक्री करने तथा साथ ही उत्पादन लागत में किफायत करने के विचार से उत्पादन कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के जनरल मैनेजर का स्थानान्तरण

2299. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के 14 वर्षों में उक्त रेलवे में 17 जनरल मैनेजर काम कर चुके हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर जनरल मैनेजरों को इतनी शीघ्र स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या रेलवे के अन्य किसी ज़ोन में भी इतनी कम कालावधि में जनरल मैनेजरों का स्थानान्तरण इतनी शीघ्रता से किया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जब से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे बनी है, उस समय से अब तक 14 अधिकारियों ने इस रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में काम किया है । इन में से तीन ने इस पर दो-दो बार काम किया है ।

(ख) महाप्रबंधक के पद पर काम करने वाले अधिकारियों के स्थानान्तरण के आदेश सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रख कर जारी किये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

पटसन उत्पादकों को संरक्षण

2300. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया, (2) राज्य व्यापार निगम, और (3) तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1971 में आसाम बौटम जूट से आसाम में गाँठों या मनों में कितनी मात्रा में जूट खरीदा; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसाम बौटम जूट, सरकार द्वारा निर्धारित प्रति मन समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर पटसन बेच रहा है, और यदि हाँ, तो उत्पादकों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) (1) कुछ नहीं।

(2) 18-11-71 तक 27,150 मन।

(3) कुछ नहीं।

(ख) सितम्बर, 1971 के अन्त तक असम में पटसन की कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमत से ऊँची चल रही थीं। अक्तूबर, 1971 के शुरू से कीमतें, मुख्यत: अभूतपूर्व बाढ़ों तथा पटरियाँ टूटने के कारण रेलों के आने-जाने में रुकावट हो जाने से न्यूनतम कीमत से नीचे गिरनी शुरू हो गई। राज्य व्यापार निगम ने कीमत समर्थन देने हेतु आसाम में खरीद कार्य शुरू किया है। रेल परिवहन सुविधाओं में सुधार होने तथा राज्य व्यापार निगम की खरीद के फलस्वरूप अब कीमतें असम के अधिकांश बाजारों में न्यूनतम समर्थन स्तर के आसपास चल रही हैं।

बहुमूल्य कारों का आयात

2301. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1969 से अक्तूबर 1971 तक कितनी बहुमूल्य कारों का विदेशों से आयात किया गया तथा उनका आयात कितने मूल्य पर किया गया;

(ख) उक्त अवधि में, प्रत्येक देश से कितनी कारों का आयात किया गया तथा उनका आयात कितनी कीमत पर किया गया और प्रत्येक कार के आयात पर कितनी धन राशि खर्च हुई;

(ग) प्रत्येक मामलों में कार का आयात किस प्रयोजन के लिए किया गया; और

(घ) जनवरी, 1960 से अक्तूबर 1971 तक आयात की गई कारों के खरीदारों के नामों की सूची क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). लक्जरी कारों, अन्य कारों आदि के विषय में आयात व्यापार आँकड़े पृथक से नहीं रखे जाते, अपितु निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार रखे जाते हैं :

(1) नई मोटर कारें;

(2) जीप तथा लैण्डरोवर टाइप की गाड़ियाँ;

(3) पुरानी तथा प्रयुक्त मोटर कारें (जीप अथवा लैण्डरोवर सहित)।

इन श्रेणियों की कारों के आयात आँकड़े, जहाँ तक उनका संबंध कुल संख्या तथा मूल्य से है, और जो उन देशों के अनुसार भी वर्गीकरण किये जाते हैं, जहाँ से उनका आयात किया गया हो, "मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारिन ट्रेड आफ इंडिया, वोल्यूम—II" में प्रकाशित किये जा रहे हैं। इसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। यह जानकारी अप्रैल, 1971 तक उपलब्ध है।

(ग) तथा (घ). आयात आँकड़े प्रत्येक आयातक के अलग-अलग नहीं रखे जाते अपितु पूरे देश के इकट्ठे रखे जाते हैं। अतः उनके नाम और जिस प्रयोजन के लिए प्रत्येक कार का आयात किया गया, इसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विश्व मंडी में भारतीय वस्त्रों के प्रतियोगी मूल्य निर्धारित करने के लिये कार्यवाही

2302. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1971 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है कि भारतीय वस्त्रों के ऊँचे मूल्य उनके निर्यात में बाधक हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो विश्व मंडी में उनके प्रतियोगी मूल्य निर्धारित करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) पंजीकृत निर्यातकों को उपलब्ध सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त, पालिस्टर रेशे पर शुल्क की वापसी की क्रियाविधि को उदार कर दिया गया है। विश्व बाजार में जिन परिधानों की माँग है, उनके उत्पादन के लिए भारी वस्त्र की उपलब्धि सुनिश्चित करने के निमित्त इस प्रयोजन की अपेक्षित मशीनें लगाने के लिए आवेदन-पत्र माँगे गये हैं। आशा है कि कपड़े की तुरन्त उपलब्धि तथा निर्यात लागत में कमी होने से हमारी प्रतियोगिता शक्ति बढ़ जायेगी।

रेलवे की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादक एककों की स्थापना

2303. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक उद्योगों के रूप में उत्पादक एककों की स्थापना करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में कितने उद्योग स्थापित किये जाने हैं; और

(ग) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कुछ एकक स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). इस समय दो परियोजनाएँ चालू करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं। एक पहियों और धुरों के निर्माण के लिए और दूसरी कर्षण गियरों के निर्माण के लिए। इन परियोजनाओं के संबंध में अभी तक कोई अन्तिम विनिश्चय

नहीं किया गया है। सभी संबंधित पहलुओं, जिनमें प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थान का प्रश्न भी शामिल है, की विस्तार के साथ जाँच कर लेने के बाद विनिश्चय किया जायेगा।

जापान से पुरानी कारों का आयात करने का प्रस्ताव

2304. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि क्या जापान से पुरानी कारों का आयात करने का प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन स्थगित करने के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

2305. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आर० एन० मिर्धा ने हाल ही में गोवा में यह वक्तव्य दिया था कि यदि आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई तो इस बात की संभावना है कि राज्य विधान सभाओं के आगामी निर्वाचन स्थगित कर दिये जाएँ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में राजनीतिक दलों और साधारण जनता की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय लिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं। श्री आर० एन० मिर्धा ने तो केवल यह स्पष्ट किया था कि संविधान के अधीन विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों को उनके प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीखों की पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व पूरा कर लेना होता है और अपवाद तभी संभव है जब आपात की घोषणा प्रवृत्त हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यदि कोई अप्रत्याशित आकस्मिकता न हुई जिससे निर्वाचनों को स्थगित करना आवश्यक हो जाए तो जिन राज्यों की विधान सभाओं की अवधि 1972 में समाप्त होने वाली है, उनमें निर्वाचन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे।

ऐसी परिस्थिति में इस बात की भी संभावना है कि पश्चिम बंगाल राज्य के सिवाए जिन अन्य राज्यों पर राष्ट्रपति का शासन है, उनमें भी निर्वाचन उसी समय होंगे। पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में सरकार ने अभी कोई निश्चय नहीं किया है।

कछार जिले को खाद्यान्न भेजने के लिए रेल डिब्बों का आबंटन

2306. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि रेल विभाग द्वारा पिछले अप्रैल मास से कछार जिले को खाद्यान्न नहीं भेजा जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप कछार, त्रिपुरा और मिजो जिलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) क्या सरकार का खाद्यान्न इन स्थानों को तुरन्त भेजने हेतु रेल डिब्बों का आबंटन करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). कृषि मंत्रालय और भारत के खाद्य निगम द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, रेलों द्वारा खाद्यानों का संचलन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। अगस्त से अक्तूबर, 1971 तक की अवधि में व्यापक बाढ़ों और रेल-पथ की टूट-फूट के कारण पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर रहने वाली गम्भीर कठिनाइयों के बावजूद खाद्यान्नों के संचलन को सर्वोच्च तरजीह दी गयी। अप्रैल से अक्तूबर, 1971 तक की अवधि में कछार और त्रिपुरा क्षेत्रों को खाद्यानों से लदे मीटर लाइन के 7381 माल-डिब्बे भेजे गये जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 4712 माल-डिब्बे भेजे गये थे।

नवम्बर में फरक्का बाँध पर रेलवे लाइन के खुल जाने से स्थिति और भी सुधर गयी है। उत्तर बंगाल, त्रिपुरा और असम के क्षेत्रों को खाद्यानों से लदे बड़ी लाइन के लगभग 400 और मीटर लाइन के 50 माल-डिब्बे प्रतिदिन भेजे जा रहे हैं।

रेलवे प्रयोक्ता एसोसिएशन, केरल से प्राप्त अभ्यावेदन

2307. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे प्रयोक्ता एसोसिएशन, केरल से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें केरल राज्य में रेलवे पद्धति का प्राथमिकता के आधार पर विकास करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) नयी लाइनों के लिए चौथी योजना के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और अभी यह कहना कठिन है कि चौथी योजना में जिन लाइनों के निर्माण के बारे में अंतिम रूप से विनिश्चय किया जायेगा, उनमें से कौन सी लाइन केरल राज्य में पड़ेगी।

इडिक्की जल-विद्युत परियोजना को पूरा करना

2308. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इडिक्की जल विद्युत परियोजना को पूरा करने के संबंध में सरकार को हाल ही में केरल राज्य सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने अभी तक कोई संशोधित प्रस्ताव नहीं भेजा है । बहरहाल, केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने चतुर्थ योजना के अन्दर पहले यूनिट को चालू करने के कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है ।

नई रेलवे लाइनों के संबंध में केरल सरकार के प्रस्ताव

2309. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि में दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत नई रेल लाइनें बिछाने के संबंध में केरल राज्य सरकार से क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). अनुबन्ध 'क' के रूप में एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अनुबन्ध 'क' 4 घ

क्र०सं०	(क) चौथी योजना की अवधि में दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत नई रेल लाइनें बिछाने के संबंध में केरल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव नई लाइनों के नाम	(ख) सरकार की प्रतिक्रिया	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	परिमेद और कुमिली के रास्ते कोट्टायम बोदीनामकनूर (मीटर लाइन–180 कि० मी०)	विगत में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है फिर भी इस लाइन को काफी दूरी तक पश्चिमी घाट से होकर ले जाना पड़ेगा और भू-प्रदेश ऐसा है कि इस लाइन के निर्माण की लागत अत्यधिक आयेगी ।	चूंकि चौथी योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए बहुत थोड़ा धन उपलब्ध है, इसलिए केवल उन्हीं अनिवार्य लाइनों का

1	2	3	4
2.	तेल्लिचेरी–मैसूर (मीटर लाइन–237 कि० मी०)	1957-58 में किये गये सर्वेक्षण से पता चला कि दूरी बढ़ाकर किराया लेने से भी यह लाइन अलाभप्रद होगी ।	निर्माण शुरू किया जा सकता है जिनको प्रतिरक्षा या विकास की दृष्टि से उच्च-
3.	अल्लेपी के रास्ते कामनकुलम-एर्नाकुलम (मीटर लाइन– 97 कि० मी०)	एर्नाकुलम–तिरुवनन्तपुरम के बड़ी लाइन में सम्भावित बदलाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है । रिपोर्ट के अनुसार यह योजना अत्यधिक अलाभप्रद है । फिर भी यह रिपोर्ट इस समय बोर्ड के विचाराधीन है ।	प्राथमिकता देने का औचित्य हो । इसके अलावा चौथी योजना में बनने वाली नयी लाइनों के प्रस्तावों के अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इस-लिए यह कहना कठिन
4.	तिरुवनन्तपुरम-कन्या-कुमारी (मीटर लाइन–100 कि० मी०)	तिरुनेलवेलि–कन्याकुमारी–तिरुवनन्तपुरम मीटर लाइन/बड़ी लाइन (लगभग 167 कि० मी०) रेल सम्पर्क के लिए अभी हाल में किये गये सर्वेक्षण से पता चला कि यह योजना आर्थिक दृष्टि से लाभ-प्रद नहीं है । फिर भी इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।	है कि अन्ततोगत्वा किन लाइनों के निर्माण का काम शुरू किया जायेगा ।
5.	गुरुवयूर और करैंगनूर के रास्ते कुट्टिप्पुरम-एर्नाकुलम (मीटर लाइन–128 कि०मी०)	विगत में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । स्पष्टतः इस लाइन के वित्तीय दृष्टि से सक्षम होने की सम्भावना नहीं है ।	

केरल में सिंचाई परियोजनाएं

2310 : **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की कुछ सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने अभी भी मंजूरी देनी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). इदा-मलियार परियोजना पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की तकनीकी टिप्पणियाँ राज्य सरकार के विचाराधीन हैं जो कि स्कीम की योजना में तरमीम कर रही है । संशोधित परियोजना अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

केरल सरकार ने कार्यान्वयन के लिए कावेरी बेसिन में भी कुछ नई परियोजनाएँ प्रस्तावित की हैं। इन स्कीमों की केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में तकनीकी जाँच हो रही है।

हथकरघों एवं विद्युत चालित करघों का बन्द होना

2311. **श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बे रेशों की अत्यधिक कमी के कारण पिछले दो महीनों में अनेक हथकरघे तथा विद्युत चालित करघे बन्द हो गये हैं; और कई अन्य हथकरघे बन्द हो जाने की आशंका है;

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) लम्बे रेशों की कमी समाप्त करने और इसके सामयिक वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) श्रमिक अशान्ति और उसके फलस्वरूप कालीकट (केरल) में स्थित उनकी लुग्दी फैक्ट्री के बन्द हो जाने से मै० ग्वालियर रेयन्स, नागदा को, जोकि देश में लम्बे रेशे के प्रमुख उत्पादक हैं, लुग्दी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। परिणामत: लम्बे रेशे के उत्पादन में कमी आई तथा कताई एककों को इस रेशे के आबंटन में कटौती हुई।

(ग) लम्बे रेशे के उत्पादन को बढ़ाने के निमित्त 41,000 मे० टन तक के आशय पत्र जारी किये जा चुके हैं। अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की कतिपय अन्य प्रस्तापनाओं पर विचार किया जा रहा है। लम्बे रेशे के वितरण पर इस समय कोई नियंत्रण नहीं है।

गैर-सरकारी फर्मों द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

2312. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मर्मगाओ को छोड़ अन्य भारतीय पत्तनों से गैर-सरकारी फर्मों को लौह अयस्क का निर्यात करने की अनुमति देने का है; और

(ख) गोआ से लौह अयस्क का गैर-सरकारी निर्यात जारी रखने के लिए किन-किन बातों पर ध्यान दिया जाता है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) गोआ के गैर-सरकारी निर्यातकों को गोआ से लौह अयस्क निर्यात करने की अनुमति देने का विनिश्चय ऐतिहासिक और साथ ही आर्थिक बातों पर आधारित था और वे

बातें अब भी वैध हैं । सरकार का यह विचार है कि गोआ के लौह अयस्क के निर्यात को पूरी तरह से खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत करने से कोई तुरत लाभ नहीं होगा । तथापि हमारी समग्र निर्यात नीति तथा उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए इस नीति की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है ।

प्रशासनिक सुधार आयोग की रेलवे के वाणिज्यिक विभाग के कार्यकरण के संबंध में टिप्पणियाँ

2313. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने रेलवे के वाणिज्यिक विभाग के कार्यकरण के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) आयोग ने ये सिफारिशें कब प्रस्तुत की थीं और रेलवे प्रशासन को भेजी थीं; और

(ग) इन सिफारिशों पर रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रशासनिक सुधार विभाग ने रेलों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट अपने 25 मार्च, 1970 के पत्र के साथ रेल मंत्रालय को भेजी थी ।

(ग) सिफारिशों की जाँच का काम काफी आगे बढ़ चुका है ।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक और यातायात विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का स्थायीकरण

2314. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक और यातायात विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थायीकरण के बारे में 11 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2377 और 8 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1598 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय पदोन्नति समिति की इस बीच कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो यह बैठक किस तिथि को हुई थी और इसके सदस्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) समिति ने किन-किन अधिकारियों की रेलवे में स्थायी नियुक्ति के लिये सिफारिश की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) बैठक 17-8-1971 को हुई थी । इस विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य (1) श्री हरि शर्मा, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग, (2) श्री सी० एस० परमेश्वरन, निदेशक, स्थापना, रेलवे बोर्ड और (3) श्री एस० पी० चटर्जी, निदेशक, सांख्यिकी एवं अर्थ, रेलवे बोर्ड थे ।

(ग) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है। औपचारिकताएँ पूरी हो जाने के बाद, विभागनीय पदोन्नति समिति द्वारा चुने गये, अस्थायी सहायक यातायात अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति के बारे में अधिसूचना जारी की जायेगी।

अहमदाबाद स्टेशन पर चाँदी के पार्सल का गायब हो जाना

2315. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या रेल मंत्री अहमदाबाद स्टेशन पर चाँदी के पार्सल के गायब हो जाने के बारे में 20 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5413 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में कब तक जानकारी एकत्र करके सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं० तारीख और हवाला	विषय	दिया गया वचन	कब और कैसे पूरा किया गया
20-7-1971 को श्री चन्द्रिका प्रसाद द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न 5413	पूछा गया था कि : (क) क्या रेलवे पार्सल के बिल संख्या 15771 दिनांक 1 दिसम्बर, 1969 एक्स-चूरु टू पार्सल डिपो ग्रांट रोड के अन्तर्गत बुक कराया गया एक पार्सल जिसमें, 28,000 रुपये के मूल्य की चाँदी थी, 2 दिसम्बर, 1969 या उसके आसपास अहमदाबाद स्टेशन से गायब पाया गया था।	(क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।	(क) जी, हाँ। कमी के संबंध में 22-12-1969 को अहमदाबाद में पता चला।
	(ख) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त माल का मुआवजा देने के लिए रेलवे विभाग को दावा मिला था और प्रेषक को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया था; और		(ख) एक दावा मिला था जिसे मंजूर नहीं किया गया।
	(ग) क्या रेलवे सुरक्षा दल की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो शाखा ने उपर्युक्त चोरी की जाँच की थी और यदि हाँ, तो उस जाँच के क्या परिणाम निकले हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?		(ग) जी हाँ। जाँच की जा रही है। जाँच के परिणामस्वरूप जो व्यक्ति दोषी पाया जायेगा उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में टाइपिस्टों की नियुक्ति

2316. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री रेलवे बोर्ड और पश्चिम रेलवे के विभागीय कार्यालयों के टाइपिस्टों को मानदेय और समयोपरि भत्ते का भुगतान करने के बारे में 15 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2230 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में ऐसे लोअर डिवीजन क्लर्कों को कितना मानदेय तथा समयोपरि भत्ता दिया गया, जिन्होंने टाइप का काम भी किया ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : चालू वर्ष में 1-1-1971 से 30-9-1971 तक रेलवे बोर्ड कार्यालय में निम्न श्रेणी क्लर्कों को मानदेय और समयोपरि के रूप में दी गई रकम अनुबन्ध में दिखाई गई है।

विवरण

1–1–1971 से 30–9–1971 तक रेलवे बोर्ड कार्यालय में निम्न श्रेणी क्लर्कों को मानदेय/समयोपरि के रूप में दी गई रकम का विवरण :

इस अवधि में दिया गया मानदेय	इस अवधि में दिया गया समयोपरि
2,969·70 रुपये	39,351·85 रुपये

डिवीजन कार्यालय, अजमेर (पश्चिम रेलवे) में कार्य विश्लेषण के आधार पर अतिरिक्त टाइपिस्टों की नियुक्ति

2317. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री आगरा डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के टाइपिस्टों के कार्यभार तथा उनकी अपेक्षित संख्या के बारे में मूल्यांकन के बारे में 15 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2228 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजन कार्यालय, पश्चिम रेलवे, अजमेर में मई, 1969 में किए गए कार्य-विश्लेषण के आधार पर सरकार का विचार 6 अतिरिक्त टाइपिस्टों को नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार को इन पदों की व्यवस्था करने में लगभग कितना समय लगेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का डिवीजनल कार्यालय, अजमेर (पश्चिम रेलवे) में इन छः टाइपिस्टों के अतिरिक्त कार्यभार के लिए क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) अजमेर मंडल (न कि आगरा मंडल) के लिए टाइपिस्टों के अतिरिक्त पदों की मंजूरी के संबंध में अब भी वही स्थिति है जैसी 19–6–1971 के प्रश्न 2228 के भाग (ङ) के उत्तर में बताई गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) काम की व्यवस्था वर्तमान कर्मचारियों से ही की जा रही है ।

Erosion by Ganga River in Rishikesh, Dehradun

2318. SHRI MULKI RAJ SAINI : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether a very grave situation has been created in Rishikesh, district Dehradun (Uttar Pradesh) as a result of erosion by the Ganga river;

(b) if so, the scheme under consideration of Government to check the erosion; and

(c) the time by which the said scheme will be implemented ?

THE MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) to (c). Reports of erosion dy Ganga in Rishikesh town limits have been received. The State authorities have been requested to carry out model studies at the Irrigation Research Institute, Roorkee, for investigating the causes of erosion and evolving suitable remedial measures for checking erosion.

Irrigation of Land in Gaya District, Bihar

2319. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether survey was conducted in respect of the Upper Sakri Reservoir, Tilaiya Diversion Scheme and Muhane Reservoir Scheme for irrigating land in Gaya District, Bihar State;

(b) whether the land exposed to perennial drought and famines in Gaya District will be irrigated by the said schemes;

(c) if so, whether Government propose to include these schemes in the Fourth Five Year Plan and implement them in view of their utility; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) and (b). The Government of Bihar have sent proposals for Tilaiya diversion scheme. A suggestion has been made that the tunnel proposed in the project may be realigned. The modified project is awaited. The matter of diverting the existing Tilaiya reservoir is also being looked into by a Committee on which Bihar and West Bengal engineers are also represented.

The investigations of the Upper Sakri and Mohane Schemes by the Bihar Government are in progress.

(c) and (d). The question of inclusion in the Plan will arise only after the Schemes are finalised.

लोक सभा के मध्यावधि निर्वाचनों में पंजाब राज्य में निर्वाचन संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या

2320. **श्री तेजा सिंह स्वतंत्र** : क्या **विधि** और **न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा के मध्यावधि निर्वाचनों में पंजाब राज्य में निर्वाचन संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारियों की जिला-वार संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त कर्मचारियों को जिला-वार दिए गए यात्रा/दैनिक भत्तों की राशि क्या है;

(ग) जिला-वार कितनी धनराशि की अदायगी अभी नहीं की गई है; और

(घ) उक्त भत्तों की शीघ्रतापूर्वक अदायगी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ब्यास परियोजना के श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच समझौता

2321. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छंटनी किए गए कर्मचारियों को खपाये जाने के संबंध में तलवाड़ा में ब्यास परियोजना के श्रमिकों और प्रबंधकों तथा उप सिंचाई और विद्युत मंत्री के मध्य 1970 में कोई लिखित या अन्य समझौता हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो समझौते की शर्तें क्या हैं और समझौते को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस समझौते के बावजूद तलवाड़ा में श्रमिकों को छंटनी सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किए गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तलवाड़ा में श्रमिक अशांति को देखते हुए समझौते के प्रति दृढ़ रहने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जब कभी भी कोई छंटनी करनी होती है तो परियोजना की अन्य यूनिट पर, यदि स्थान उपलब्ध हों, श्रमिकों को वैकल्पिक नौकरियाँ देने के लिए कोशिशें की जाती हैं।

पंचिंग वैरीफायर मशीनों का आयात

2322. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय द्वारा 1966-67 में 16 पंचिंग/वैरीफायर मशीनें खरीदी गई थीं;

(ख) क्या इन मशीनों के लिए 16 पंचिंग/वैरीफायर मशीन चालकों की नियुक्ति की गई थी;

(ग) क्या इन 16 मशीनों में से अभी तक केवल 8 मशीनें ही प्रयोग में लाई गई हैं और शेष 8 मशीनें अभी तक प्रयोग में नहीं लाई गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो शेष अप्रयुक्त मशीनों की लागत क्या है और उनके लिए कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) की पंचिंग आपरेटर/वैरीफायरों के 16 पद संस्वीकृत किये जा चुके हैं। इस समय एक स्थान खाली है। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) तथा (घ). सभी मशीनें प्रयोग में लाई गई हैं परन्तु सभी समान रूप से नहीं।

दिल्ली तथा मुरादाबाद (उत्तर रेलवे) के बीच नई रेलगाड़ी चलाना

2323. **श्री अम्बेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिन के समय दिल्ली से मुरादाबाद जाने के लिए केवल दो यात्री गाड़ियाँ हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस रास्ते पर दिन के समय कोई और गाड़ी कब तक चलाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। दिल्ली और मुरादाबाद के बीच दिन के समय चलने वाली तीन गाड़ियाँ हैं, जिनमें से दो हर स्टेशन पर रुकने वाली सवारी गाड़ियाँ हैं और एक एक्सप्रैस गाड़ी है।

(ख) इस समय, इस मार्ग पर अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत एवं नेपाल के बीच बाढ़ नियंत्रण संधि

2324. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए नेपाल के साथ बाढ़ नियंत्रण "संधि" करने के बारे में बातचीत चल रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : नेपाल सरकार द्वारा प्रस्तावित करनाली परियोजना और भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पंचेश्वर तथा पूर्णागिरि परियोजनाओं पर अक्तूबर, 1971 में काठमांडू में मंत्री स्तर और अधिकारी स्तर पर प्राथमिक विचार-विमर्श हुए हैं। ये परियोजनाएँ कार्यान्वित होने पर भारत में बाढ़-नियंत्रण लाभ भी प्रदान करेंगी।

सिगनल वर्कशाप, गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) के कर्मचारियों की सेवा समाप्त करना

2325. **श्री नरसिंह नरायण पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगनल वर्कशाप, गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का उन कर्मचारियों को कहीं अन्य कार्य पर लगाने का विचार है और यदि हाँ, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपीय बाजार के संबंध में अखिल भारतीय निर्माता संघ के प्रतिनिधि-मण्डल की रिपोर्ट

2326. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उत्पादों की माँग का पता लगाने के लिए यूरोपीय बाजारों का दौरा करने हेतु सरकार द्वारा भेजे गये अखिल भारतीय निर्माता संघ के पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिनिधि मंडल ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). औद्योगिक विकास मंत्रालय से, जिसने प्रतिनिधिमंडल को प्रायोजित किया था, जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Utilisation of Money in an Irregular Manner by Railway Officials (North Eastern Railway)

2328. SHRI SARJOO PANDEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether an amount of Rs. fifty thousand was disbursed by the Loco Foreman, Gonda and Divisional Mechanical Engineer, (Loco), North Eastern Railway, Lucknow, in the form of pay and allowances in an irregular manner and whether this fact was brought to the notice of the authorities in February, 1970; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) & (b). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Decoration of Bungalows of Railway Officials at Lucknow

2329. SHRI SARJOO PANDEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a sum of Rs. 2,22,464 has been spent by the authorities on the decoration of bungalows provided to Railway Officers of Vanaria Bagh, Lucknow, during the last two years;

(b) whether Audit has raised objection to the aforesaid expenditure; and

(c) if so, the action being taken in the matter ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) and (b). No.

(c) Does not arise.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अलीपुर सैन्ट्रल जेल में राजनीतिक बंदियों के मारे जाने का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन्, मैं नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ जो नियम 197 के अधीन इस प्रस्ताव के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा में चर्चा के दौरान कभी भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। इस समय सभा के समक्ष जो प्रस्ताव है वह नियम 197 के अधीन है जो चर्चा को

निषिद्ध करता है। पश्चिम बंगाल में जेल के अन्दर बंदियों को मारा जा रहा है और 100 से अधिक बन्दी मारे गये हैं अतः क्या नियम 193 के अधीन चर्चा की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी सूचना दे सकते हैं परन्तु अब नहीं। मुझे खेद है कि वह अचानक ही खड़े हो जाते हैं और समूचे वातावरण को अव्यवस्थित कर देते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : श्रीमन्, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :

"अलीपुर सेन्ट्रल जेल (पश्चिम बंगाल) के अन्दर 26 नवम्बर, 1971 को छः राजनीतिक बंदियों के, जिन्हें नक्सलवादी बताया गया है, मारे जाने तथा दो सौ से अधिक बंदियों को घायल किये जाने का समाचार।"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : अध्यक्ष महोदय, 26 नवम्बर, 1971 के प्रातः लगभग 8 बजे कलकत्ता, अलीपुर सैन्ट्रल जेल में बन्दी ओवरसीयर राम देव को वार्ड नं० 9 के कुछ उग्रपन्थी बंदियों का दो वार्डों को अलग करने वाली रेलिंग के पार वार्ड नं० 7 के बंदियों के साथ संचारण करने का पता लगा। जब उसने उन्हें ऐसा न करने पर जोर दिया तो वार्ड नं० 9 के कुछ बन्दी क्रोधित हो गये और उन्होंने उसे मारना आरम्भ किया। जब वार्डर साधन कुमार दास उसे बचाने के लिए आया तो उसे बुरी तरह पीटा गया और एक बन्धक व्यक्ति के रूप में उसे बलपूर्वक वार्ड नं० 9 में ले जाया गया। निकटवर्ती वार्ड के वार्डर तुरन्त उसकी सहायता के लिए आये और चेतावनी की घण्टी दी गई। उपलब्ध बल के साथ जेलर तथा अधीक्षक स्थल पर पहुँचे। इस बीच वार्ड नं० 9 के बन्दी भारी पथराव करने लगे और उन्होंने वार्ड में सुरक्षा बल के प्रवेश को रोका। उन्होंने अपने वार्ड की कुछ पुरानी हवाई हमले की अहतियाती दीवारों और बरांडे की खपरेल की छत को गिरा दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वयं को उन्नत किस्म की लाठियों तथा रेलिंग से निकाली गई लोहे की छड़ों से लैस किया। सारा समय जेलर और जेल के अधीक्षक भी बार-बार उनको समझाते रहे और उनके उपद्रवी आचरण के लिए उन्हें सावधान करते रहे किन्तु उन्होंने इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। वास्तव में साथ-साथ वार्ड नं० 7 के उग्रवादी बंदियों ने अपने वार्ड से पत्थरों तथा टूटी खपरेल के टुकड़े फेंकना भी आरम्भ कर दिये। क्योंकि जेलर और अधीक्षक की चेतावनियों का कोई लाभ सिद्ध नहीं हुआ अतः अधीक्षक ने हवाई गोली चलाने का आदेश दिया और दस वार्डरों ने अपनी बन्दूकों से हवाई कारतूसों के 50 राउंड चलाये। इससे भी उपद्रवी बंदियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी और पत्थरों तथा खपरेल के टुकड़े जेल कर्मचारियों पर फेंके जा रहे थे। अतः अधीक्षक ने अन्ततः लाठी चलाने का आदेश दिया, जिसके पश्चात स्थिति नियंत्रण में लाई गई।

संघर्ष तथा बाद के लाठी चार्ज में कुल मिलाकर 172 उग्रवादी बंदी, तीस बंदी-ओवरसियर, एक हैड वार्डर तथा 35 वार्डरों तथा जेलर और अनुशासन अधिकारी को भी चोटें आईं। 22 बंदियों तथा एक वार्डर में से जो गम्भीर रूप से घायल हुए थे, 6 बंदी उन

चोटों के कारण जेल के अस्पताल में मर गये। अन्य को एस० एस० के० एम० अस्पताल में ले जाया गया। उनमें से एक बंदी की अब मृत्यु हो गई है। शेष घायल व्यक्तियों का जेल के अस्पताल में उपचार किया जा रहा था। बाद में चार और बंदियों को जेल अस्पताल से एस० एस० के० एम० अस्पताल में भेज दिया गया। इन बंदियों में से एक की अब मृत्यु हो गई है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने जाँच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अन्तर्गत एक सदस्यीय आयोग के रूप में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी० सी० मित्र की नियुक्ति यह जाँच करने के लिए की है :

(i) दंगों के कारण तथा प्रकृति। वे परिस्थितियाँ जिनमें वे आरम्भ हुए।

(ii) दंगों से उत्पन्न स्थिति से किस ढंग से निपटा गया; और

(iii) क्या पश्चिम बंगाल जेल संहिता के उपबन्धों का अनुसरण स्थिति से निपटने में किया गया था। इसके अतिरिक्त आयोग इस प्रकार के दंगों की पुनरावृति को रोकने के लिए भविष्य में अपनाये जाने वाले उपायों पर विचार करेगा और सिफारिशें देगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमन्, यह वक्तव्य हमें किसी को भी नहीं दिया गया।

पश्चिम बंगाल में जहाँ सरकार लोकप्रिय होने का दावा करती है, वहाँ वर्ष में सातवीं बार विचाराधीन बंदियों में से लगभग 60 व्यक्ति मारे गये हैं और मेरे माननीय मित्र श्री पन्त अपने वक्तव्य में यह कह कर इस बात पर पर्दा डाल रहे हैं कि बन्दी खतरनाक सिद्ध हुये हैं।

मैं इस संबंध में कलकत्ता के "हिन्दुस्थान स्टैंडर्ड" के सम्पादकीय के बारे में कहना चाहूँगा कि पत्र ने लिखा है कि पीड़ित व्यक्तियों के पास कोई हथियार नहीं थे, बंदियों पर नृशंसता का व्यवहार किया गया।

इस बारे में घृणास्पद पहलू तो यह है कि ये नृशंस अपराध प्रशासन द्वारा किये जाते हैं और कोई जाँच नहीं की जाती है। इस बार जाँच करने को कहा गया परन्तु जाँच की नहीं गई। इस प्रकार मामले को दबा दिया जाता है। विधि और न्याय मंत्री ने बारासाट, डायमंड हार्बर, शिबपुर, कोसीपुर, बड़ानगर आदि स्थानों पर यह पता लगाने के लिए कि वहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं किया। सरकार ने इस बारे में अफसोस का एक शब्द भी वक्तव्य में नहीं कहा।

जेल महा-निरीक्षक यह कहते हैं कि बन्दियों ने ईंटें और टाइलें फेंकीं, मानो इन चीजों की समूची सप्लाई इन लोगों को की गई हो। वक्तव्य से स्पष्ट है कि हवाई फायर के बाद लाठी चार्ज किया गया था। इस बात की कलकत्ता में डाक्टरों तथा अन्य लोगों द्वारा पुष्टि की गई है कि लोगों को लाठियों से जान से मार डाला गया''' (**व्यवधान**)।

कुछ माननीय सदस्य : शर्म, शर्म।

श्री एच० एन० मुकर्जी : हमने यह आशा की थी कि प्रजातांत्रिक पद्धति के अनुसार काम किया जायेगा परन्तु राष्ट्रपति के शासन के नाम पर वहाँ के लोगों पर इस बर्बरता का प्रयोग किया जा रहा है।

क्या यह सच है कि आर० के० देबनाग नामक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने जेल में मारे गये व्यक्तियों को देखा और पत्रकारों के समक्ष कहा कि उन्हें लाठियों से मारा गया है। यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार क्या कर रही है ?

जैसा कि समाचार-पत्रों से विदित है, गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को जिनका आपरेशन किया जाना था, आठ घन्टे बाद अस्पताल ले जाया गया और कोई भी प्रथम उपचार प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं किये गये ?

क्या श्री नारायण दास, एक जेल आगन्तुक को जेल में जाने का अधिकार होते हुए भी जेल के अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी गई और उसने आरोप लगाया, जो समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है, जेल में जो कुछ हुआ उसे जानबूझ कर छिपाया जा रहा था। क्या मंत्री महोदय, जेल आगन्तुक से मिले इस समाचार के बारे में कुछ बतायेंगे ?

पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि न्यायिक जाँच की जायेगी और जाँच कार्यों के लिए जेल महा-निरीक्षक सहित सभी लोगों को पकड़ा जायेगा परन्तु कुछ नहीं हुआ है। क्या ऐसी नृशंस और अपमानजनक घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिये कोई कड़ी कार्यवाही की जायेगी ? क्या इस सम्बन्ध में जेल महा-निरीक्षक को सजा दी जायेगी ?

अन्त में, मैं यह कहना चाहूँगा कि क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि जो आठ व्यक्ति मारे गये हैं, उनके शव-परीक्षा रिपोर्ट जाँच-समिति और मृतकों के परिवार के सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने प्रो० मुकर्जी को बड़े आदरपूर्वक सुना।

किसी बात की लीपा-पोती करने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रो० मुकर्जी ने कहा कि मैंने अफसोस का एक शब्द भी प्रयोग नहीं किया। मैंने तथ्य दिये हैं। किसी की मृत्यु होना अथवा घायल होना निश्चय ही अफसोस का मामला है।

उन्होंने कहा कि टाइलों की मानो सप्लाई की गई हो। मैंने एक बरामदे की छत के फोटो देखे हैं जिसमें से टाइलें निकाली गई हैं और उन्हें सप्लाई का स्रोत बनाया गया है।··· **(व्यवधान)**

जहाँ तक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रकारों को दिये गये वक्तव्य का संबंध है, इस बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। चूँकि कलकत्ता उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश इस मामले की जाँच करेगा, अतः वह ठीक ही निर्णय करेगा।

दूसरी बात यह है कि घायल बंदियों को आठ घंटे बाद अस्पताल पहुँचाया गया और

प्रथम उपचार प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार उन सभी को अस्पताल ले जाया गया और बाद में स्थानान्तरित किया गया। यदि उन्हें आठ घंटे बाद ले जाया गया होगा तो मैं इसकी जाँच करूँगा क्योंकि यदि अस्पताल में किसी की जानबूझ कर चिकित्सा नहीं की जाती है तो यह बात आपत्तिजनक है।

जहाँ तक जेल आगन्तुक द्वारा दिये गये समाचार का संबंध है कि जेल में हुई घटना को जानबूझ कर छिपाया गया है, मैंने ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी है और इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ।

श्री मुकर्जी ने ठीक ही कहा है कि जेल तोड़ने और जेल के अन्दर लाठी चार्ज करने आदि की घटनायें हुई हैं। केन्द्रीय सरकार बंगाल सरकार से सम्पर्क बनाये हुए है। बहुत से सुझाव दिये गये हैं। उनमें सर्वोत्तम सुझाव यही है कि इन उग्रवादियों के लिये अलग जेल बनायी जायें और इस विचार पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। अनेक अलग जेलें स्थापित की जा रही हैं परन्तु इसमें थोड़ा समय लग गया है। अलग जेलों के लिये मकान बनाने में समय लगेगा। हमारा विचार है कि बने-बनाये मकान लेकर उन्हें जेल में बदला जाये। वहाँ हम विशेष व्यवस्था करेंगे और विशेष उपाय करेंगे।

शव-परीक्षा की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है परन्तु न्यायाधीश जाँच करेंगे अतः शव-परीक्षा रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कर दी जायेगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : दुर्भाग्य की बात तो यह है कि नक्सलवादी दल के भ्रमित युवकों की जेल में नृशंस हत्या कर दी गई जब कि उन्हें विचाराधीन बन्दी के रूप में रखा गया था। अलीपुर जेल में ऐसा दूसरी बार हुआ है। पश्चिम बंगाल में यह आठवीं बार जेल-उपद्रव हुआ है।

वैसे नक्सलवादियों के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है परन्तु जेल में, पुलिस की ताला बन्दी में जब विचाराधीन युवा बंदियों की ये गतिविधियाँ चलती हैं तो उन्हें कोई सरकार नहीं दबा सकती है जब तक उनकी माँगें सही हैं। जहाँ कहीं भी किसी को गिरफ्तार किया जाता हो अथवा हिरासत में रखा जाता हो तो उसे अपराध या एफ० आई० आर० के आधार पर नहीं रखा जाता है परन्तु अंग्रेजों के जमाने में जैसा किया जाता था, वैसा किया जा रहा है। "सैन्ट्रल ब्यूरो आफ करेक्शनल सर्विसेज" ने अपने प्रतिवेदन में जिन सुधारों का सुझाव दिया है, उन्हें लागू नहीं किया गया है। क्या वार्ड संख्या 9 में 237 विचाराधीन बन्दी रखे गये थे और केवल एक निःशस्त्र वार्डर उन पर रखा गया था ?

क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि जेल के अन्दर नक्सलवादियों को चाकू और चित्रकारी का रंग कहाँ से मिल गया जो उन्होंने दीवार पर 'माओ-त्से-तुंग जिंदाबाद' लिख दिया ? मेरे विचार से जेल अधिकारियों और वार्डर संघ के बीच कोई ऐसी बात है क्योंकि वार्डरों को किसी विशेष राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त है। पश्चिम बंगाल के जेल उपद्रवों की घटनाओं को देखने से पता चलेगा कि जेल वार्डरों और विचाराधीन बंदियों के बीच कोई विशेष बात है। ये वार्डर किसी राजनीतिक दल से संबद्ध थे। जेल वार्डर खुले रूप से कहते हैं कि हम

अमुक नक्सलवादी से बदला लेंगे जो हमारी जेल में है । वे उपद्रव करवा देते हैं । पश्चिम बंगाल सरकार बधाई की पात्र है, जिसने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायिक जांच के लिये नियुक्त किया है । क्या ऐसे भी पुलिस कर्मचारी और जेल अधिकारी हैं जो भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश का उल्लंघन करते हैं ?

श्री मुकर्जी ने जो बात कही है, वह सच है । बन्दी पुलिस की गोली से नहीं वरन् लाठी चार्ज से मारे गये थे । जेल में अथवा जेल के कक्ष में कितने वार्डर थे, जो 6 युवा बंदियों को केवल लाठी चार्ज से मार सके ? मैं इस समूचे मामले की जाँच कराये जाने का अनुरोध करता हूँ, जिसमें पुलिस अधिकारियों, उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक आदि के व्यवहार की जाँच हो ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे अभी जानकारी मिली है जिसे मैं श्री मुकर्जी के प्रश्न के उत्तर में दे रहा हूँ । जेल अस्पताल के भीतर ही था । चार डाक्टर थे, जिन्होंने घायल बन्दियों की चिकित्सा की । बाद में चार डाक्टर और आ गये थे ।

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : 8 घंटे के अन्दर घायल बन्दियों का कोई प्रथम उपचार नहीं किया गया, मैं जेल आगन्तुक के साथ वहाँ गया था ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि मेरी जानकारी सही नहीं है तो माननीय सदस्य लिख कर दे सकते हैं और मैं जाँच कर रहा हूँ कि मैंने यह जानकारी क्यों दी है ।

श्री मुंशी ने जेलों में सुधारों का और जेलों में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता का उल्लेख किया । यह आवश्यक है और हमने कई बार इस पर चर्चा की है । यह तो स्वयं में एक विषय है । श्री सिद्धार्थ शंकर राय, जो उस समय बंगाल में थे, इस जेल को देखने गये थे ।

एक माननीय सदस्य : कोसीपुर जाना व्यर्थ रहा ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उनके कोसीपुर जाने से वातावरण में सुधार हुआ और तथ्य उनके समक्ष रखे गये । मेरे विचार से यह व्यर्थ नहीं रहा । उन्होंने मुझे 'माओ जिन्दाबाद' के चित्र दिखाये । हम जेल-सुधारों की जाँच करेंगे ।

वार्ड संख्या 9 में 200 बन्दी थे, प्रत्येक वार्ड में 4 कक्ष थे, प्रत्येक कक्ष 50 बन्दियों के लिये था । उनकी देखभाल करने के लिये दो वार्डर और तीन-चार दोष-सिद्ध ओवरसियर रखे गये थे ।

वार्डर किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध थे, अथवा नहीं, इस बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ ।

लाठी चार्ज के समय 60 व्यक्ति लाठी वाले और 10 बन्दूक वाले थे । केवल हवाई फायर किया गया था, गोली नहीं चलाई गई थी और लाठी चार्ज किया गया था ।

लाठी चार्ज को गोली चलाने से कम हिंसा माना जाता है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : अब तक कुल 11 व्यक्ति मारे गये हैं न कि 6; दूसरे

दिन राज्य सभा में दिये गये विवरण के अनुसार 200 युवक जेल के बाहर मारे गये हैं और 60 व्यक्ति जेल में मारे गये हैं ।

हमारा न्यायिक जाँच में कोई विश्वास नहीं है । सरकार को 5 कांग्रेस के संसद सदस्यों को चुन कर जेल में घटनास्थल पर अध्ययन करने के लिये भेजना चाहिये । वे खून के धब्बे देखेंगे और पूछने पर लोग उन्हें सचाई बता देंगे । इसके स्थान पर सरकार न्यायाधीश को नियुक्त करती है ।

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, श्री देबनाग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि ये सब चोटें लाठी-चार्ज के कारण आई थीं । क्या यह सच है ?

क्या जेल अस्पताल के अन्दर लाठी-चार्ज किया गया जिसमें कुछ व्यक्ति मारे गये ? टाइल वाली कहानी मनगढ़न्त है ।

वार्ड संख्या 9 में, जहाँ ये नृशंस हत्यायें हुयीं, केवल 150 व्यक्तियों के लिये स्थान है जबकि कि वहाँ 263 व्यक्ति रखे गये । ऐसा अन्य जेलों में भी होता है । क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि इन विचाराधीन बंदियों को जो विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत पकड़े गये, राजनीतिक बंदी के रूप में माना जायेगा ?

लाठी-चार्ज से पीड़ित सभी व्यक्ति उग्रवादी नक्सलवादी नहीं हैं, वे अन्य राजनीतिक दलों के व्यक्ति भी हैं यदि व्यक्ति जेल के बाहर मारे जाते हैं तो मंत्री महोदय विचित्र उत्तर देंगे कि पुलिस ने उन्हें मार दिया और जेल में मारे जाते हैं तो वह कहेंगे कि उग्रवादी थे। उनकी शिनाख्त किये बिना कैसे पता चला कि वे उग्रवादी थे ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनकी संख्या मैं वक्तव्य में बता चुका हूँ। हमने इस संबंध में कलकत्ता से जेलों के उप-महानिरीक्षक को बुलाया है और उनके साथ चर्चा कर रहे हैं । हमने तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिये भरसक प्रयास किया है । मैंने प्राप्त तथ्यों के आधार पर बताया था कि आठ व्यक्ति मरे हैं । वही जानकारी मैं पुनः दे सकता हूँ जो कि हमें उपलब्ध है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उस डी० आई० जी० को जो अपराधी था, जानकारी देने को कहा गया था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उन्होंने जेल में हिंसा होने से संबंधित प्रश्न उठाया था । यह एक बड़ा प्रश्न है और इस पर कोई विचार व्यक्त करने से पहले उसके तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिये··· (**व्यवधान**) कुछ पुलिस के सिपाही भी मारे गये हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : राष्ट्रपति शासन के दौरान 200 लोग तथा 200 पुलिस के आदमी मारे गये हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमने पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की है, इस संबंध में हम जाँच······(**व्यवधान**) ।

श्री समर गुह : पिछले 8-9 महीने से यह बर्बरता चल रही है। 53 युवक मारे जा चुके हैं। क्या किसी संसदीय समिति को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : न्यायाधीश इस बारे में जाँच करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसे ही अन्य मामलों; जैसे कासीपुर, वेलाघाट, डायमण्ड-हार्बर आदि हत्याकाण्डों की जाँच के संबंध में क्या किया गया ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य यह कैसे कह सकते हैं कि न्यायाधीश इसकी जांच नहीं करेगा ?......(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार का शोर मचाने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम यहाँ मंत्री महोदय की बे-सिर-पैर की बातें सुनने के लिये नहीं आए हैं। मैं यहाँ पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ और मुझे अपना काम करना है फिर आप अथवा सभा मेरे बारे में कुछ भी सोचे, उसकी चिन्ता मैं नहीं करता। यदि हम कुछ कहें नहीं तो फिर हम यहाँ हैं किस लिए ? क्या केवल मंत्रियों की झूठी बातें ही सुनने के लिए ?...(**व्यवधान**) हम आपका आदर करते हैं, पर झूठ की भी कोई सीमा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। आप मंत्री महोदय का उत्तर सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, श्री देबनाग ने 26-11-71 को शवों की जाँच की थी। उन्होंने चोटों के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया है। हम सत्य का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसी कारण हमने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस जाँच के लिए नियुक्त किया है। इसके लिए कोई संसदीय समिति नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता, यह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : सभी सदस्यगण पश्चिम बंगाल की अलीपुर सेंट्रल जेल की स्थिति के कारण उत्तेजित हैं। सरकार ने इसके संबंध में बड़ा ही उचित कदम उठाया है और मैं उसकी सराहना करता हूँ।

पश्चिम बंगाल में जेल प्रशासन की स्थिति बड़ी ही खराब है। उप-महानिरीक्षक, जेल द्वारा जारी किये गये कुछ आदेशों को लागू करने में जेल अधिकारियों ने अपनी असमर्थता प्रकट की है। उप-महानिरीक्षक, जेल के आदेशों संबंधी नोट के जारी किये जाने से मालूम होता है कि जेल प्रशासन में अवश्य ही कुछ न कुछ खराबियाँ आ गई हैं। इसका कारण सम्भवतः यह है कि पिछले काफी समय से जेल अधिकारियों की कोई पदोन्नति नहीं की गई हैं, इसके अतिरिक्त बाहर से आई० ए० एस० अधिकारी सरकार ने हमारे ऊपर लाकर बैठा दिये हैं।

तीसरा कारण यह है कि वार्डरों का एक संघ बना हुआ है जो साम्यवादी-मार्क्सवादी

दल से संबंधित है। इस कारण उनमें और नक्सलवादियों में बराबर झड़पें होती रही हैं। कुछ मामलों में वार्डरों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। परन्तु कुछ मामलों में रिपोर्ट करने पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्री तपनराय जैसे लोग अभी भी मिदनापुर जेल में काम कर रहे हैं।

अत: मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वार्डर संघ किस दल से संबंधित है ? दूसरे, क्या यह तथ्य नहीं है कि उचित पदोन्नति न दिये जाने के कारण जेल अधिकारियों में बड़ा असंतोष है, और तीसरे, क्या जेलों में कैदियों और अपराधियों की संख्या वार्डरों की संख्या को देखते हुये बहुत अधिक है ? क्या पश्चिम बंगाल सरकार जेलों में सुधार करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहाँ तक जेलों में सुधार किये जाने का प्रश्न है, उस ओर सभी प्रगतिशील देशों के जेल अधिकारी प्रयत्नशील हैं, हम भी हैं। पर इसका इस विशेष दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है। इस विशेष घटना के बारे में अधिकारियों ने कार्रवाई की है और हम उसकी न्यायिक जाँच करा रहे हैं। जहाँ तक कुछ वार्डरों को निकालने अथवा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न है, मैं उस सबकी जाँच करूँगा। इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है······(व्यवधान)। आई० ए० एस० अधिकारियों की नियुक्ति के बजाय जेल अधिकारियों को पदोन्नति देकर नियुक्त करने का प्रश्न इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से एकदम अलग है।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : एक जेल में लाठी चार्ज से आठ आदमियों का मरना एक बड़ी दुखद दुर्घटना है तथा एक घण्टे तक लगातार लाठी चार्ज करते चले जाने से लगता है कि वहाँ सब कुछ बदले की भावना से किया गया है।

मंत्री महोदय और अमृत बाजार पत्रिका को दिये गये महानिरीक्षक, पुलिस द्वारा दिये गये बयान में बड़ा अन्तर है। ऐसा लगता है कि यह सब कहानी बाद में बनाई गई है। मंत्री महोदय का कहना है कि झगड़ा एक कैदी द्वारा दूसरे कैदी को कोई जानकारी देने पर शुरू हुआ, जबकि महानिरीक्षक पुलिस का कहना है कि झगड़ा एक अपराधी को पीटे जाने पर शुरू हुआ था। एक सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अपराधियों के संबंधियों को बहुत रात तक भी यह नहीं बताया गया कि क्या हुआ है और उनके संबंधियों की क्या दशा है।

मुझे खेद इस बात का है कि पीटे जाने के कारण आठ आदमियों की जानें गईं तथा अन्य कई घायल हुये परन्तु मंत्री महोदय ने एक बार भी अफसोस जाहिर नहीं किया। यह उन्हें एकदम शुरू में ही जाहिर करना चाहिए था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य ने **अमृत बाजार पत्रिका** का हवाला दिया है। मैंने उस समाचार को नहीं देखा है। मैंने तो वही सूचना दी है जो पश्चिम बंगाल सरकार से मुझे मिली है।

ध्यान दिलाने वाली सूचनायें
(प्रक्रिया)

CALL ATTENTION MOTIONS
(PROCEDURE)

अध्यक्ष महोदय : प्राय: प्रतिदिन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा 12 बजे से आगे तक चली जाती है और अन्य कार्य के लिए समय नहीं बचता है। इसलिए मैंने कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति का इस ओर ध्यान आकर्षित कराया है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : इस लाठी चार्ज के समाचार को सुनकर आपकी भी नींद उड़ जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आज की ही बात नहीं कह रहा, यह तो प्रतिदिन होता है······ **(व्यवधान)**।

नियम के अनुसार एक समय में एक सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। पर हम एक सदस्य तक सीमित न रह कर 2, 3, 4 सदस्य तक पहुँच जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य जिसका नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में है, एक प्रश्न पूछ सकता है। परन्तु यहाँ भाषण के साथ-साथ कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अत: मैं सभा का ध्यान प्रक्रिया के अनुसार चलने की ओर दिलाता हूँ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात पिघलाने के कारखाने की छत गिर जाने के संबंध में तकनीकी जाँच समिति का प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : मैं जुलाई, 1971 में राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात पिघलाने के कारखाने की छत गिर जाने के संबंध में तकनीकी जाँच समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखी गई। खिए संख्या एल० टी०—1171/71.**]

अधिवक्ता के रूप में प्रवेश (प्रशिक्षण और परीक्षा) (संशोधन) नियम, 1971

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49 क का उपधारा (5) के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में प्रवेश (प्रशिक्षण और परीक्षा) (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3598 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1172/72.**]

संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1970

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री के० आर० गणेश की ओर से सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूँ :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1970 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) विनियोग लेखे (सिविल), 1968-69 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—1173/71.**]

मैसूर सिंचाई (संशोधन) नियम, 1971

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैं मैसूर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, मैसूर सिंचाई अधिनियम, 1965 की धारा 71 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मैसूर सिंचाई (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 17 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 268 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० —1174/71.**]

सूती वस्त्र (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1971

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3807 में प्रकाशित हुआ था । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1175/71.**]

(2) उद्योग (विकास तथा विनयमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) महालक्ष्मी मिल्स कम्पनी लिमिटेड, ब्यावर, (राजस्थान), के प्रबंध के बारे में एस० ओ० 3251, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त, 1971 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स लिमिटेड, इन्दौर, के प्रबंध के बारे में एस० ओ० 3406, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1176/71.]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सभा को राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सूचना देनी है :

"राज्य सभा ने 22 नवम्बर, 1971 की अपनी बैठक में न्यायालय अवमान विधेयक, 1971 पास किया है।"

न्यायालय अवमान विधेयक, 1971

CONTEMPT OF COURTS BILL, 1971

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

As Passed By Rajya Sabha

सचिव : मैं, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में न्यायालय अवमान विधेयक, 1971 सभा-पटल पर रखता हूँ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री एम० बी० राणा (भड़ौंच) : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करूँगा :

(1) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (1970-71 तथा 1971-72) की बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

28 नवम्बर, 1971 को रेलगाड़ी संख्या 7 डाउन पुरी-हावड़ा एक्सप्रैस के पटरी से उतर जाने के संबंध में वक्तव्य

STATEMENT RE. DERAILMENT OF TRAIN NO. 7 DOWN PURI-HOWRAH EXPRESS ON 28-11-71

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : मैं 28 नवम्बर, 1971 को दक्षिण पूर्व रेलवे के रेतंग और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी संख्या 7 डाउन पुरी-हावड़ा एक्सप्रैस के पटरी से उतर जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के रेतंग और भुवनेश्वर स्टेशनों के बीच 7 डाउन पुरी-हावड़ा एक्सप्रैस गाड़ी के पटरी से उतर जाने के संबंध में वक्तव्य

28-11-1971 को लगभग 19·50 बजे 7 डाउन पुरी-हवड़ा एक्सप्रैस, जिसमें 17 बोगियाँ थीं और आगे को भाप-इंजन लगे थे, जब दक्षिण पूर्व रेलवे के खोरधा रोड मंडल के दोहरी लाइन वाले बड़ी लाइन के वाल्टेयर-हावड़ा खण्ड पर रेतंग और भुवनेश्वर स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो उसका अगला इंजन और दूसरी तथा तीसरी बोगियाँ पटरी से उतर गयीं। गाड़ी का दूसरा इंजन और पहली, चौथी और पाँचवीं बोगियाँ भी पटरी से उतर गयीं और किलोमीटर 44013 पर उलट गयीं, जिसके फलस्वरूप दोनों लाइनें अवरुद्ध हो गयीं।

दुर्घटना के परिणामस्वरूप 6 व्यक्ति, जिनमें तीन रेल कर्मचारी थे, गम्भीर रूप से घायल हो गये और 3 व्यक्तियों को, जिनमें दो रेल कर्मचारी थे, मामूली चोटें आयीं।

सूचना मिलते ही खोरधा रोड से डाक्टरों के साथ चिकित्सा यान तुरन्त घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। राज्य के सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस गाड़ियाँ भी, मँगा ली गयीं जो घटनास्थल पर 20·45 बजे पहुँच गयीं और उन्होंने घायलों को अस्पतालों में पहुँचाया। रेलवे और पुलिस अधिकारियों को लेकर सहायता गाड़ी खोरधा रोड से घटनास्थल के लिए 21·05 बजे रवाना हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक भी, विभागाध्यक्षों और रेल संरक्षा के अमर आयुक्त के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गये।

घायल व्यक्तियों के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त 2 दिसम्बर, 1971 को भुवनेश्वर में इस दुर्घटना की सांविधिक जाँच करेंगे।

सीमाओं पर स्थिति के बारे में

RE. SITUATION ON BORDERS

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। पिछले चार दिनों से भारतीय भूमि पर लड़ाई चल रही है। जब संसद का सत्र चल

रहा हो तो ऐसे अवसर पर रक्षा मंत्री को कोई वक्तव्य देना चाहिये। क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं कि सदन को सूचित रखा जाये ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आपको अनुमति लेकर बोलना चाहिये।

श्री समर गुह : सरकार को इस बारे में कोई वक्तव्य देना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में ?

श्री एस० एम० बनर्जी : इसी बारे में।

अध्यक्ष महोदय : वह अनुमति के बिना बोल रहे थे। अतः उस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : आप रक्षा मंत्री से वक्तव्य देने के बारे में कह सकते हैं।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : यह बहुत ही गंभीर मामला है। रक्षा मंत्री को अवश्य ही वक्तव्य देना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आदेश, आदेश !

श्री समर गुह : महोदय, मेरे अनुरोध का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार व्यवस्था करेंगे, तो मैं आपकी बात नही सुनुँगा।

श्री समर गुह : आपको मेरी बात सुननी होगी। †

अध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा। हर रोज सभा में इस प्रकार की बातें की जाती हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए सवा दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Quarter past Fourteen of the Clock.

---

† कार्यवाही वृतांत में नहीं लिखा गया।
Not recorded.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2·16 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Sixteen minutes past Fourteen of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

संविधान (पच्चीसवाँ संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (TWENTY-FIFTH AMENDMENT) BILL

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

वर्तमान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 में संशोधन किया जा रहा है और एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 31–ग जोड़ा जा रहा है । प्रस्तावित संशोधन के द्वारा 'प्रतिकर' शब्द के स्थान पर 'राशि' शब्द प्रतिस्थापित किया जा रहा है । प्रस्तावित संशोधन में यह भी उपबन्ध किया गया है कि किसी ऐसे कानून को, राशि की अपर्याप्तता अथवा राशि के नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में दिये जाने के आधार पर, किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी । यह राशि विधि द्वारा निश्चित की जा सकती है और इस प्रकार दी जा सकती है, जिसका विधि में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है ।

प्रस्तावित संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में दिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया था । उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अभिगृहीत की गई जायदाद के बदले में समुचित धनराशि दी जानी चाहिए । उच्चतम न्यायालय के इस मत से वे उद्देश्य सारहीन हो गये, जिनके लिए संसद ने सन् 1955 में चौथा संशोधन पारित किया था । चौथे संशोधन के द्वारा क्षतिपूर्ति की पर्याप्तता के प्रश्न को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया था, परन्तु उच्चतम न्यायालय ने अपना मत व्यक्त किया कि क्षतिपूर्ति का प्रश्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है । अतः इस वर्तमान विधेयक का उद्देश्य यथापूर्ण स्थिति को पुनः कायम करना और निःसंदेह यह स्पष्ट करना है कि सम्पत्ति के अर्जन के लिए उचित राशि का निर्धारण करना संसद का कार्य है । इस संबंध में अन्तिम निर्णय न्यायालय नहीं, संसद करेगी ।

यह स्पष्ट है कि न्यायालय को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि अधिक मुआवज़े के भुगतान के लिए बाध्य किया जा सके अन्यथा वह यह निर्देश दे कि सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा । देश के सारे सामाजिक-आर्थिक ढाँचे का पुनर्गठन किया जाना है और इस उद्देश्य के लिए प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण के रूप में राज्य का अधिक से अधिक हस्तक्षेप अपेक्षित होगा । अतः यदि मुआवज़े के रूप में बाजार

मूल्य देने के लिए बाध्य किया जाता है तो अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना असंभव हो जायेगा। मुकदमेबाजी होगी और सभी प्रकार के स्थगन आदेश दिये जायेंगे।

संविधान के चौथे संशोधन विधेयक पर विचार के दौरान पंडित नेहरू ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा था कि यदि हमें सामाजिक परिवर्तन लाने हैं, तो हमें 'पूरा मुआवज़ा' देने की बात को भूलना होगा क्योंकि न तो इतना अधिक मुआवज़ा सरकार द्वारा दिया जा सकता है और न ही इतना अधिक मुआवज़ा देना उचित भी है। मुआवज़े के प्रश्न पर बोलते हुये महात्मा गांधी ने पहले राउण्ड टेबल सम्मेलन में कहा था कि मुआवज़ा देना पीटर से लेकर पाल को देने के समान है और यह असंभव सा है।

न्यायाधीशों को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर नहीं देना चाहिए ताकि संसद ने देश की जनता के हित की जो बातें स्वीकार की हैं, उनके स्थान पर वह अपनी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा को न लायें। यह बात उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने, जो पहले राज्य सभा के सदस्य थे, स्वीकार की थी कि न्यायाधीशों की विचारधारा सामाजिक विचारधारा से दो तीन पीढ़ियाँ पीछे चलती है। इसी बात के कारण वर्तमान संशोधन के द्वारा मुआवज़े के निर्धारण की बात को न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जा रहा है। इसके द्वारा न्यायाधीशों के अधिकार कम नहीं किये जा रहे बल्कि न्यायालय और न्यायाधीशों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा रहा है। यदि न्यायाधीश राजनीतिक व आर्थिक चर्या में भाग लेने लगेंगे तो जनता अनिवार्य रूप से उनकी आलोचना करेगी। अतः उन्हें इस संकट से बचाने के लिए यह सब किया गया है।

वर्तमान विधेयक के आलोचक सम्पत्ति के अधिकार को परम पवित्र और आदिकालीन प्रकृति नियम के रूप में स्वीकार करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में इसी दृष्टिकोण को अपनाया। परन्तु इस प्रकार का दृष्टिकोण आधुनिक न्यायशास्त्र में न्यायिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। इसके साथ ही यह दृष्टिकोण भारत की प्राचीन और परम्परागत न्यायिक विचारधारा के साथ भी मेल नहीं खाता। निजी सम्पत्ति का अधिकार सार्वजनिक हित के सामने गौण है, और यही इस संशोधन का प्रमुख और विशेष आधार है, जिस पर हमें आज विचार करना है।

अब पुरःस्थापित किये गये अनुच्छेद 31—ग का संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थान है। इस अनुच्छेद के द्वारा पहली बार राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों को श्रेष्ठता तथा प्रधानता दी गई है। यद्यपि निर्देशात्मक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता तो भी इस प्रस्तावित संशोधन से निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना संभव हो सकेगा।

इस प्रस्तावित संशोधन से यह सिद्ध हो जाता है कि राज्य की नीति को लागू करने वाला कोई कानून जो अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) में है, इस आधार पर रद्द नहीं समझा जायेगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 30 के होते हुए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 अथवा अनुच्छेद 31 द्वारा दिये गये किसी अधिकार से मेल नहीं खाता। निर्देशक सिद्धांतों का कार्यान्वियन हमारे नव-निर्मित समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन निर्देशक

सिद्धांतों के कार्यान्वयन में जो बाधायें हैं, वे इस प्रस्तावित संशोधन से दूर हो जायेंगी। किसी विधान में की गई यह घोषणा कि संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) में निहित नीति को लागू करना इसका प्रयोजन है, न्यायालयों को इस बात की जाँच करने में असमर्थ कर देगी कि क्या ऐसा विधान वास्तव में ऐसी नीति को लागू कर सकता है।

विधि आयोग ने भी हाल ही में अपने प्रतिवेदन में इस वर्तमान संशोधन के आधार को स्वीकार किया है। प्रतिवेदन में स्वीकार किया गया है कि विधेयक के द्वारा देश के संवैधानिक इतिहास में नये युग का प्रारम्भ किया गया है। अनुच्छेद 31-ग की मूल भावना की सराहना करते हुए विधि आयोग ने दो सिफारिशें भी की हैं, जिनको स्वीकार करना कठिन है।

विधि आयोग चाहता है कि न्यायिक समीक्षा केवल अनुच्छेद 19 (1) (च) और (छ) तक ही सीमित रहनी चाहिये न कि सारे अनुच्छेद 19 के बारे में सीमित हो। लोकतंत्रात्मक ढाँचे के अन्तर्गत मूलभूत अधिकारों को कभी भी छीना नहीं जा सकता। अतः सरकार का यह विश्वास है कि जनसाधारण के इन मूलभूत अधिकारों की रक्षा होगी और एकाधिकारी तथा सम्पत्तिधारी वर्ग को देश में प्रश्रय नहीं दिया जायेगा। यही कारण है कि सरकार ने विधि आयोग के इस मत को स्वीकार नहीं किया और यही उचित समझा कि यह समूचे अनुच्छेद 19 पर लागू होना चाहिए।

विधि आयोग ने यह भी सिफारिश की कि अनुच्छेद 31 (ग) की घोषणा को, जिसे अंतिम निर्णायक और वाद-अयोग्य बनाया गया है, हटाया जाये। सरकार इस मत को स्वीकार नहीं करती क्योंकि इसके हटाने से तथाकथित लाभ की अपेक्षा अधिक खतरे उत्पन्न हो जायेंगे। सरकार का यह मत है कि किसी न्यायालय को इस बात का निर्णय करने को कहना कि क्या वास्तव में अमुक कानून के द्वारा अनुच्छेद 39 (ख) तथा (ग) में उल्लिखित निर्देशक तत्वों को लागू किया गया है अथवा नहीं, उस न्यायालय को अनावश्यक रूप से विवादग्रस्त क्षेत्र में घसीटना है। ऐसा करने से न्यायाधीश जनता के वाद-विवाद के निशाने बन जायेंगे और साथ ही उन्हें अपने राज-नीतिक विचारों को प्रतिपादित करने का अवसर मिलेगा। इन्हीं बातों के आधार पर सरकार ने विधि आयोग की इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया।

इस प्रस्तावित संशोधन को पारित करके यह सभा सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक और ऐतिहासिक कदम उठायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं अपना संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं अपना संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : सरकार ने तीन सरकारी संशोधनों की सूचना दी है। मेरा

सरकार से यह अनुरोध है कि चर्चा से पूर्व सभा को यह बताया जाये कि सरकार इन संशोधनों को प्रस्तुत करेगी अथवा नहीं। यदि इनको प्रस्तुत किया जाना है तो चर्चा में इनके संबंध में भी उल्लेख किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार से अनुरोध है, न कि अध्यक्ष से।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यह संशोधन राजनीतिक उद्देश्यों से पेश किया गया है। अतः मैं इसके राजनीतिक पहलू पर ही बोलूँगा। देश का संविधान पिछले 25 वर्षों से पूँजीपतियों और एकाधिकारियों का संरक्षण करता आ रहा है और अब 25 वर्षों के बाद सरकार को मुआवज़े के संबंध में अनुच्छेद 31 को संशोधित करने की आवश्यकता अनुभव हुई है। विधि मंत्री के अनुसार संशोधन का उद्देश्य पूर्व स्थिति को पुनः स्थापित करना और सामाजिक-आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन लाना है। इस संशोधन का उद्देश्य निर्धनों की दशा सुधारना भी बताया जाता है। यदि सरकार निर्धनों तथा धनियों के दृष्टिकोण से संविधान का विश्लेषण करना चाहती है, तो इसे इस संविधान के वास्तविक रूप पर गहराई से विचार करना होगा।

संविधान के अन्तर्गत पूँजीवाद बहुत फला-फूला है और जमीदारों तथा स्वार्थी लोगों और न्यायालयों को सरकार से सुरक्षा मिली है। प्रतीत होता है कि सरकार सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन नहीं करना चाहती, जो इस बात से स्पष्ट है कि संशोधन को लागू करके सरकार यथापूर्व स्थिति पुनः स्थापित करना चाहती है जिसका अर्थ होगा कि सरकार निहित स्वार्थों का सुरक्षण करना चाहती है। यदि सरकार कोई परिवर्तन करना चाहती है, तो समूचे संविधान को पूर्णतः बदल दिया जाना चाहिये।

समाजवाद में मौलिक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि व्यक्तियों के हाथों से उत्पादन के साधन लिये जायें और राष्ट्रीयकरण द्वारा समाज के नियंत्रण में रखे जायें तथा इन्हें समूचे समाज की सम्पत्ति बनाया जाये। 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुआवज़े के बारे में उच्चतम न्यायालय के कारण इसमें अनुच्छेद 31 सबसे बड़ी बाधा है किन्तु अब यह संशोधन लाया जा रहा है, तो मुआवज़े के भुगतान के लिये उपबन्ध नहीं बनाया जाना चाहिये अथवा कम से कम मुआवज़ा बाज़ार मूल्य के समान नहीं होना चाहिये। आधारभूत स्थिति यह है कि इस अनुच्छेद को पूर्णतः समाप्त किया जाये और विदेशी या देशी पूँजीपतियों को कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार बड़े-बड़े भूस्वामियों से बिना कोई मुआवज़ा दिये उनकी सारी भूमि को लिया जाना चाहिये, जिसे भूमिहीन और गरीब किसानों के बीच बाँटा जाना चाहिये।

नये संशोधन से यह संकेत मिलता है कि बड़े-बड़े व्यापारियों के दबाव के कारण सरकार अपने उन संशोधनों से फिर गई है, जो उसने गत जुलाई में पेश किये थे। यही कारण है कि हम मौलिक संशोधनों का समर्थन करने के लिये तैयार होते हुए भी इन संशोधनों के नये संशोधन का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं।

अल्पसंख्यकों के नाम पर सरकार शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भारी लाभ कमाने की प्रणाली को बनाये रखना चाहती है। उदाहरण के लिये केरल को लीजिये जहाँ समूचे कैथोलिक गिरजाघर

बड़े व्यापार के साधन के रूप में शैक्षणिक पद्धति में परिवर्तित हो गये हैं। हम इस नये संशोधन से इस प्रकार के निहित स्वार्थों को बचाना चाहते हैं।

सभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत तथा सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत का उपबन्ध लाने का जो प्रस्ताव किया जा रहा है वह निहित स्वार्थों के दबाव में आकर किया जा रहा है।

अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत समस्त अधिकारों को छीनने का भी हम विरोध करते हैं। विधि आयोग की रिपोर्ट में इस संबंध में आशंका तथा चिंता इस लिये व्यक्त की गई है क्योंकि इसमें नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता, एकत्र होने तथा अन्य अधिकार दिये गये हैं।

सामाजिक ढाँचे में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिये यह संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम है, यह कहना ठीक नहीं है। इसका प्रभाव बड़े पूँजीपतियों पर भी पड़ेगा, इसलिये हम इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : पिछले 20 वर्षों से हमने संविधान में कई संशोधन किये हैं परन्तु कभी भी उन मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं किया, जो हमारे संविधान के आधारभूत स्तम्भ हैं। संसद ने अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए हमेशा मूलभूत अधिकारों तथा निदेशक तत्वों को सर्वोपरि माना है। परन्तु जब से ये मूलभूत अधिकार निहित स्वार्थों के हाथ में गये, तो निदेशक तत्वों तथा मूलभूत अधिकारों के बीच संघर्ष पैदा होना शुरू हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि एक समय आयेगा जब निदेशक तत्वों को पद-दलित तथा शोषित व्यक्तियों के उत्थान का द्योतक समझा जाने लगेगा।

25 वाँ संशोधन एक नया दृष्टिकोण अपनाये जाने का परिचायक है। हमने 'पहली बार स्वीकार किया है कि निदेशक तत्व नहीं, बल्कि मूलभूत अधिकार सर्वोपरि हैं। विधि मंत्री ने ठीक ही कहा है कि आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। इस विधेयक को क्रांतिकारी विधेयक कहा जा सकता है।

लेकिन साथ-साथ इसमें कुछ सन्देह है कि यदि इस विधेयक को वर्तमान रूप में पारित किया जाये तो यह उन उद्देश्यों को पूरा कर सकेगा, जिनके लिये यह लाया गया है। यह विधेयक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का परिणाम है। यह हमारी गलती है कि केवल "प्रतिकार" शब्द को बदल कर "राशि" शब्द लिख दिया है। इस प्रक्रिया से यह बात बनी रहती है कि हम सम्पत्ति के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं जो कि पहले ही की तरह अब भी है। जब तक सरकार स्वामित्व के अधिकार का इस्तैमाल करती है, उस समय तक उसे व्यक्ति के नुकसान को पूरा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस बात को स्वीकार करना होगा कि यथापूर्व स्थिति बनी रहेगी। अतः इस बात में संदेह है कि यह विधेयक अपने वर्तमान रूप में उन उद्देश्यों को पूरा कर सकेगा जो कि उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में दिये गये हैं। हमें विधेयक के उपबन्धों को स्पष्ट करना चाहिये।

नये खण्ड 2 ख के बारे में भी संदेह है। इस खंड को प्रतिस्थापित करना कूपर मामले में

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण अनिवार्य हो गया है। अपने आपको खंड 19 (च) तक ही सीमित रखकर हम यह भूल गये हैं कि सम्पत्ति के बारे में (छ:) उपखंड भी हैं जिसे लाना भी आवश्यक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की गारंटी दी गई हैं। यह संभव है कि हमारे लिये अनुच्छेद 14 को संतुष्ट किये बिना अनुच्छेद 31 के अधीन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना संभव न हो।

खंड 3 एक क्रांतिकारी धारणा पर आधारित है। इसके द्वारा मूलभूत अधिकारों पर निदेशक तत्वों की सर्वोपरिता स्थापित की गई है। परन्तु अब समय आ गया है जबकि न्यायालयों को निदेशक तत्वों को पारिभाषित करना होगा।

जिन दो निदेशक तत्वों से हम यह विधान बना रहे हैं उसका अपना क्षेत्र बहुत ही सीमित है। इस पर विचार किया जा सकता है ताकि हम कुछ उपबन्ध बना सकें जिससे इन दोनों निदेशक तत्वों के अति संकुचित क्षेत्र के कारण हम संकट में न पड़ें। इस खंड में अनुच्छेद 14, 19 और 31 के साथ अनुच्छेद 26 भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। धार्मिक तथा वर्गीय संस्थाओं की सम्पत्ति को अर्जित करने के लिये हमें अनुच्छेद 26 को भी लाना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इन संशोधनों में क्रांति जैसी कोई बात नहीं है। 1969 में उच्चतम न्यायालय ने मुआवज़े के प्रश्न पर एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया था और बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय के अन्य पीठ ने एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और इसीलिए सरकार को एक नये संशोधन की आवश्यकता अनुभव हुई, जो 25 वें संशोधन के रूप में सामने आयी है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैं समझता हूँ कि यह संशोधन राजनैतिक भावनाओं से प्रेरित नहीं। मैं श्री मुखर्जी की इस बात से सहमत हूँ कि इस संविधान में क्रान्तिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है। लेकिन क्या ये परिवर्तन केवल इसी चैम्बर में लाये जा सकते हैं, मैं यह नहीं जानता। यहाँ पेश हो रहे 24 वें और 25 वें संशोधन के लिये भी किसी और स्थान पर की गई कार्यवाही ही जिम्मेदार है।

यह मुख्यतः एक राजनीतिक प्रश्न है कि इस समय हमारा देश जिस चरण पर पहुँच चुका है, उसमें सम्पत्ति अधिकारों अथवा सार्वजनिक कल्याण—किसको प्रमुखता दी जानी चाहिए। इसका समाजवाद के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। वे निर्देशक सिद्धान्त, यद्यपि बहुत ही अस्पष्ट हैं, तो भी उन्हें अभी तक कानूनी कार्यवाही में लागू नहीं किया गया है। इतने वर्षों तक सरकार को निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार कानून बनाने से रोके रखा ? यदि आपने इसे पहले किया होता तो जनता ने इसका और भी अधिक स्वागत किया होता। स्पष्टतः देश में परिवर्तन हुए हैं जिसने सरकार को मजबूर कर दिया।

इस विधेयक के विरोधी यह कह रहे हैं कि यदि एक बार विधेयक पारित हो जाता है,

तो कोई भी सुरक्षा नहीं रहेगी और छोटी-छोटी सम्पत्ति के मालिकों की सम्पत्ति का भी हरण किया जायेगा। यह सब कुछ सच नहीं है, बल्कि केवल अनर्थक बात हैं। हम उस सम्पत्ति के बारे में विचार कर रहे हैं, जो केवल कुछ लोगों के हाथों में पहुँच गई है। इस आर्थिक संकेन्द्रण के फलस्वरूप बड़ी बड़ी सम्पत्तियाँ बनीं, औद्योगिक एकाधिकार स्थापित हुए और बड़े नरेश और जमींदार बने। यह वही बात है, जो अब बाधा डाल रही है और हमें केवल उसी की चिन्ता है और हमें अन्य सम्पत्ति की चिन्ता नहीं है।

यदि इस विधेयक के संशोधनों को, जो अब सभा पटल पर रखे गये और परिचालित किये गये हैं, पेश करने का प्रयत्न किया जाता है, तो मेरा दल उसका विरोधी है, क्योंकि इस संशोधन से मूल विधेयक के ढाँचे-मात्र और अभिप्राय को पूरी तरह क्षति पहुँचेगी।

कौन सा दूसरा ऐसा विचार है, जिसने सरकार को जुलाई और अब के बीच इन संशोधनों को लाने का प्रयत्न किया। संभवत: यह इस कारण हुआ कि जुलाई के अन्त में सरकार को सभी विदेशी अधिकार के बागान को ले लेने के लिए उपलब्ध करने के निमित्त केरल सरकार से एक अध्यादेश का मसौदा प्राप्त हुआ। क्या इससे राज्य विधान मण्डल में दो तिहाई बहुमत की धारणा शीघ्रता से आयी है? इस संशोधन द्वारा सरकार बागानों के विदेशी मालिकों के हाथों में वीटो की शक्ति दे रही है।

दूसरे संशोधन में 'पर्याप्त रूप में' रखने के लिए मैं कोई तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता, चाहे सरकार इसकी चेष्टा करने का कितना ही प्रयास क्यों न करे। इससे न्यायाधीशों को कोई न कोई दोष तो दिखाई पड़ ही जायेगा और वे इसमें हस्तक्षेप करने लगेंगे। वे यह निर्णय लेने लगेंगे कि सम्पत्ति का संकेन्द्रण किस सीमा तक कम किया जाय अथवा न किया जाय और यदि किया जाये, तो किस सीमा तक।

इससे राजनैतिक निर्णय देने के लिए इस क्षेत्र में न्यायपालिका को पुन: प्रवेश की केवल अनुमति ही मिलेगी। अत: मेरा दल इसका समर्थन नहीं कर सकता।

जहाँ तक विशेष बहुमत $\frac{2}{3}$ का संबंध है, सरकार ऐसे विधेयक को जिसे भविष्य में राज्य विधान मण्डल अथवा संसद के समक्ष सम्पत्ति के अर्जन के लिए लाया जायेगा, उसे सविधान संशोधन का दर्जा देना चाहती है। यदि सरकार ने इस संशोधन के लिए आग्रह किया तो मेरा दल इसका अन्त तक विरोध करेगा। हो सकता है कि सरकार के लिये संवैधानिक तौर पर यह वैध हो किन्तु ऐसा करना क्या संघीय प्रणाली में उपयुक्त होगा? क्या संवैधानिक औचित्य का यही अभिप्राय है?

अनुच्छेद 26 और 30 के अंतर्गत दिये गये संशोधनों की, जहाँ तक संभव हो, रक्षा की जानी चाहिए। किन्तु संशोधन में कहा गया है—"किसी शैक्षणिक संस्था की कोई सम्पत्ति···" हो सकता है कि इस सम्पत्ति का प्रयोग उस संस्था के शिक्षा प्रयोजन के लिए न किया जाता हो। इससे एक त्रुटि सामने आयेगी जिससे बड़ी बड़ी सम्पत्ति वाले किसी न किसी बहाने से अपनी सम्पत्ति को किसी शैक्षणिक अथवा धर्मार्थ न्यास के नाम में स्थानान्तरण कर सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं।

किसी भी सम्पत्ति के बारे में, यह उपबंध ऐसा है जोकि वास्तव में अल्पसंख्यकों के हितों से भी संबंधित हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अध्यक्ष के इस निर्णय की सूचना देनी है कि सभा आज 7 बजे तक बैठेगी।

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi) : I congratulate the Prime Minister and the Law Minister for bringing forth the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill.

We are committed to a revolution but to a revolution through consent, through law and through Parliament. This Bill is a radical measure which furthers our march towards revolution by consent.

Regarding compensation the Supreme Court said that it should be equivalent to market value. Our endeavour is that this Parliament shall be the Judge to determine the amount of compensation. If we want to do away with the concentration of wealth in the possession of certain few persons, we ought to give that power to Parliament.

The Supreme Court had earlier decided that the Fundamental Rights can be amended by the Parliament. Later it changed its earlier decisions with 6 : 5 majority.

Now the Parliament has brought legislation conferring this right to amend the Fundamental Rights to Parliament. I feel that Preamble and Directive Principles of State Policy are the soul of the Constitution. Today we give more importance to community and state than to the individual liberty.

People have given us verdict to amend the Constitution. The people desire a ceiling on incomes and properties. The present amendment authorises us to make laws in this regard. There is no fear for the subversion of our Constitution in this process.

The second proviso to Article 31(A) provides that the agricultural property within the ceiling, if acquired, would be subject to compensation as per market value.

Similar provision is proposed to be made in respect of urban property to a fixed ceiling.

It is said, the jurisdiction of the Supreme Court is being reduced. I feel that this is a step towards right direction. The elected representatives in Parliament represent the people at large. I request the Prime Minister to examine the Judicial system. Justice is delayed and it is made more difficult. If the powers of the Supreme Court are to be curbed for that purpose, it should be done.

Legislatures shall be governed by the Directive Principles in the framing of laws. There were dircctions to the lagislatures to keep them in view before framing the laws.

As to the amendmends proposed in the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill, I am totally opposed to them as by these amendments the very purpose of the Bill will be defeated.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मैं विधि मंत्री द्वारा रखे गये संशोधन संख्या 11 से संतुष्ट हूँ। इसके अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की अधिगृहीत सम्पत्ति का

मुआवज़ा बाजार भाव से करने की व्यवस्था है। मेरा लगभग 600 शिक्षा संस्थाओं से पिछले 30 वर्ष से संबंध रहा है। अत: मुझे शिक्षा संस्थाओं की ओर से बोलने का अधिकार है।

संशोधन संख्या 11 में मेरा यह संशोधन है कि 'राशि' के बाद 'नक़द' जोड़ा जाये। मैं विधि मंत्री से इसे स्वीकार करने के लिए कहूँगा।

मैं पहले भी अनेक बार यह प्रश्न कर चुका हूँ और अब फिर यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या प्रस्तावित अनुच्छेद 31 ग को देखते हुए अनुच्छेद 26 और 30 में दिये गये मूल अधिकार बच सकेंगे ? माननीय मंत्री ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया था। मैं उनसे इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

मैंने एक संशोधन दिया है कि अनुच्छेद 31 ग के अन्तर्गत ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाना चाहिए जिनसे अनुच्छेद 26, 29 और 30 का उल्लंघन होता हो।

इस विधेयक तथा विशेषकर उपबंध 31 ग से संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन हो जाता है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि निदेशक सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका ध्येय सरकार को एक लक्ष्य की ओर खींचना है। परन्तु अब तक निदेशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों के अनुकूल ही क्रियान्वित किया जाता था। मूल अधिकारों का उल्लंघन करके निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित नहीं किया जाता था। परन्तु अब संविधान के ढाँचे को ही बदला जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बात को स्वीकार करे। परन्तु अब आपने निदेशक सिद्धान्तों को ही मूल अधिकार बना दिया है। यदि सरकार यह समझती है कि ऐसा करना उनकी नई प्रगतिशील नीति के अनुकूल है, तो सरकार को खुले शब्दों में इस बात को स्वीकार करना चाहिए। निदेशक सिद्धान्तों के नाम पर संविधान के मूल ढाँचे को ही बदला जा रहा है। अनिवार्य शिक्षा के निदेशक सिद्धान्त को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। समान सिविल संहिता बनाने के बारे में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। समान सिविल संहिता बनाने में सरकार की क्या अड़चन है ? सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी क्योंकि उसको अपने मतों का लालच है।

सरकार अनुच्छेद (ख) को सर्वोत्तम मूल अधिकार बना रही है। इस प्रकार इस अनुच्छेद के अन्तर्गत सरकार अब कुछ भी कर सकती है। साम्यवादी (मार्क्सवादी) तथा अन्य कुछ दलों द्वारा इसका समर्थन किये जाने की बात मैं समझ सकता हूँ। प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि न्यायालय इसकी विवेचना किस प्रकार करेंगे। ऐसा लगता है कि सरकार इन लोगों के साथ मिल गई है जो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। केरल में साम्यवादी इस बात को तुरन्त स्वीकार करेंगे। वे एक करोड़ रुपये के लिए एक रुपया मुआवज़ा देंगे। यह सभी बातें न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगी। ऐसा लगता है कि सरकार किसी के माल को जब्त करने को कानूनी रूप दे रही है। यदि श्री इन्द्रजीत गुप्त का दल ऐसा करता, तो बात समझ में आ सकती थी परन्तु श्री जवाहरलाल नेहरू का दल ऐसा कर रहा है। यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। इस प्रकार सरकार ईमानदार लोगों के काम करने के प्रोत्साहन को समाप्त

कर रही है। पहले ही हमने देखा है कि औद्योगिक प्रगति की गति में कमी हुई है। कोई बेवकूफ व्यक्ति ही अब पूँजी निवेश करेगा तथा मेहनत से धन जमा करेगा। हमने अपनी अदूरदर्शी नीतियों के कारण इस देश को तस्करों का घर बना दिया है। अब इसको चोर बाजार करने वालों का घर बनाया जा रहा है। विशेष सम्पत्ति के नाम पर सरकार समूचे मूल अधिकारों को ही समाप्त करने जा रही है। शायद इस कारण सरकार ने अनुच्छेद 30 (ग) रखा है। लोगों की सभी प्रकार की स्वतन्त्रता को समाप्त किया जा रहा है। लोग अब अनुच्छेद 14 का आश्रय भी नहीं ले सकेंगे। सरकार यह उपहार लोगों को दे रही है। अनुच्छेद 31 (ग) में जो शब्द 'एडीक्वेट' को प्रयोग किया गया है उससे ऐसा लगता है कि सरकार धोखा-धड़ी के विधान को कानूनी रूप दे रही है।

जब आज विधेयक को यहाँ पर लाया गया था तो मैंने इसका विरोध किया था और कहा था कि आप गलती करने जा रहे हैं। अब लोग महसूस करते होंगे कि मैंने जो कहा था वह ठीक ही सिद्ध हो रहा है।

अब सरकार एक ही बात से मूल अधिकारों को भी समाप्त कर रही है तथा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी प्रभावित कर रही है।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : यह विधेयक सभा के लिए एक चुनौती है। सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन लाने, गरीबी को दूर करने संबंधी ऐसा निर्णय पहले कभी नहीं लिया गया।

प्रत्येक पीढ़ी को इस बात का निर्णय करने का अधिकार है कि वह किस प्रकार के मूल अधिकार चाहती है। कोई भी पीढ़ी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसने जो अधिकार बना दिये हैं वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त होंगे।

विधेयक का एक लक्ष्य लोगों की आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह विधेयक लक्ष्य प्राप्ति की ओर एक बड़ा कदम है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें अन्य अनेक विधेयक लाने पड़ेंगे। यह कहा गया है कि इस विधेयक से संविधान का पूरा ढाँचा ही बदल जायेगा। ऐसा लगता है कि मेरे माननीय मित्र ने संविधान के अन्य उपबंधों को नहीं पढ़ा है। सभी जमींदारियों को बाजार भाव से मुआवज़ा दिये बिना खत्म किया गया है। भूमि पर अधिकतम सीमा भी बिना मुआवज़ा दिये निर्धारित की गई थी। पिछले दस वर्षों के रिकार्ड से पता लगता है कि विरोधी शक्तियों को खत्म करने के लिए ऐसी शक्तियों का कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। लोगों को इस बात का विश्वास है कि वर्तमान विधेयक से प्राप्त होने वाली शक्तियों को भी विरोधियों की सम्पत्ति आदि समाप्त करने के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा। यदि सरकार कोई गलत कानून पास करेगी तो लोग सरकार को ही समाप्त कर देंगे।

कुछ लोगों ने कहा है कि न्यायपालिका को इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिए कि मुआवज़ा पर्याप्त है अथवा नहीं और कि निदेशक सिद्धान्तों का पालन किया गया है अथवा नहीं। मेरे विचार में परिवर्तित समय में न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता।

यह मामला जनता तथा उनके प्रतिनिधियों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि लोगों के प्रतिनिधि अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रहते हैं तो लोग उनको उनके पद से हटा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह निर्णय किया गया है कि सभा की बैठक छः बजकर तीस मिनट तक होगी।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं यह समझता था कि स्वतंत्र पार्टी के बाहर भी अनेक ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं परन्तु अब मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि केवल स्वतंत्र पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक है। जब भारत के राष्ट्रपति इस संशोधन पर अपनी मुहर लगा देंगे, तो भारत एक अल्पतंत्र देश बन जायेगा।

सरकार गत 25 वर्षों में निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार नीति बनाने में असफल रही है। इस संशोधन के पास होने के पश्चात भी सरकार ऐसा करने में असफल रही है। सरकार पुलिस राज्य बनाने के लिए मनमानी शक्तियाँ प्राप्त कर रही है।

क्या माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र से आम जनता को लाभ हुआ है ? क्या माननीय मंत्री यह भी बतायेंगे कि उनकी आर्थिक नीति से कुछ हाथों में धन जमा नहीं हुआ ? सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किये जाते हैं अतः सरकार बड़े-बड़े व्यापार गृहों पर नियंत्रण रख सकती थी। क्या सरकार ने धनकर, उपहार-कर तथा सम्पदा-शुल्क पर 97 प्रतिशत का अधिभार नहीं लगाया है। सरकार जिन कानूनों को भली-भाँति लागू कर सकती थी, वे भी ठीक से लागू नहीं किये गये। समवाय विधि ठीक से लागू क्यों नहीं की जा सकी। लाइसेंस देने और ऋण संबंधी नियंत्रण भी ठीक से लागू नहीं हो पाया। परिणामतः चोर-बाजारी करने वालों, तस्करों और अवैध व्यापार करने वालों के गिरोह बन गये। ये लोग पनपते जा रहे हैं क्योंकि ये लोग इस सरकार का समर्थन करते हैं।

जहाँ तक संविधान का संबंध है, इसमें कौनसा अनुच्छेद ऐसा है, जो सरकार को कार्य करने से रोकता है। संविधान के अन्तर्गत सरकार ने भूमि संबंधी सुधार किये अर्थात् जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित की, काश्तकारों को भूमिधर बनाया, चकबंदी कराई आदि। इसी प्रकार 'बिचौलियों' को समाप्त किया गया। अतः सरकार जनहित के लिए जो करना चाहती है, वह इस संविधान के अंतर्गत भी कर सकती है।

जहाँ तक समाजवाद का संबंध है, जिस ढंग से वर्तमान सरकार समाजवाद लाना चाहती है, वह उपयुक्त नहीं है और इस प्रकार समाजवाद लाया भी नहीं जा सकता। मंत्री महोदय समाजवाद लाने का दावा भरते हैं जबकि स्वयं वह एक बड़े बंगले में रहते हैं जिसके चारों ओर एक बड़ा बगीचा है।

मंत्रिमंडलीय स्तर के प्रत्येक केन्द्रीय मंत्री को वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं के रूप में प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये की राशि प्राप्त होती है। ऐसा मंत्री क्या समाजवाद लायेगा ? ऐसे मंत्री जब यह कहते हैं कि अब धनी और निर्धन लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है, तो उनके कथन से सत्यता का आभास नहीं होता।

अपने संशोधनकारी विधेयक में विधि मंत्री स्वयं ही कुछ संशोधन करना चाहते हैं। इनका आधार उन्होंने नैतिकता को बनाया है। इस विधेयक से ऐसा लगता है कि सरकार अपनी सत्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण सहन करने को तैयार नहीं है। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में पूर्ण सत्ता नहीं रहती; राष्ट्र का भाग्य-विधाता कोई एक व्यक्ति या महिला नहीं हो सकती। किन्तु वर्तमान सरकार इस सिद्धांत के विरुद्ध कार्य कर रही है। वह भारत में लोकतंत्र को दफनाना चाहती है। यदि लोकतंत्र की हत्या हो गई तो हमारी स्वतंत्रता और समानता की भी हत्या हो जायेगी। स्वतंत्रता का वह वातावरण जिसमें हम पिछले 20 वर्षों से साँस ले रहे हैं समाप्त हो जायेगा। मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री शंकरराव सावन्त (कोलाबा) : मैं संविधान के 25 वें संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से उत्पन्न स्थिति में ऐसा संशोधन लाना आवश्यक हो गया है। उक्त निर्णय में कहा गया था कि 1969 के अधिनियम 22 में 'मुआवज़ा' शब्द ऐसा है जो संविधान के अनुच्छेद 31 (2) के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उसमें उल्लिखित 'मुआवज़े' से तात्पर्य 'उचित मुआवज़े' से है जिसका अर्थ बाजार मूल्य होता है। साथ ही निर्णय में यह भी कहा गया था कि मुआवज़ा देने का तरीका भी तर्कसंगत होना चाहिए। कानून की उक्त निर्णय में बनाई गई कमी को दूर करने के उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

यदि पूर्ण मुआवज़ा दिया जाता है, तो सम्पत्ति के एकत्रीकरण की बुराई चलती रहेगी। सम्पत्ति के वितरण संबंधी दोष को दूर करने के लिए यह एक प्रयास है। साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस विधेयक के संबंध में मंत्री महोदय स्वयं जो संशोधन करना चाहते हैं, वे निरर्थक हैं। उनसे तो विधेयक की भावना और उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। समाजवाद लाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया। किन्तु अल्पसंख्यकों की शिक्षा-संस्थाओं को बाजार-मूल्य के हिसाब से मुआवज़ा देने के बारे में जो प्रस्तावित संशोधन है, वह ठीक नहीं है। प्रश्न उठता है कि जिस समाजवाद का नारा बुलन्द किया जा रहा है, क्या वह सबके लिए नहीं है; क्या वह अल्पसंख्यकों के लिए न होकर केवल बहुसंख्यकों के लिए है ? अत: अल्पसंख्यकों का इस प्रकार से पक्ष लिया जाना अनुचित है। दूसरी बात यह है कि 'अल्पसंख्यक' की परिभाषा इतनी अस्पष्ट है कि उसके आधार पर जम्मू तथा कश्मीर राज्य में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं, जबकि अन्य स्थानों पर वे बहुसंख्यक हैं। इसी प्रकार नागालैंड में ईसाई बहुसंख्यक हैं जबकि अन्य स्थानों पर वे अल्पसंख्यक हैं। अत: मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह अपना उपर्युक्त संशोधन वापस ले लें और विधेयक को मूल रूप में ही रहने दें।

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : मैं इस संशोधनकारी विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि यह उस यात्रा की दिशा में एक कदम है जो देश के करोड़ों लोगों के कष्टों और दु:खों को हरने के लिए हमें पूरी करनी है। हमारे अनेक राजनैतिक नेता देश के निर्धन, सर्वहारा तथा पददलित वर्ग के प्रति मौखिक सहानुभूति प्रकट करते रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में ग्रन्थ पर ग्रन्थ लिख मारे हैं। किन्तु इससे पददलित वर्ग को क्या प्राप्त हुआ ? क्या इतना करने से उन्हें 'मौलिक अधिकार' मिल गये ? मौलिक अधिकारों का मिलना और न मिलना इन लोगों के लिए एकसा है, क्योंकि

उन्हें यह तक पता नहीं है कि 'मौलिक अधिकार' होता क्या है। देश में केवल 9 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और जो मौलिक अधिकारों का मतलब समझते हैं। राजनैतिक नेताओं ने मौलिक अधिकारों की वकालत करके जो भी किया है, वह इन 9 प्रतिशत के लिए किया है। उन्होंने यह प्रयास नहीं किया कि ये अधिकार शेष 91 प्रतिशत लोगों को भी प्राप्त हो जायें।

हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने इस ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयास तो किया है। आज देश में सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्यकता है और ऐसा विकास ऐसे संशोधनों के द्वारा ही किया जा सकता है। हम क्यों सोचते हैं कि मौलिक अधिकार केवल 9 प्रतिशत लोगों के लिए हैं। इसके विपरीत हमें इस बात पर विचार करना है कि वे 91 प्रतिशत लोगों के लिए क्यों नहीं हैं। इस संदर्भ में इस संशोधन-विधेयक को लाने की अनिवार्यता समझी जा सकती है।

गोलकनाथ का मामला क्या था ? वह तो व्याख्या की बात थी। यदि वकील और न्यायाधीश यह समझ लें कि विधान विशेष बनाते समय विधायकों की मंशा क्या थी, तो ऐसी समस्या ही सामने न आये। प्रस्तुत विधेयक लाकर विधायकों की मंशा को ही स्पष्ट किया गया है। मेरे विचार से विधायकों को देश के धनी और निर्धन दोनों वर्गों के लोगों की दशा देखकर कानून बनाने का अधिकार है। अब हमें उनकी समस्या हल करनी है जिनका पेट खाली रहता है। उन्हें रोटी देनी है। जिनका पेट भरा है, हमें उनकी चिन्ता नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय को केवल संविधान और कानून का निर्वाचन करने का अधिकार है और वह उससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। उसने विवादास्पद मामलों पर निर्णय देना आरम्भ कर दिया है।

गोलकनाथ मामले में दो एजेंसियों के सम्मुख दो महत्वपूर्ण समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं : एक है विधानमंडल और दूसरा राष्ट्र। अत: व्यावहारिक रूप में राष्ट्र ने एक विशेष दृष्टिकोण ग्रहण किया और यह घोषणा की कि हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा इस संसद को यह अधिकार दे रहे हैं कि इस बारे में संशोधन लाया जाये। हमने इस मामले में स्वीकृति ली और राष्ट्र का समर्थन प्राप्त किया।

राष्ट्र ने यह कहा कि यह सभा संशोधन को प्रख्यापित करे और ऐसा करने के लिए वह स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति इस बारे में आपत्ति नहीं उठा सकता।

एक पक्ष चाहता है कि समस्त संविधान को समाप्त कर दिया जाये या उसमें से 'मुआवज़ा' शब्द को निकाल दिया जाये अथवा उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन करने की अनुमति न हो। दूसरा पक्ष चाहता है कि संविधान में कोई परिवर्तन न किया जाये। हम लोकतांत्रिक समाजवादी हैं। हम लोकतंत्रीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम लोकतंत्रीय पथ पर चल रहे हैं तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी नीति और कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक ढंग से कार्यान्वित किया जाये और न तो जटिल या अतिवादी ढंग से कार्यान्वित किया जाये और न ही रक्तपात और क्रांतिकारी ढंग से ही। हमने इस बारे में देश का विश्वास प्राप्त कर लिया है।

गोलकनाथ मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मूल अधिकारों में तीन संशोधन किये गये हैं। सर्वप्रथम यह कि इससे संसद को संशोधन का अधिकार प्राप्त हो गया है। दूसरे, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार की सम्पत्ति ली जानी चाहिए और उस पर क्या मुआवज़ा देना चाहिए।

संसद् पर न्यायपालिका हावी नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि कर्मचारी काम करें और धन अर्जित करें और अपना जीवन-यापन करें। हमें इस बात की खुशी है कि इस संशोधन को सभा में विचार के लिए रखा गया है।

यह देश की प्रगति और विकास के लिए और अपनी नीति और कार्यक्रमों के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

श्री विश्व नारायण शास्त्री (लखीमपुर) : मैं संविधान (25वाँ संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूँ। संविधान का संशोधन करने के लिए अब तक जितने विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं उनमें 25वाँ संशोधन विधेयक सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व किये गये संशोधन बहुत मामूली थे और इस संशोधन का उद्देश्य संसद् तथा राज्य विधान मंडलों को विस्तृत अधिकार देना है।

प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से सम्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे। इस बारे में कुछ विवादास्पद बातें हैं। व्यावहारिक रूप से यह निदेशक सिद्धांतों और मूलभूत अधिकारों का मामला है। मूलभूत अधिकार स्थायी हैं और निदेशक सिद्धांत गतिशील हैं और ये सरकार को किसी निश्चित दिशा में बढ़ने की तथा विचारों को क्रियान्वित करने का निर्देश देते हैं।

अतः यदि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वियन में मूलभूत अधिकार बाधक बनते हैं तो जनता के लाभ के लिए इन मूलभूत अधिकारों में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए।

यह कहा गया है कि इस विधेयक में संशोधन करने से भारतीय समाज में परिवर्तन आ जायेगा। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मैं यह अधिकृत रूप से कह सकता हूँ कि प्राचीन काल में नरेशों को भूमि के सिवाय अन्य सब चीजें उपहार में देने का अधिकार था क्योंकि भूमि सबकी सम्पत्ति मानी जाती रही है।

यदि अतिरिक्त सम्पत्ति को लोगों में वितरित करने के लिए दिया जाने वाला मुआवज़ा बाजार मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है तो मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। इसी प्रकार यदि निजी थैलियों के बदले में नरेशों को मुआवज़ा दिया जाता है तो उन्हें अपनी सम्पत्ति के बदले में उतनी ही धनराशि मिल जायेगी और उन्हें वही सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी जो उन्हें पहले प्राप्त थीं।

छोटे जमींदारों अथवा मकान मालिकों को इस कारण डरने अथवा आशंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उन्हें उनकी सम्पत्ति से वंचित कर दिया जायेगा। संविधान के अन्तर्गत इस प्रकार के अधिकार प्राप्त होने पर भी संसद् और राज्य विधान मंडलों ने अब तक

ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिससे लोगों को उनकी सम्पत्ति से वंचित किया जा सके। अतः यह आशंका निर्मूल है।

इस विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को ऐसे कानून बनाने के अधिकार प्राप्त हो गये हैं जो कि संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के अनुसरण में होंगे और जिनके माध्यम से उन लोगों को राहत दी जायेगी जिनको अभी तक अपने वैध अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरूपति) : माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत 25वें संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी कानूनों में परिवर्तन होता रहा है। कानून बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल ही बनाया जाता है अतः कानून हमेशा लचीला होता है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं और उन्हें कानून की बहुत अच्छी जानकारी होती है। लेकिन उनका जनता से सम्पर्क नहीं होता। अतः वे जनता की कठिनाइयों का अनुभव नहीं कर सकते। हम करोड़ों लोगों के लिये मकानों और रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं लेकिन ये बाधाएँ सामने आयेंगी तो समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है ?

हमें अपने कानून लोकतान्त्रिक समाजवाद के सिद्धान्त के अनुसार बनाने चाहियें। विपक्षी दलों ने सुझाव नहीं दिये हैं कि गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है।

हमारे देश में करोड़ों अनुसूचित जातियों के लोग हैं। 23 वर्ष के लोकतांत्रिक शासन के बावजूद हम उनके लिए छोटी झोंपड़ियों की भी व्यवस्था नहीं कर सके हैं। इसका कारण यह नहीं है कि सरकार इस बारे में प्रयास नहीं कर रही है बल्कि इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे कानून कठोर हैं। भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत हमने जब कभी भूमि अर्जित करने का प्रयास किया तो अनेक औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ीं और "पर्याप्त मुआवज़े" का उपबन्ध मार्ग में बाधक बन गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य इस बाधा को दूर करना है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

"मुआवज़ा" शब्द के स्थान पर "राशि" शब्द का रखा जाना न्यायोचित है। लोग अधिक मुआवज़ा चाहते हैं। सरकार जनता को सब प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करती है और इसीलिये भूमि की कीमत बढ़ती है और इसके लिये सरकार सम्पत्ति के लिये अपेक्षित धनराशि से अधिक धनराशि क्यों दें ? 20 वर्ष पूर्व जिस भूमि की कीमत एक रुपया थी आज उसकी कीमत हजारों रुपये है। सरकार भूमि की इतनी कीमत नहीं दे सकती।

जहां तक न्यायालयों का संबंध है, न्यायालय एक व्यक्तिगत मामले में कानून की व्याख्या कर सकता है। सरकार द्वारा अपनाई गई एक नीति के बारे में ऐसा नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों को सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिये। यदि वे विपरीत निर्णय देते हैं तो देश की प्रगति में बाधक हैं और इससे कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। संसद सर्वोपरि है और वह ऐसा

कोई भी कानून पास कर सकती है जो देश के लिये उपयोगी हो । संसद को संविधान के अनुसार कार्य करना है तथा न्यायपालिका को भी संविधान के अनुसार कार्य करना है ।

25 वाँ संविधान संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है । इसे पास करना भारतीय संसद के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा । अब हमें संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त है और यदि अब भी हम प्रगतिशील कानून नहीं बनाते तो भविष्य में हम ऐसा कभी नहीं कर सकेंगे ।

श्री जे० बी० पटनायक (कटक) : मैं प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ । यह एक बहुत साहसिक प्रयास है और यह उचित दिशा में एक कदम है । संविधान की प्रस्तावना और राज्य के निदेशक सिद्धान्तों में नागरिकों को दिया गया अधिकार मूलभूत अधिकारों वाले अध्याय में दिये गये सम्पत्ति के अधिकार से मेल नहीं खाता ।

जब हमारे संविधान में सम्पत्ति के अधिकार को जोड़ा गया, तो पहले ही सम्पत्ति का संकेन्द्रण हो चुका था । धनी व्यक्तियों, जमींदारों और पूँजीपतियों ने इस सम्पत्ति के अधिकार का लाभ उठाया और स्वतन्त्रता के पश्चात् कुछ वर्षों में इतना अधिक संकेन्द्रण हो गया कि अब एकाधिकार आयोग ने 1965 में हुये मामले पर विचार किया, तो उन्हें मालूम हुआ कि 2259 कम्पनियों में से, जिन पर उसने विचार किया, 1536 कम्पनियाँ 75 व्यापार गृहों द्वारा नियंत्रित होती हैं और जिनकी परिसम्पत्तियाँ 2605·95 करोड़ रुपये की है ।

गत वर्षों में व्यापारिक समुदाय, पूँजीपतियों और एकाधिकारियों के विरुद्ध शोर मचाया जाता रहा, परन्तु जनता की शिकायतों को दूर करने के लिये कुछ भी वास्तविक प्रगति नहीं हुई । इससे यह विदित होता है कि एकाधिपतियों और पूँजीपतियों की चालें कितनी गहरी हैं । अब इस विरोध को समाप्त किया जाना चाहिये ।

इस संशोधन की भावना वही है जो वर्ष 1955 में संविधान के चौथे संशोधन की थी । वर्ष 1955 में चौथे संशोधन विधेयक द्वारा संविधान में एक नया खण्ड 2—क जोड़ा गया था । उस संशोधन का प्रभाव यह था कि क्षतिपूर्ति केवल उस अवस्था में देय हो जहाँ सम्पत्ति का स्वामित्व राज्य को हस्तांतरित होना हो । खण्ड 2 (ख) जोड़ने से संवैधानिक स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा । अंग्रेजों के ज़माने में भी सम्पत्ति का पूर्ण अधिकार उपलब्ध नहीं था सम्पत्ति को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित किया जा सकता था । हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 (5) में भी इस बात का उल्लेख है । यदि सरकार बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति देती रहती है तो इसका परिणाम यह होगा कि जिन लोगों की सम्पत्ति बहुत ज्यादा है उनके पास चल पूँजी अत्यधिक हो जायेगी । जिन लोगों के पास निर्धारित सीमा के अनुसार स्वयं खेती करने के लिए भूमि है, वे पूरी क्षतिपूर्ति के अधिकारी हैं । हमारे देश में 90 प्रतिशत लोगों के पास कोई सम्पत्ति नहीं है और शेष 10 प्रतिशत लोगों में भी 9·9 प्रतिशत लोगों के पास बहुत कम सम्पत्ति है । केवल 0·1 प्रतिशत लोग एकाधिकारवादी और पूँजीपति हैं । ऐसे ही कुछ लोग शोर मचा रहे हैं कि इस संशोधन से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं । सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ-दार्शनिक लॉक के अनुसार सम्पत्ति ऐसी होनी चाहिये जो अनेक लोगों के कल्याण करने वाली हो और समाज का भी कल्याण करने वाली हो । इस संशोधन से संविधान और संसद में विरोध समाप्त हो जायेगा और

अब राज्य विधान मंडल समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये शीघ्रता से कार्यवाही कर सकेंगे ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : विश्व में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिस देश में बाजार मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्त्ति दे कर ही सम्पत्ति अर्जित की जाये वही देश लोकतंत्रात्मक होता है । हम ने यह कहा है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक प्रयोजन के लिये सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा और संसद द्वारा कानून पास किये बिना किसी व्यक्ति की सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नहीं ली जायेगी । इसमें अलोकतंत्रात्मक बात क्या है ? विश्व के बहुत से देशों में यह व्यवस्था है । विरोधी पक्ष हमेशा शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगा सकता है । हम से गलतियाँ होती हैं और हम उनको ठीक करेंगे परन्तु इस समय हमें इस बात पर चर्चा करनी है कि यह शक्ति संसद को दी जानी चाहिये या नहीं । मेरे विचार में संसद को यह शक्ति दी जानी चाहिये । हमें एकाधिकारवाद की प्रवृत्ति को समाप्त करना है । प्रश्न यह है कि क्या सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के कार्यक्रम को पूरा करने के लिये हमें इस शक्ति की आवश्यकता है या नहीं है ? माननीय सदस्य कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम जनता के हित में नहीं है । वे हमें अपदस्थ कर सकते हैं । परन्तु प्रश्न यह है कि संसद को कितनी शक्ति दी जानी चाहिये । क्या संसद को यह निर्णय करने की शक्ति मिलनी चाहिये या नहीं कि राष्ट्रहित में जब सम्पत्ति ली जाये तो कितनी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिये ।

हम बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करना चाहते हैं । हम शीघ्र ही कोकिंग कोयला की खानों को अपने नियंत्रण में लेने के लिये एक विधेयक सभा में प्रस्तुत करेंगे, फिर प्रश्न पैदा होगा कि उनकी कितनी क्षतिपूर्त्ति दी जाये । इसका निर्णय संसद को करना होगा । इन राजनीतिक मामलों का दल राजनीतिज्ञ करेंगे, न्यायपालिका नहीं । यह कहना अनुचित है कि इस प्रकार की कार्यवाही से लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा । कोई भी दल जो बहुमत की इच्छानुसार सामाजिक एवं आर्थिक सुधार करना चाहेगा वह संविधान में इस प्रकार का संशोधन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेगा । हमारा भी यह आशय है । यह आश्चर्य की बात है कि कुछ माननीय सदस्यों ने एक बार फिर अनुच्छेद 19 (1) क से (ड़) की दुहाई दी है तथा वे इस बात को बिल्कुल भूल गये हैं कि विधि आयोग ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि यदि अनुच्छेद 19 (1) को अनुच्छेद 31 (ग) के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया तो इससे केवल प्रतिक्रियावादी शक्तियों को लाभ होगा और वे अपने विहित स्वार्थों के लिए इसका प्रयोग कर सकेंगे । "पर्याप्त रूप में" शब्द जोड़ा जाना केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायालय इस प्रश्न पर विचार न कर सकें कि अनुच्छेद 39 (ख) तथा 39 (ग) को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है । यह कहा गया है कि मान लो यदि अनुच्छेद 39 (ख) और 39 (ग) को "पर्याप्त रूप में" क्रियान्वित नहीं किया जाता है, तो अब न्यायालय इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकेंगे । परन्तु वास्तव में प्रश्न यह है कि इस मामले में न्यायालयों को क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाये । हमें न्यायालयों को यह अधिकार नहीं देना चाहिए कि वे ऐसे मामलों में जो वास्तव में राजनीतिक मामले हैं, राजनीतिक निर्णय को उलट सकें । हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि न्यायालयों की खुले रूप में आलोचना न हो कि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र का अतिक्रमण किया है ।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि जहाँ तक अनुच्छेद 31 का संबंध है

जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा रहा है, इसका तात्पर्य वास्तव में अल्पसंख्यकों को पुन: विश्वास दिलाना है कि अनुच्छेद 31 का संशोधन किये जाने से उनके अधिकारों पर, जो उन्हें अनुच्छेद 13 के अधीन प्राप्त हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम न तो नये अधिकारों की व्यवस्था कर रहे हैं और न वर्तमान अधिकारों का विस्तार कर रहे हैं। हम केवल इतना स्पष्ट कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को जो अधिकार अनुच्छेद 31 में मिले हैं, हम उनसे छीन नहीं रहे हैं।

श्री एन्थनी ने प्रश्न उठाया था कि क्या न्यायालयों को कह दिया जाये कि वे इस मामले पर विचार नहीं कर सकते कि क्षतिपूर्त्ति पर्याप्त है या नहीं। हमें पश्चिम बंगाल में पास किये गये भू-सुधार अधिनियम के संबंध में इस बात का अनुभव है। तुरन्त निषेधाज्ञा जारी की गई थी और उसके कारण हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अन्य मामलों में भी हमें बहुत कठिनाई हो रही है।

श्री साल्वे ने यह प्रश्न उठाया था कि "राशि" शब्द से भी यह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेगा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे विचार में उनकी बात ठीक नहीं है। यदि वह विधि आयोग का प्रतिवेदन पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे पक्ष में प्रचुर कानूनी अधिकार हैं जिनसे हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि 'क्षतिपूर्ति' शब्द के स्थान पर "राशि" शब्द रखे जाने का स्पष्ट अर्थ यह है कि बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कूपर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने "क्षतिपूर्ति" शब्द के बार-बार प्रयोग तथा चौथे संशोधन में भी "क्षतिपूर्ति" शब्द के प्रयोग को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला था कि "क्षतिपूर्ति" बाजार मूल्य के अनुसार दी जाये। अत: हमारे लिये "क्षतिपूर्ति" शब्द निकालने के सिवाय और कोई चारा नहीं है।

श्री एन्थनी ने कहा था कि हम अनुच्छेद 31 (ग) को लाकर संविधान का रूप बदल रहे हैं। इस अनुच्छेद से हम अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। आज हमारे सामने मुख्य उद्देश्य उद्योग में एकाधिकार को समाप्त करना है। प्रश्न यह है कि हम आर्थिक सुधार करने का कोई कार्यक्रम बनाकर जनता के पास जाते हैं। यदि हम उस कार्यक्रम को संविधान में संशोधन किये बिना क्रियान्वित नहीं कर सकते तो हमें सभा में उस आशय का संशोधन पेश करना है जिससे हम सामाजिक एवं आर्थिक सुधार का कार्यक्रम क्रियान्वित कर सकें।

अनुच्छेद 31 ग का महत्वपूर्ण भाग वह है जहाँ इस बात का उल्लेख किया गया है कि "किसी भी कानून को, जिसमें यह घोषणा अन्तर्निहित हो कि यह इस प्रकार की नीति लागू करने के लिये है, किसी भी न्यायालय द्वारा इस आधार पर कि यह ऐसी नीति को लागू नहीं करता, चुनौती दी जायेगी।" यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। हमने जानबूझ कर 39 (ख) और 39 (ग) दोनों ही निदेशक सिद्धान्तों को मूलभूत अधिकार को ऊपर रखा है क्योंकि हमारा विचार है कि जनता की माँगों को पूरा करने का कार्य बहुत गम्भीर है तथा इन दो निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने के लिये दृढ़ निश्चय से प्रयास करने की आवश्यकता है और हम समझते हैं कि जब तक विधान को अनुच्छेद 31 ग का अनुरक्षण नहीं मिलता तब तक इन दोनों निदेशक सिद्धान्तों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना संभव नहीं होगा। इस संबंध में अनुभव की गई कठिनाइयों का मैंने ऊपर उल्लेख किया है। श्री एन्थनी ने कहा है कि इसके परिणामस्वरूप हम एक करोड़ या 50 लाख की संपत्ति की क्षतिपूर्त्ति एक रुपया भी दे सकते हैं। क्षतिपूर्त्ति इस

आधार पर दी जाती है कि संपत्ति की ऐतिहासिक परिस्थितियाँ कैसी हैं जिनमें वह संपत्ति बनाई गई है । कुछ परिस्थितियों में एक रुपया भी दिया जा सकता है और कुछ परिस्थितियों में 100 प्रतिशत क्षतिपूर्त्ति भी दी जा सकती है । यह बात इस पर भी निर्भर करती है कि किसी उद्योग को किन परिस्थितियों में हमें अपने नियंत्रण में लेना पड़ता है।

हमारे देश में केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति है परन्तु करोड़ों लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं है । सम्पत्ति का अधिकार पूरा नहीं है । श्री एन्थनी ने कहा है कि न्यायालयों को एक व्यक्ति के अधिकारों का और दूसरी ओर समाज के अधिकारों का संतुलन रखना चाहिये । राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में न्यायपालिका और हमारे बीच बहुत बड़ा अन्तर है । हमें जनता को जवाब देना होता है, न्यायपालिका को नहीं । कानून की व्याख्या करना उनका अधिकार है किन्तु हम लोग कानून बनाते हैं और हम जनता की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप कानून बनाते हैं यही अन्तर है । ये संशोधन इस उद्देश्य से प्रस्तुत किये गये हैं ।

एक बात के संबंध में अधिक चिन्ता व्यक्त की गई है कि क्या वास्तव में अनुच्छेद 31 ग का अर्थ यह है कि इस संबंध में न्यायालय कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे । वस्तुत: हम यह नहीं चाहते कि न्यायाधीश इस बात का निर्णय करें कि अमुक कानून निदेशक सिद्धान्तों को वास्तव में क्रियान्वित करेगा या नहीं । इस बात का निर्णय हम लोग करेंगे । हम लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा के कारण संसद सदस्य चुने गये हैं । यही कारण है कि न्यायाधीशों को यह शक्ति देना अनुचित है । इसका तात्पर्य उन्हें राजनीतिक निर्णय लेने पर बाध्य करना होगा यद्यपि इनमें कुछ न्यायाधीश दुर्भाग्यवश अतीत में ऐसा करने के इच्छुक रहे हैं । आशा है कि भविष्य में वे ऐसा नहीं करेंगे । यही मूल प्रश्न है ।

मुझे आशा है कि सभा इस संशोधन का समर्थन करेगी ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सातवाँ प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सातवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : कल सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित नहीं होगी और इस विधेयक को पूर्ण रूप में 6·30 बजे म० प० तक निपटा दिया जायेगा ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 1 दिसम्बर, 1971/10 अग्रहायण 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 1st December, 1971/Agrahayana 10, 1893 (Saka).

New India Printing Press, Khurja